खण्ड-121, अंक-1
सोमवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(16 मार्च, 1953 ई0)

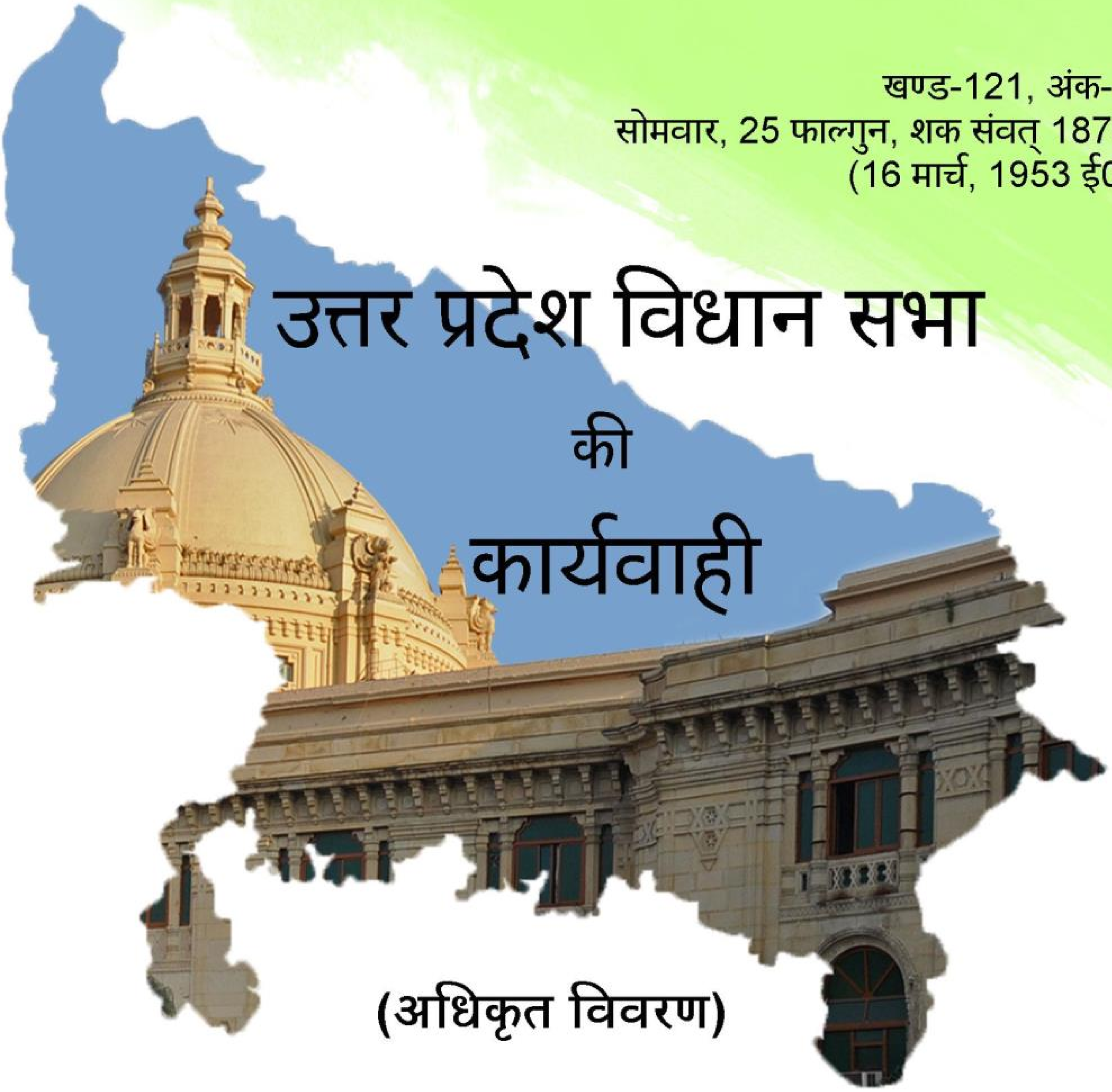

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 121 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

R.A.
845

विषय सूची

खंड १२१

सोमवार, १६ मार्च, १९५३

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१-४
प्रश्नोत्तर	५-२१
अध्यापक मंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी तथा हिन्दू महासभा की बैठक के संबंध में ३ कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२२-२३
विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम	२३-२६
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	२७-२८
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय (स्वीकृत)	२८-३७
अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय (स्वीकृत)	३७-४८
अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक--४१,१७ और १९-ख-विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४१,८१-क--१७ और ६८--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक ६८ और ८१-क--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (जारी) ..	४८-७०
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ की वित्त समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	७०
नत्थी	७१

मंगलवार, १७ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	७३-७६
प्रश्नोत्तर	७७-९४
कतिपय स्थायी समितियों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ..	९४-१०१
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९-ख-विद्युत योजनाओं पर व्यय, अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४१,८१-क, १७ और ६८-विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक ६८ और ८१-क--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	१०१-११६

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	११६-११७
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें तथा अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संरशि का भुगतान (स्वीकृत)	११७-१२२
अनुदान संख्या ५२—लेखा शीर्षक ६—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत) ..	१२२-१३८
अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा (जारी)	१३९-१४८
नत्थियां	१४९-१५२

बुधवार, १८ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	१५३-१५६
प्रश्नोत्तर	१५७-१७५
१९५३-५४ की सार्वजनिक लेखा समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	१७५
सदन का आगामी कार्यक्रम	१७५
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा (स्वीकृत)	१७६-१९०
अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता (स्वीकृत)	१९०-२०९
अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—रास्जव लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी—लेखा (स्वीकृत)	२०९-२२०
नैनीताल जिले की प्राचीन थारू व बोक्सा जातियों के उत्थान संबंधी श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा ६ मार्च, १९५३ को पूछे गये प्रश्न के विषय पर विवाद	२२०-२२७
नत्थी	२२८

बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	२२९-२३३
प्रश्नोत्तर	२३३-२४५
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय-विभाजन	२४५-२४६
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय (स्वीकृत)	२४७-२५१

विषय	पृष्ठ-संख्या
विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन ..	२५१
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी (जारी)	२५१–२६५
नर्सेज और मिडवाइव्स कौंसिल के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा	२६५
सदन का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव (स्वीकृत)	२६६
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी (स्वीकृत)	२६६–२८९
अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास और खोज (स्वीकृत)	२८९–३०६
नत्थियां	३०७–३३१

शुक्रवार, २० मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	३३३–३३७
सदस्य का शपथ ग्रहण करना	३३७
प्रश्नोत्तर	३३७–३४९
सेंट्रल टेक्सटाइल, इंस्टीट्यूट कानपुर के विद्यार्थियों के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३५०
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५२ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	३५०
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये समय–विभाजन	३५०–३५१
वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (स्वीकृत)	३५१–३६५
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा (स्वीकृत)	३६५–३८३
अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	३८३–३९७
अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	३९७–४००
कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना ..	४००
देवरिया जिले में अन्न संकट तथा राप्ती नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में श्री रामजी सहाय द्वारा १६ मार्च, १९५३ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद	४००–४०६
नत्थी	४०७

शनिवार, २१ मार्च, १९५३

उपस्थित सदस्यों की सूची	४०९–४१२
य० पी० नर्सेज एवं मिडवाइव्ज कौंसिल के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	४१३
बृहस्पतिवार, २६ मार्च, १९५३ को असरकारी कार्य करने के संबंध में सूचना	४१३

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय–विभाजन ४१३

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २९––लेखा शीर्षक ४३––उद्योग (स्वीकृत) ४१३–४४०

अनुदान संख्या ३९––लेखा शीर्षक ५६––लेखन-सामग्री और छपाई (स्वीकृत) ४४०–४४६

अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ५७––विविध व्यय (स्वीकृत) ४४६–४५८

अनुदान संख्या ४६––लेखा शीर्षक ७२–– औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत (स्वीकृत) ४५८–४७२

उत्तर प्रदेश कृषि–आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३ (पुरःस्थापित किया गया।) ४७२

नत्थी ४७३–४७६

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

मंत्री परिषद्

श्री गोविंद वल्लभ पंत, बी०ए०, एल-एल० बी०, एम०एल०ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, नियोजन तथा सहकारिता मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी०ए०, एल-एल०बी०, एम०एल०ए०, वित्त तथा विद्युत मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी०एस-सी०, एम०एल०ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह बी०ए०,एल-एल० बी०, एम०एल०ए०, १७ मार्च, १९५३, से उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम०ए०, एम०एल०ए०, निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल०ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अलीजहीर, बार-ऐट-ला०, एम०एल०ए०, न्याय तथा मादक कर मंत्री।

श्री चरणसिंह, एम०ए०, बी०एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविंद सिंह, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी०ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री।

उपमंत्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी०ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपा शंकर, एम० एल० ए० ।

अन्न मंत्री के सभा सचिव

१—श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए० ।
२—श्री बनारसी दास, एम० एल० ए० ।

उद्योग मंत्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए० ।

माल मंत्री के सभा सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए० ।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव

डाक्टर सीता राम, एम० एस- सी० (विस), पी एच० डी०, एम० एल० ए० ।

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री		गोरखपुर (दक्षिण पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	..	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्मा राम गोविंद खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसेन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक़, श्री	..	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसेन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण) हैदरगढ़—राम सनेही घाट
२४—उम्मेद सिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर) बदायूं
२८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चंदौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	..	सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	..	हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३६—कालिकासिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
३७—काली चरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
३८—काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४२—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४५—कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४६—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४७—केवल सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
४९—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५०—केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५२—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५३—खयाली राम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५४—खुशी राम, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
५५—खूब सिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५६—गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
५७—गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
५८—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
५९—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६०—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६१—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बिधूना (पूर्व)
६२—गज्जू राम, श्री	..	मऊ—मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६३—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६४—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५—गणेश प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण पश्चिम)
६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
६७—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६८—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९—गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण) अमेठी (पश्चिम)
७१—गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७२—गेंदा सिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७३—गोपी नाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७४—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५—गोविंद वल्लभ पंत, श्री	..	बरेली नगरपालिका
७६—गौरी राम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट
७८—घासीराम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई—जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२—चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री	..	तराबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८३—चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
८५—चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८६—चरण सिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
८८—चिरंजी लाल जाटव, श्री	..	जलेसर—एटा (उत्तर)
८९—चिरंजी लाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली—गुन्नौर—(पूर्व)
९१—छेदा लाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर—पश्चिम)
९२—छेदा लाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९६—जगन प्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९७—जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर—पूर्व)—बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री	..	मऊ—करवी—बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन—टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा—कुलपहाड़—चरखारी
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
११२—मारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री	..	संडीला—बिलग्राम (दक्षिण—पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री	..	माट—सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री	..	बदायूं (दक्षिण—पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री	..	औरैया—भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर—पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजा सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर—पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२६—दर्शनराम, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाता राम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१३०—दीन दयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयाल शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवकीनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३९—देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	मरियाहू (उत्तर)
१४२—द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्मसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थूसिंह, श्री	..	आओं (पूर्व) फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून, दक्षिण पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ठ, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण पूर्व)
१५१—नवलकिशोर, श्री	..	आओंला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायण दास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री	..	पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)-बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५९—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोईल (दक्षिण-पूर्व)
१६०—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६१—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद-गोहना (दक्षिण)
१६२—परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सोराव (दक्षिण)
१६३—परमेश्वरीराम, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
१६४—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६५—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६६—पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६७—पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६८—पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१६९—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१७०—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७१—प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७२—प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७३—प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७४—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१७५—फ़ज़लुल हक़, श्री	..	रामपुर नगर
१७६—फतेहसिंह, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
१७७—फ़तेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७८—फूलसिंह, श्री	..	देवबन्द
१७९—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१८०—बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१८१—बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८३—बलवीर सिंह, श्री	..	ग़ाज़ियाबाद (दक्षिण)
१८४—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८५—बलवन्त सिंह, श्री	..	मुज़फ़्फ़रनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८६—बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८७—बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८८—बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१८९—बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१९०—बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१९१—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेहीघट
१९२—बाबूलाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९३—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण) प्रतापनगर
१९४—बिशम्भर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९५—बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९६—बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७—बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९८—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
१९९—बैजूराम, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
२००—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२०१—भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०२—भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०३—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०४—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	फ़तेहपुर (दक्षिण)
२०५—भगवानदीन बाल्मीकि, श्री	..	फ़तेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
२०६—भगवानसहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)
२०७—भीमसेन, श्री	..	खुरजा
२०८—भुवरजी, श्री	..	फूलपूर्व (पूर्व) -हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०९—भूपाल सिंह खाती, श्री	..	अल्मोड़ा (उत्तर)
२१०—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२११—भोलासिंह यादव, श्री	..	ग़ाज़ीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१२—मक़सूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२१३—मंगला प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२१४—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फ़र्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२१५—मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१६—मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फ़ैज़ाबाद (पूर्व)
२१७—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१८—मन्नीलाल गुरूदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१९—मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२२०—महमूद अली खां, श्री	..	सुमर-टांडा-बिलासपुर
२२१—महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़ (उत्तर)
२२२—महाजन, सी० बी०	..	आगरा नगर (पश्चिम)
२२३—महादेव प्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२४—महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२५—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२६—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलाँलगंज
२२७—महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९—मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व) भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	..	विधूना (पश्चिम)-भरथना (पूर्व)
२३१—मुज़फ़्फ़र हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नूलाल, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर-अकबरपुर
२३५—मुश्ताक़अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़	..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)—धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४०—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२४३—मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४४—मुहम्मद मञ्जूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	..	मछलीशहर (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४९—मोहनलाल, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१—मोहनसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुनाप्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	..	ग़ाज़ीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुबीर सिंह, श्री	..	बारापत (दक्षिण)
२५९—रणञ्जय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२६०—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६२—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मड़ियाहू (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६४—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६७—राजदेव उपाध्याय, श्री	..	हाटा (उत्तर)
२६८—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६९—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२७०—राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७१—राजराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७२—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम—कुन्डा (उत्तर)
२७३—राजा राम मिश्र, श्री	..	फ़ैज़ाबाद (पश्चिम)
२७४—राजाराम शर्मा, श्री		खलीलाबाद (उत्तर)
२७५—राजेन्द्रदत्त, श्री	..	मुज़फ्फ़रनगर (पश्चिम)
२७६—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७८—राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम) पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७९—रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२८०—राम अनन्त पाण्डेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२८१—राम अवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८२—रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम) पट्टी (उत्तर-(पश्चिम)
२८३—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८४—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्ज़ापुर (दक्षिण)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८६—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७—रामचरनलाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८८—रामजी लाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८९—राम जी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९०—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२९१—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९२—राम दुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९३—रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
२९४—राम नारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपूर (पुर्व)
२९५—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२९६—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९७—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९९—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)
३००—रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
३०१—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०२—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०४—रामलखन, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०६—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०७—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०९—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३१०—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)
३११—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा मोठ (उत्तर)
३१२—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१३—रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१५—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१६—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम) डेरापुर (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)
३१९—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण,झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२६—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२८—लताफ़त हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
३३०—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ़ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	..	ग़ाज़ीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३८—वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व) सलोन (उत्तर)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४२४ हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण) [१७ मार्च, १९५३ को पुनर्निर्वाचित]
४२५ हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री	..	करछना (उत्तर) चायल (दक्षिण)
४२६ होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४२७ (रिक्त)	..	बदायूं (उत्तर)
४२८ (रिक्त)	..	कैसरगंज (उत्तर)
४२९ (रिक्त)	..	देवरिया (दक्षिण)
४२० (रिक्त)	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
४३१ (रिक्त)	..	कैसरगंज (दक्षिण)

संसद सदस्य सूचना प्रणाली

बिहार पंचायत सचिवालय

सदस्य-सूची

३३९—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३४०—विचित्र नारायण शर्मा, श्री [illegible]
३४१—विजय शंकर प्रसाद, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३४२—विद्यावती राठौर, श्रीमती (कांग्रेस) [illegible]
(कांग्रेस) [illegible]—(स्वतंत्र) [illegible]
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री [illegible]
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री [illegible]
३४५—[illegible], श्री (कांग्रेस) [illegible]
३४६—वीरसेन, श्री (स्वतंत्र) [illegible]
३४७—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३४८—वीरेन्द्रपति यादव, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३४९—वीरेन्द्र वर्मा, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३५०—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री [illegible]
३५१—वीरेन्द्रशाह, राजा (कांग्रेस) [illegible]
३५२—व्रजभूषण मिश्र, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३५३—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती [illegible]
३५३—व्रजवासी लाल, श्री [illegible]
३५४—[illegible] मिश्र, श्री [illegible]
३५५—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री [illegible]
३५६—[illegible], श्री—[illegible]
३५७—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३५८—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री [illegible]
३५९—शिवकुमार [illegible], श्री (कांग्रेस) [illegible]
३६०—शिवकुमार [illegible], श्री (स्वतंत्र) [illegible]
३६१—शिवकुमार [illegible], श्री [illegible]
(कांग्रेस) [illegible]
३६२—शिवदान सिंह, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३६३—शिवनाथ काटजू, श्री (स्वतंत्र) [illegible]
३६४—शिवनारायण, श्री (प्रजा) [illegible]
३६५—शिवपूजन राय, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३६६—शिवप्रसाद, श्री (स्वतंत्र) [illegible]
३६७—[illegible] सिंह, श्री (स्वतंत्र) [illegible]
३६८—शिवमंगल सिंह [illegible], श्री [illegible]
३६९—शिवराजबली सिंह, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३७०—शिवराज सिंह यादव, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३७१—शिवराम पाण्डेय, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३७२—शिवराम राय, श्री (कांग्रेस) [illegible]
३७३—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री [illegible]
३७४—शिववचन राव, श्री [illegible]
३७५—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री [illegible]
३७६—शिवस्वरूप सिंह, श्री (प्रजा) [illegible]
३७७—शुकदेव प्रसाद, श्री (कांग्रेस-स्वतंत्र) [illegible]
३७८—शुगन चन्द, श्री (प्रजा) [illegible]
३७९—श्यामसनोहर मिश्र, श्री (स्वतंत्र) [illegible]

निर्वाचन-क्षेत्र

कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम) [illegible]—०२६
[illegible] (पूर्व) [illegible]—१२६
मुहम्मदाबाद (दक्षिण) [illegible]—२२६
एटा (पूर्व) -अलीगढ़ [illegible]
(दक्षिण) [illegible]—४२६
गाजीपुर (पश्चिम) [illegible]—५२६
ज़मानिया [illegible]—६२६
मुजफ्फरपुर [illegible]—७२६
हापुड़ (दक्षिण) [illegible]—८२६
बिलग्राम (पश्चिम) [illegible]—९२६
सैनपुरी [illegible]—०३६
कैराना (दक्षिण) [illegible]—१३६
नानपारा (पूर्व) [illegible]—२३६
कालपी-जालौन (उत्तर) [illegible]—३३६
दूधी [illegible]—४३६
बिल्हौर-अकबरपुर [illegible]—५३६
बीकापुर (मध्य) [illegible]—६३६
फूलपुर (उत्तर) [illegible]—७३६
घाटमपुर-भोगनीपुर [illegible]—८३६
कादीपुर (मध्य) [illegible]—९३६
[illegible] [illegible]—१०४
चकराता-पश्चिम [illegible]—११४
सिराथू-मंझनपुर [illegible]—१२४
तिलहर (उत्तर) [illegible]—१३४
बिजनौर (दक्षिण) [illegible]—१४४
.. धामपुर [illegible]—१५४
इगलास [illegible]—१६४
फूलपुर (मध्य) [illegible]—१७४
हरैया (पूर्व) [illegible]—१८४
मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व) [illegible]—१९४
हाटा (मध्य) [illegible]—२०४
बांसडीह (पश्चिम) [illegible]—२१४
डुमरियागंज [illegible]—२२४
खजुहा (पूर्व)-फतेहपुर [illegible]—२३४
बिसौली-गुन्नौर (पूर्व) [illegible]—२४४
डोरापुर (उत्तर) [illegible]—२५४
सदर आजमगढ़ [illegible]—२६४
करहल (पूर्व) [illegible]—२७४
सलीमपुर (उत्तर) [illegible]—२८४
बहराइच (पूर्व) [illegible]—२९४
ठाकुरद्वारा [illegible]—३०४
महाराजगंज (दक्षिण) [illegible]—३१४
रुड़की (पश्चिम) [illegible]—३२४
मलिहाबाद-बाराबंकी [illegible]—३३४

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३८०—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८१—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३८२—श्रीचन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८३—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८४—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८५—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८६—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८७—सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती	..	कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३८८—संग्राम सिंह, श्री	..	सोरों (उत्तर) फूलपुर (पश्चिम)
३८९—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९०—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९१—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९२—सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९३—सत्यानन्द, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३९४—सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९५—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९६—सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफ़िरख़ाना (मध्य)
३९७—सियाराम गंगवार, श्री	..	फ़र्रुख़ाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
३९८—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
३९९—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया हाटा—(दक्षिण-पश्चिम)
४००—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण—पश्चिम)
४०१—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू—मंझनपुर
४०२—सुन्दरलाल, श्री	..	आओंला (पूर्व)-फ़रीदपुर
४०३—सुरजूराम, श्री	..	सदर (आज़मगढ़) (उत्तर)
४०४—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०५—सुरेश प्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४०६—सुल्तान आलम खां, श्री	..	क़ायमगंज (पश्चिम)
४०७—सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४०८—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४०९—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
४१०—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४११—हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
४१२—हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर, (मध्य)
४१३—हमीद ख़ां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य—पूर्व)
४१४—हरखयाल सिंह, श्री	..	बाग़पत (पूर्व)
४१५—हरगोविन्द पन्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१६—हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४१७—हरदयाल सिंह, पिपल, श्री	..	हाथरस
४१८—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४१९—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२०—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२१—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२२—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२३—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए० , एल-एल० बी० ।

श्री उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल एल० बी० ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम ए०, एल-एल० बी०, डी० एल०, एल-सी० ।

विशेषाधिकारी

श्री राम प्रकाश, बी० काम०, एल एल० बी० ।

अधीक्षक

श्री देवकी नन्दन मिश्रल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार मदरसा शिक्षा संघ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह महाराजकुमार, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दूबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री

भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद आलम खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुशताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराजशुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में ईंधन की कमी

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि लखनऊ में ईंधन (fuel wood) आवश्यकतानुसार नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—सरकार की सूचना है कि लखनऊ में ईंधन की लकड़ी आवश्यकतानुसार मिल रही है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ शहर में प्रतिमास लकड़ी का कितना कन्जप्शन है, कितना स्टाक है और मार्च के महीने में कितनी सप्लाई हुई?

श्री बनारसीदास—इस समय लखनऊ में लगभग ४०० वैगन्स प्रतिमास मिलते हैं जितनी यहां आती है, करीब-करीब यह उसका २२ प्रतिशत होता है, बाकी ७८ फीसदी लखनऊ में नियंत्रित नहीं होती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि जिला अधिकारियों के पास लखनऊ नगर-वासियों की अर्जियां गई थीं लकड़ी के लिये उन्होंने यह नोट लिखा था कि लकड़ी स्टाक में नहीं है?

श्री बनारसीदास—नवम्बर से लेकर अप्रैल महीने तक ऐसा है कि वैगन्स ज्यादातर केन क्रशिंग में लग जाते हैं और लकड़ी के लिये वैगन्स कम आते हैं। अप्रैल के बाद स्थिति के अन्दर सुधार हो जाता है। सम्भवतः यही कारण है कि लकड़ी कुछ कम इन महीनों में हो जाती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ शहर में लकड़ी किस भाव से बिक रही है?

श्री बनारसीदास—नियंत्रित लकड़ी ०—१४—५ मन है और अनियंत्रित दो रुपये से ढाई रुपये तक है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे की डालीगंज, सिटी और ऐशबाग में गत पखवारे में कितनी लकड़ी आयी?

श्री बनारसीदास—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि अलग-अलग कहां-कहां कितनी लकड़ी आयी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या वजीर साहब बताने का करम फरमायेंगे कि जिस भाव से कंट्रोल की लकड़ी बिक रही है, जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं, वे उससे ज्यादा दाम ले रहे हैं?

श्री बनारसीदास—अभी जैसा बताया जा चुका है कि जिस लकड़ी पर नियन्त्रण नहीं है, उस पर नियन्त्रण करने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जितने वैगन्स दिये जा सकते हैं इस भाव को गिराने की दृष्टि से और वह लगभग ४०० माहवार दिये जाते हैं जिसका भाव के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फोखरी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि जितनी लकड़ी की लखनऊ में जरूरत है उससे काफी मिकदार में लकड़ी दस्तयाब हो रही है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, चन्द महीनों को छोड़कर, लकड़ी काफी तादाद में आती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि फूड स्कीम के अनुसार कुल कितनी लकड़ी सालाना लखनऊ में सप्लाई की जाती है ?

श्री बनारसीदास—इस वक्त हमारे पास अगस्त, १९५२ तक के आंकड़े मौजूद हैं बाकी आंकड़े हमारे पास नहीं आ पाये हैं । नियंत्रित लकड़ी ३,७८,०७६ और अनियंत्रित लकड़ी १०,१,१२३६ मन लखनऊ में आयी है ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—नवम्बर से अप्रैल तक जो कम लकड़ी आती है उसका सरकार क्या प्रबंध कर रही है ?

श्री बनारसीदास—यह तो बतलाया गया कि वैगन्स की कमी के कारण लकड़ी कम आती है । जो पहले स्टाक्स होते हैं उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है ।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३-४—श्री श्रीचन्द—[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

लेहड़ा कैम्प की जमीन

*५.—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी की लेहड़ा कैंपस (जहां से अंग्रेजों द्वारा गोरखे भरती करके मलाया भेजे जाते हैं) में कुल कितनी जमीन लगी है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—लेहड़ा कैम्प में १४२.९६ एकड़ जमीन लगी है ।

*६—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस विषय में कोई समझौता प्रादेशिक सरकार से भी हुआ है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस संबंध में प्रादेशिक सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ ।

*७—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को इस जमीन के बदले किसी प्रकार का मुआविजा मिला है अथवा मिलता है । अगर हां, तो कितना ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्रादेशिक सरकार को मालगुजारी के मुआविजे में रु० ९,४१८-९-६ बतौर capitalised value of land revenue दिया गया था ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कैपिटैलाइज्ड वैल्यू आफ लैण्ड रेवेन्यू प्रान्तीय सरकार को मिली है वह बृटिश सरकार ने दी है या केन्द्रीय सरकार ने ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—हमारी केन्द्रीय सरकार के आदेश से यह जमीन दी गई थी इसलिये जो भी कम्पेंसेशन, मिला है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा मिला है।

श्री झारखंडे राय—क्या केन्द्रीय सरकार से प्रांतीय सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है कि यह कैम्प उठने वाला है और अगर हां, तो कब तक यह जमीन खाली होगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह लेहड़ा कैम्प की जमीन कब से सरकार के हाथ से चली गई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—१६ सितम्बर सन् १९४९ को एक्वायर की गई।

आजमगढ़ जिले में भूमिधरी उपार्जन के पश्चात् बक़ाया लगान

*८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में जमींदारी उन्मूलन के पहिले भूमिधरी उपार्जन के कारण काश्तकारों की लगान जो आधी हो गई थी उतना हिस्सा उनके जमींदारों को नक़द दिया गया या उनकी मालगुजारी में मुजरा किया गया ? यदि मुजरा किया गया तो कुल कितना ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जमींदारी उन्मूलन के पहले भूमिधरी उपार्जन के कारण काश्तकारों के लगान आधे हो गये थे और बकाया आधा लगान उनके जमींदारों को या तो नक़द दिया गया या मालगुजारी में मुजरा कर दिया गया। यह कुल रकम ४,८०,०३५ रु० ४ आ० होती थी जिसमें से १,१८४ रु० १० आ० नकद दिया गया और ४,७८,८५० रु० १० आ० मालगुजारी में मुजरा किया गया।

*९—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि जमींदारी उन्मूलन के पहले भूमिधरी हक़ प्राप्त करने के कारण जो रुपया सरकारी खजाने से आजमगढ़ के जमींदारों को मिलना चाहिये था वह अधिकांश नहीं दिया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं, कुल रकम चुका दी गई।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जमींदारों की मालगुजारी का किस फसली सन् की किस्त में रुपया मुजरा किया गया और किस सन् में नक़द दिया गया ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—यह रक़म तो ४ लाख ७८ हजार नक़द और १,४०० रुपया मुजरा दिया गया है। इसका प्रतिशत माननीय सदस्य निकाल सकते हैं।

श्री उमाशंकर—मैं यह जानना चाहता था कि किस फसली सन् में मुजरा किया गया और किस में नक़द दिया गया ?

श्री चरणसिंह—सन् नहीं बतलाया जा सकता।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या सन् १३५९ फसली में आजमगढ़ के कुछ लोगों ने इसको मालगुजारी में मुजरा करने की दरख्वास्त दी थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सारी रकम मुजरा कर दी गई, मुमकिन है किसी ने दरख्वास्त दी हो लेकिन वह सब मुजरा हो गई।

लखनऊ सिटी बस सर्विस के ड्राइवरों पर जुर्माना

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि लखनऊ सिटी बस सर्विस के कई ड्राइवरों को तादाद से ज्यादा सवारियां बैठाने पर जुर्माना हुआ है जब कि उन्होंने जनरल मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर के उस गश्ती चिट्ठी के मुताबिक ज्यादा सवारियां बैठायी थीं जिसमें कहा गया था कि किसी स्टाप पर कोई सवारी छूटने न पाये ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले तो मुझे एक एतराज था कि जो लिखित उत्तर दिया गया है उसमें माननीय मंत्री जी के दस्तखत नहीं ह। इसलिये क्या यह सही उत्तर माना जा सकता है। आम तौर पर नाम हुआ करता है लेकिन इसमें किसी के दस्तखत नहीं हैं तो यह सही उत्तर नहीं माना जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—(श्री मंगलाप्रसाद से) तो दस्तखत जो हैं मैं समझता हूं कि आप उसे करवा दीजियेगा । और अब आइन्दा दस्तखत करवा दिया जाया करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तब तक इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन उत्तर तो ठीक है । इसका मतलब केवल यह है कि कुछ थोड़ी सी गलती हो गई है और वह आइन्दा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वे (माननीय मंत्री) उस उत्तर को स्वीकार करते हैं कि यह उनका उत्तर है। आपको उत्तर से मतलब है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि लखनऊ सिटी बस सर्विस के कुछ ड्राइवरों को कुछ तादाद से ज्यादा सवारियों को बैठालने पर जुर्माना हुआ है ?

श्री मंगलाप्रसाद—कोई जुर्माना नहीं हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जेनरल मैनेजर, रोडवेज, लखनऊ ने कोई ऐसी गश्ती चिट्ठी निकाली जिसमें कहा गया था कि तादाद से ज्यादा सवारियां बैठाई जायं ताकि कोई सवारी रह न जायं ।

श्री मंगलाप्रसाद—जनरल मैनेजर ने कोई ऐसा आर्डर नहीं निकाला था ।

*११-१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन पर खर्च

*१३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि पिछले ६ वर्षों में कुल कितना रुपया "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन में खर्च हुआ है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन में पिछले ६ वर्षों में कुल १५,२६,५१,००० (सुगमांक) रु० खर्च हुआ ।

*१४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पिछले ६ वर्षों में प्रदेश के अन्न की पैदावार में कुल कितनी बढ़ती हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पिछले ६ वर्षों में जो कार्य हुआ उसके फलस्वरूप लगभग ७.०३ लाख टन अन्न की वार्षिक उपज में वृद्धि हुई है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितना अन्न प्रतिवर्ष पैदा हो जाय कि हमारा प्रान्त आत्मनिर्भर हो जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मेरे पास इस समय उसके आंकड़े तो नहीं हैं। दूसरा सवाल करने पर माननीय खाद्य मंत्री जी इसका उत्तर दे सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले ६ वर्षों में कुल कितनी वृद्धि गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार आदि में हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय इसके लिये भी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। दूसरे, जो सवाल किया गया है उसमें अन्न उपजाओ के सिलसिले में जो प्रयत्न किया गया है उसके फलस्वरूप कितनी वृद्धि हुई है और यह प्रश्न बिलकुल अलग है और इससे इसका कोई संबंध मालूम नहीं होता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले ६ वर्षों में जो १५ करोड़ ३६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च हुये हैं उसमें से कर्मचारियों पर कितना हुआ है और स्कीम पर कितना ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके अलग-अलग आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो ७ लाख ३ हजार टन अनाज में वृद्धि हुई है उसमें नई भूमि के तोड़े जाने के कारण कितनी हुई और पुरानी भूमि से कितनी की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—नई भूमि दो प्रकार से तोड़ी गई है। एक तो ट्रैक्टर्स के जरिये से और दूसरे प्राइवेट लोगों के जरिये से। उनके आंकड़े इस तरह से हैं—

सन्	पैदावार टन
१९४८–४९	१०,३७०
१९४९–५०	१२,२०५
१९५०–५१	१०,८३०
१९५१–५२	२१,७८४
१९५२–५३	१५,८५४

अन्न की वृद्धि होने की संभावना है। प्राइवेट लोगों के जरिये से जो जमीन तुड़वाकर अन्न की पैदावार में वृद्धि हुई है वह इस प्रकार से है—

सन्	पैदावार
१९४७–४८	८,७८२
१९४८–४९	५,४७४
१९४९–५०	५०,०००
१९५०–५१	६४,८४८
१९५१–५२	४७,२२२
१९५२–५३	३९,६४८

अन्न होने की सम्भावना है।

लगान वसूल करने वाले अमीनों की योग्यता

*१५—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने मालगुजारी वसूल करने वाले अमीनों की अवस्था तथा योग्यता संबंधी प्रतिबन्धों में कुछ परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो वह परिवर्तन क्या है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मालगुजारी की वसूली की योजना में अमीनों के लिये निम्नलिखित योग्यतायें निर्धारित की गई हैं-

आयु---बाहर वालों के लिये २१, ३० वर्ष, कोर्ट आफ वार्ड्स और सरकार के भूतपूर्व कर्मचारियों के लिये ५० वर्ष और जमींदारों के भूतपूर्व कर्मचारियों के लिये ४० वर्ष तक।

शिक्षा संबंधी योग्यता--किसी प्रमाणित शिक्षा संस्था से कक्षा ८ उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अथवा हिन्दुस्तानी मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र। अमीनों के पद के लिए जिलाधीशों को इन निर्धारित आयु अथवा शिक्षा संबंधी योग्यता के व्यक्ति प्राप्त करना कठिन हो गया अतः बाहर वालों के लिए अधिकतम आयु ४० वर्ष कर दी गई और उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये जिलाधीश की सिफारिश पर (Land reforms Commissioner) को विशेष परिस्थितियों में आयु के प्रतिबन्ध को हटा देने का अधिकार दे दिया गया। इसी प्रकार जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपने विवेक से शिक्षा की शर्त को हटा सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को अमीनों के पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो विश्वसनीय हों और जो पद के लिये उपयुक्त जमानत जमा कर सकते हों तथा कम से कम इतने साक्षर हों कि कार्य योग्यतापूर्वक चला सकें।

उपर्युक्त योग्यताओं के अतिरिक्त यह भी आदेश दिये गये हैं कि नहर विभाग के वसूली करने वाले कर्मचारियों को अमीनों के पद पर नियुक्त किये जाने में बाहर वालों से तरजीह दी जाये।

*१६---**श्री नागेश्वर द्विवेदी**---क्या सरकार ने नये अमीनों के निष्कासन के संबंध में भी कोई नियम बनाया है? यदि हां, तो क्या उसकी एक कापी मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी नहीं, जो अमीन रखे गये हैं वह टेम्पोरेरी हैं, तीन महीने खरीफ में और तीन महीने रबी की फसल में हर साल मुकर्रर होंगे, टेम्पोरेरी लोगों के लिये जो साधारण नियम हैं वही उन पर भी लागू होंगे।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह इस बात की जांच करायेंगे कि योग्य उम्मीदवारों के रहते हुये अयोग्य उम्मीदवारों को क्यों स्थान दिया गया?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---योग्य उम्मीदवारों को ही स्थान दिये गये हैं जो किसी प्रकार से अयोग्य समझे गये होंगे उनको स्थान नहीं मिला। योग्य या अयोग्य का जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसका वह अपने अनुसार निर्णय कर रहे हैं। चुनने वाले अधिकारी ने जिसे योग्य समझा उसको चुना।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया है उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मेरा सवाल यह था कि जो योग्य थे उनको स्थान न देकर जो अयोग्य उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है उसकी वह जांच करायेंगे?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---ऐसी कोई आम शिकायत नहीं है। अगर कोई पर्टीक्यूलर इंसटेंस माननीय सदस्य देंगे तो जरूर तहकीकात कराई जायगी।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अमीनों के स्थान पर मास्टरों या पटवारियों के रखने की उम्मीद है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---नहीं, ऐसा तो कोई सरकार विचार नहीं कर रही है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि तीन महीने की फसल में वसूलयाबी नहीं हो सकी तो टाइम बढ़ाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—यह बात ठीक है कि कुछ जिलों में वसूलयाबी नहीं हो सकी है, कुछ में हो गई है। जिनमें नहीं हुई है उनमें वसूली की मियाद बढ़ाई जायगी।

श्री दीनदयालु शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वसूलयाबी के बाद भी चेकिंग के लिये एक महीने की जरूरत पड़ती है, सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह—ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अमीनों को हटाकर पंचायतों से लगान वसूल करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जमींदारी के खात्मे के बाद लेखपालों के ऊपर काम कम हो गया है तो यह लगान की वसूलयाबी का काम लेखपालों के जरिये कराना सरकार उचित समझती है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मालगुजारी, आबपाशी, तकावी और पंचायत कर वसूल करने के लिये सरकार अमीनों को मुस्तकिल नौकरी में रखेगी ?

श्री चरणसिंह—फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। केवल इतना विचार हो रहा है कि मालगुजारी, कैनाल चार्जेज वसूल करने के लिये और तकावी वसूल करने के लिये एक ही एजेंसी हो।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अमीन लोग जिन्होंने दस गुना जमा कर दिया है उसका खयाल न करके पूरी उगाही ले रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट को ऐसा मालूम नहीं है।

*१७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार अमीनों के स्थान को स्थायी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अभी कोई ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[३० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

आठ एकड़ से कम शिकमी जोत वाले काश्तकार

*१९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठ एकड़ के नीचे के काश्तकारों को शिकमी जोत से बेदखल करने का अधिकार दिया जा रहा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं।

*२०—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—यदि हां, तो क्या इसकी सूचना प्रदेश के प्रत्येक जिलाधीश के पास भेज दी गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार को यह पता है कि इस प्रदेश में बहुत से ऐसे काश्तकार हैं कि जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन थी, उस पर भी वह शिकमी दिये हुये हैं। यदि हां, तो उनकी भी बेदखली इस तरह से रुकी रहेगी ?

श्री चरणसिंह—जी हां, रुकी रहेगी। जब तक गवर्नमेंट यह निश्चय नहीं करती है कि ऐसे लोगों को बेदखल कर लिया जाय।

राज्य में उपलवृष्टि से क्षति

*२१—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के किन किन जिलों में उपलवृष्टि से कितनी क्षति हुई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—राज्य के २२ जिलों में उपलवृष्टि से रबी की फसल को हानि पहुंची है। इन जिलों के नाम तथा हानि की मात्रा सम्बद्ध सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१ पर)

*२२—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार के पास भाटिया कमीशन की रिपोर्ट उपलवृष्टि के बारे में आ चुकी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—शासन ने कोई भाटिया कमीशन उपलवृष्टि के संबंध में नियुक्त नहीं किया था। लखनऊ, फैजबाद, गोरखपुर के कमिश्नर श्री भाटिया ने अवश्य जिला गोरखपुर और देवरिया का निरीक्षण करने के पश्चात् इस उपलवृष्टि के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हर जिले में, हर गांव में कितने रुपये की क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह—न इसकी तहकीकात कराई गई और न ऐसा करना मुमकिन है कि हर गांव में हर खेत में कितना नुकसान हुआ है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि देवरिया, गोरखपुर के उन क्षेत्रों में फिर से ओला पड़ा है ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई रिपोर्ट अधिकारियों की अभी तक नहीं आई है लेकिन अखबारों से ऐसा मालूम होता है कि जिन जिलों में ओले पड़े थे उस जगह नहीं बल्कि दूसरी जगहों में ओले पड़े थे।

श्री बृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के भी कुछ भाग में उपलवृष्टि हुई है, जिससे फसल को हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह—हां, उपलवृष्टि हुई तो है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाटिया साहब जो रिपोर्ट लेने के लिये भेजे गये थे उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरणसिंह—रिपोर्ट तो बहुत लम्बी चौड़ी है। उसको एक दम एक सवाल के जवाब में बतलाना संभव नहीं होगा। किसी विशेष मामले के विषय में अगर माननीय सदस्य कुछ जानना चाहते हैं तो जहां तक मुझे याद होगा उसे बतलाने की कोशिश करूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भाटिया रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—श्री भाटिया जो लखनऊ, गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजन के कमिश्नर हैं उनको गालिबन ८ फरवरी को तहकीकात के लिये गोरखपुर और देवरिया भेजा गया था। उस पर उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी। फिर दोबारा वह मार्च के महीने में वहां गये। उनकी रिपोर्ट के मुख्य अंश यह हैं कि देवरिया और गोरखपुर के कई सौ गांव में १० और १२ आने फसल को नुकसान हुआ है और उनको इमदाद की जरूरत है लेकिन उनके जाने से पहले ही गवर्नमेंट जो उस विषय में निश्चित कर चुकी थी और जिलाधीशों को आदेश दे चुकी थी वही उनकी रिपोर्ट देने के बावजूद भी काफी पाया गया और उनकी राय यह थी कि जो आदेश जारी हो चुके हैं वे पर्याप्त हैं। अब दोबारा जो तहकीकात पर गये तो उन्होंने यह रिपोर्ट की है कि जितना नुकसान पहले उन्होंने अनुमानित किया था उससे २०,२५ फीसदी तक नुकसान कम हो जायगा मगर जितनी फसल फूट निकली है जहां जहां ओले पड़े हैं अगर वहां पर कुछ दिन तक पुरुवा चलती रही और पछुवा न चली तो वह अन्न बच जायगा। इस तरह २०, २५ फीसदी नुकसान कम हो जायगा लेकिन पछुवा चली तो वह नुकसान जितना पहले उन्होंने लिखा उतना का उतना ही रहेगा।

तहसील उतरौला, जिला गोंडा को विभाजित करने की योजना

*२३—**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि तहसील उतरौला (जिला गोंडा) को कई तहसीलों में विभाजित किया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ऐसी विभिन्न तहसीलों के हेडक्वार्टर क्या क्या होंगे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, तहसील उतरौला को दो भागों में विभाजित करने का प्रश्न विचाराधीन है। यदि दो तहसीलें बनाई गईं तो उनके हेडक्वार्टर्स उतरौला तथा बलरामपुर में बनाये जाने का विचार है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी काम की सुविधा के लिये नये वर्ष के प्रथम सप्ताह में विभाजित तहसीलों में काम प्रारम्भ करा देंगे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तहसीलें अभी विभाजित नहीं हुई हैं लेकिन वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। बजट देखने से माननीय सदस्य को मालूम हो जायगा कि उसके लिये रकम भी अलग कर दी गई है।

जमाबन्दी की सूची में गलत इन्दराज

*२४—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप लगान वसूली के लिये जो भूमिधरों, सीरदारों, आदि की सूची बनी है, उसमें हजारों ऐसे किसानों का भी नाम है जिनका सम्बन्धित भूमि पर क़ब्जा नहीं है परन्तु इन्दराज की ग़लती से उनका नाम सूची में आ गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार को यह ज्ञात है कि मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में जो जमाबन्दी बनी है उनमें ऐसे लोगों का नाम भी दर्ज है जिनका सम्बन्धित भूमि पर कब्जा नहीं है मगर ऐसे इन्दराज सारे राज्य में ५ प्रतिशत से ज्यादा न होंगे।

*२५—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माल मंत्री बतायेंगे कि सरकार की इस प्रकार के झगड़े में क्या नीति होगी ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जिलाधीशों को कोई हिदायत भेजी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार की नीति यह है कि ऐसे ग़लत इन्दराज ठीक कर दिये जायं। इस सम्बन्ध में भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने दो आदेश जारी किये हैं। एक आदेश का आशय यह है कि जिला अधिकारी जमाबन्दियों के उद्धरण गांव पंचायतों को भेज दें और वे अपने हल्के के किसानों को बुला कर उद्धरण पढ़ कर सुना दें। ऐसे भूमिधर तथा सीरदार जिनका कब्जा नहीं है और जिनका नाम खतौनी की गलती से जमाबन्दी में आ गया है, इस प्रकार एक अवसर पायेंगे जिससे वे अपने नाम के इन्दराज की गलती शुद्ध करा लें। दूसरा आदेश भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने यह दिया है कि अमीन जब अपने हल्के में वसूली करने जायं तो ऐसे मामलों की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को कर दें और नायब तहसीलदार फौरी जांच करके तहसीलदार के पास भेजे। तहसीलदार गलतियों को ठीक करने की जरूरी कार्यवाही करेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि ऐसे मामलों में भी काग़ज़ात दुरुस्ती के लिये जो साधारण प्रोसीजर है वही अमल में लाया जायगा या कोई दूसरा प्रोसीजर अमल में लाया जायगा ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। जो साधारण प्रोसीजर जाब्ते से है वही अमल में लाया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को प्रान्तीय स्तर पर इस प्रकार के ग़लत इन्दराजों की संख्या मालूम है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर पहले से दिया जा चुका है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह तो, अध्यक्ष महोदय, कहीं हो सकता है। लेटेस्ट जो तमाम जिलों से रिपोर्ट्स आयी हैं.....

श्री अध्यक्ष—तो आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कर दें। पांच प्रतिशत जो दिया है उससे कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो तो बताइये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या प्रान्तीय सरकार ने इस किस्म के ग़लत इन्दराजों के मामलों की कोई अपटुडेट रिपोर्ट संख्या के बारे में तमाम जिलों से मंगाई है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। इस तरह कोई जिलेवार रिपोर्ट नहीं मंगाई गई है। ये जो पांच प्रतिशत के आंकड़े दिये गये हैं ये केवल अनुमान हैं। कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ फीसदी भी ग़लती न हो और कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें पांच प्रतिशत से ज्यादा ग़लती न हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह अनुमान कि पांच फीसदी से कम ही है इसके मानने का माननीय मंत्री जी के पास क्या आधार है ?

श्री चरणसिंह—सारे सूबे में घूमने से और राज्य के अधिकारियों से पता करने के बाद जो मेरा तजुर्बा है उसकी बिना पर यह है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि तहसीलदार का फैसला अन्तिम होगा या उसकी अपील भी हो सकेगी ?

श्री चरणसिंह—इसमें यह तो नहीं लिखा है कि तहसीलदार फैसला देगा। इसमें लिखा है कि तहसीलदार उस इन्दराज को ठीक कराने के लिये जाब्ते की कार्यवाही करेगा और वह कार्यवाही यह होगी कि वह डिप्टी कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा और डिप्टी कलेक्टर को ही फैसला देने का हक़ होगा, तहसीलदार को नहीं होगा।

*२६-२७—श्री कालिकासिंह (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २० पर]

ग्राम जुरैयां जिला कानपुर में जंगली गायें

*२८—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के जुरैयां ग्राम में कुछ गौवें जंगली हो गयी हैं और गांव की खेती को उजाड़ रही हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह सही है कि जुरैयां ग्राम में कुछ जंगली गाएं हैं जो खेती को नुक़सान पहुंचाती हैं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार इन गायों को पकड़वा कर किसानों को मुसीबत से बचायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिला मैजिस्ट्रेट गांव वालों से मिल कर इन गायों को पकड़वाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बलिया में लगान वसूली के लिये नये कर्मचारियों की नियुक्ति

*२९—श्री रामअनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में मालगुजारी वसूल करने के लिये कितने नये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और किस आधार पर ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बलिया जिले में मालगुजारी वसूल करने के लिये २०४ नये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। उनका ब्योरा इस प्रकार हैं—

कलेक्शन अफसर	१
नायब तहसीलदार (१२ महीनों के लिये)	३
नायब तहसीलदार (फसली)	४
कारणिक कर्मचारी (पूरे वर्ष के लिये)	९
कारणिक कर्मचारी (फसली)	१२
अमीन (फसली)	५५
अवर कर्मचारी	१२०
योग	२०४

अमीनों के जरिये मालगुजारी वसूल करने की इस नई योजना के संबंध में एक शासकीय आज्ञा संख्या ८४६६(१०)/१-ब, दिनांक २० अगस्त, १९५२ को जारी की गई थी उसी के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। अमीन तीन मास के लिये खरीफ की फसल में रक्खे गये हैं। वे इस आधार पर रक्खे गये हैं कि प्रत्येक को प्रतिमास ५,००० रुपया या फसल में १५,००० रुपया वसूल करना पड़े। हर आठ अमीनों के पीछे एक नायब तहसीलदार, हर छः अमीनों के पीछे एक सहायक वासिल बाकी

नवीस (मोहर्रिर) तीन मास के लिये और हर दस अमीनों के पीछे एक सहायक वासिल बाकी नवीस पूरे साल के लिये रक्खे गये हैं। प्रत्येक अमीन के साथ उसकी सहायता के लिये २ चपरासी रक्खे गये हैं। हर एक तहसील में एक एक नायब तहसीलदार पूरे साल के लिये और शेष तीन मास के लिये नियुक्त किये गये हैं। जिले में एक कलेक्शन आफिसर भी जिलाधीश का हाथ बटाने के लिये नियुक्त किया गया है।

श्री रामअनन्त पाण्डेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो नायब तहसीलदार और अमीन जिलों में रखे गये हैं उनकी शिक्षण योग्यता क्या रखी गई है ?

श्री चरणसिंह—अमीनों की शिक्षण योग्यता के संबंध में एक जवाब तो आज ही इस सदन में दिया जा चुका है जहां तक नायब तहसीलदारों का संबंध है उनके लिये इंटरमीडियेट पास करना जरूरी रखा गया था लेकिन साथ ही साथ, जैसा कि मुझे इस वक्त याद पड़ता है, यह भी अधिकार जिलाधीशों को दे दिया गया था कि जरूरत होने पर एन्ट्रेंस पास भी ले सकते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार अमीनों का नाम बदल कर ग्राम-चित्रपाल रखेगी ?

श्री चरणसिंह—ऐसा विचार नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य अमीनों का कोई अच्छा सा नाम बतायेंगे तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी।

गोरखपुर में दसगुना जमा करने वालों की सनदें

*३०—श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर जिले में ऐसे कितने लोग हैं जिनको भूमिधरी का दसगुना जमा करने पर अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ऐसी रक़म कुल कितनी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—गोरखपुर जिले की तहसील बांसगांव के ४८ खातों को छोड़ कर कोई ऐसा खाता नहीं है जिनमें दसगुना लगान जमा करने पर सनदें न दी गई हों। ये ४८ खाते विवादग्रस्त हैं और इनकी दसगुना रकम १,३४३ रु० ८ आना ३ पाई है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या यह सही है कि क्या इस १,३४७ रु० के अलावा ऐसा भी रुपया है जो दसगुना जमा करने के सिलसिले में जमा हुआ है और अब तक नहीं दिया जा सका ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—१४,८७९ केसेज में पूरा रुपया जमा नहीं हुआ इस-लिये उनको सनद नहीं दी गयी लेकिन कितनी रकम ऐसी जमा हुई यह नहीं मालूम।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि इन ४८ खातों का मामला कब तक तय हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—जब आपस के मुकदमे तय हो जायेंगे तो यह भी तय हो जायगा।

*३१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*३२—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

चल्मोड़ा घास का विनाश

*३३—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरे पिछले पूछे गये दिनांक २५ अगस्त, १९५२ के प्र० सं० ४९, ५० में जिस चल्मोड़ा घास का उल्लेख था उस घास के विनाश के लिये क्या सरकार किसी निश्चित परिणाम पर पहुंची है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तक सोडियम क्लोरेट का छिड़काव ही इस घास के विनाश के लिये सब से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसका एक्सपेरीमेंट कितनी जगह किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पचासों जगह इसका प्रयोग किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चल्मोड़ा घास को नष्ट करने के लिये सोडियम क्लोरेट सप्लाई करने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जहां कहीं पर यह चल्मोड़ा घास है उसके नष्ट करने के लिये जहां जहां से सोडियम क्लोरेट की मांग आती है उसे भेज दिया जाता है।

*३४—श्री खुशीराम—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५-३७—श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—[६ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम रामपुर मझिला, जिला फर्रुखाबाद के लिये ड्रेनेज योजना

*३८—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रामपुर मझिला, जिला फर्रुखाबाद की झील के पानी को बाहर निकालने के लिए विभाग द्वारा कोई ड्रेनेज योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसमें अब तक कहां तक प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां। ऐसी एक योजना बनाई गई थी। वह पूर्ण भी हो चुकी है।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस ड्रेनेज को बनाने में कुल कितना रुपया व्यय हुआ है और वह कितना लम्बा, कितना चौड़ा और कितना गहरा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस ड्रेनेज योजना में १,५०० रु० खर्च हुआ है जिससे २५० एकड़ जमीन काश्त के काबिल हो जायगी।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि यह योजना कार्यरूप में परिणत नहीं की गयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मेरी इत्तिला तो यह है कि यह योजना कार्यरूप में परिणत की गयी है लेकिन माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो मैं फिर उसकी जांच करा लूंगा।

सितारगंज खटीमा तहसील, जिला नैनीताल में गोचर भूमि

*३९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सितारगंज खटीमा तहसील, जिला नैनीताल में कुल जमीन में से कितनी जमीन गोचर के लिये छोड़ी गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सूचना नीचे दी हुई है—

तहसील का नाम	कुल क्षेत्रफल	क्षेत्रफल जो गोचर के लिये छोड़ दिया गया है
सितारगंज	८७,४०१ एकड़	३४,१७२ एकड़
खटीमा	८९,५७७ ,,	२९,१६० ,,

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना मिली है कि इस सितारगंज-खटीमा तहसील के जो बड़े बड़े फार्म्स हैं उन्होंने इस गोचर जमीन को जबरदस्ती जोत लिया है और तार से घेरवा कर जो थारू किसान हैं उनको चराने से इंकार किया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

*४०-४१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२-४३—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४—श्री रामअनन्त पाण्डेय—[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—[१३ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—[५ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में राप्ती नदी पर बांध बनाने का आदेश

*४७—श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अन्न सभासचिव ने देवरिया जिले के अन्न संकट काल के प्रवास के समय देवरिया जिले में राप्ती नदी पर एक बांध बनाने का आदेश दिया था ?

*४८—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त आदेश की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी ? इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अन्न संकट काल के समय में अन्न सभा सचिव ने आदेश दिया था कि देवरिया जिले में राप्ती नदी के बांध की मरम्मत तथा उसे बढ़ाने का काम टेस्ट वर्क्स के रूप में किया जाय। परन्तु शुरू में राप्ती नदी में बाढ आने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका। उसके पश्चात् अन्न संकट की स्थिति न रहने पर टेस्ट वर्क्स सम्पूर्ण जिले में बन्द कर दिये गये, अतः इस आदेश को कार्यान्वित करने का प्रश्न ही न रहा।

*४९—श्री रामजी सहाय—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त राप्ती कछार क्षेत्र में इस वर्ष भी बाढ़ आयी थी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री रामजी सहाय—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त राप्ती कछार क्षेत्र में बाढ़ आने से अन्न की अपार क्षति हुई और जिससे अन्न संकट और बढ़ गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बाढ़ आने से अन्न की क्षति होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन बाढ़ आने के पश्चात् जो जमीन अच्छी हो जाती है उससे पैदावार भी अच्छी हो जाती है।

श्री रामजी सहाय—क्या सरकार निकट भविष्य में उस बांध के बनाने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह—इससे संबंधित मुहकमे को अर्थात् इंजीनियरिंग विभाग को लिखा गया है कि वह इस राप्ती नदी के बांध के संबंध में तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट दे कि आया वह बांध का बनाना जनहित में होगा या नहीं ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इन बाढ़ों को इन्करेज करने के लिये कोई प्रबन्ध कर रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*५०-५२—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

(देखिये आगे पृष्ठ २०-२१ पर।)

*५३-५४—श्री राजवंशी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

(देखिये आगे पृष्ठ २१ पर।)

गांव समाजों के लिये भूमि-प्रबन्धक कमेटी

*५५—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी गांव समाजों की भूमि-प्रबन्धक कमेटियों का प्रधान किस गांव सभा का होगा कि जिस गांव सभा के क्षेत्र में अनेकों गांव सम्मिलित हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—एक गांव सभा में कई गांव समाज भी हो सकते हैं। प्रत्येक गांव समाज के लिये एक भूमि-प्रबन्धक कमेटी होगी। गांव समाज के क्षेत्र में रहने वाले गांव पंचायत के सभी सदस्य गांव समाज की भूमि-प्रबन्धक कमेटी के सदस्य होंगे। यदि उनकी संख्या ५ से कम होगी तो बाकी सदस्य उसी गांव समाज क्षेत्र में से कलेक्टर द्वारा नामजद किये जायेंगे। यदि गांव पंचायत का प्रधान या उपप्रधान किसी भूमि-प्रबन्धक कमेटी का सदस्य होगा तो वह भूमि-प्रबन्धक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा, अन्यथा कमेटी के सदस्य स्वयं अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को बहुमत द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लेंगे।

*५६—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव समाजों की भूमि-प्रबन्धक कमेटियों को जो आदेश उसकी या Land Reforms Commissioner की ओर से भेजे जाते हैं उनके बंटवाने का क्या प्रबन्ध है और उसका कार्य किस विभाग द्वारा होता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अभी तक जो आदेश कलेक्टरों के पास गये हैं वह भूमि-प्रबन्धक कमेटियों के पास पंचायत अधिकारियों द्वारा या भूमि अभिलेख Land (Records) कर्मचारियों द्वारा पहुंचाये गये हैं। ऐसे कर्मचारियों का व्यय संबंधित विभाग द्वारा हुआ है। अब यह निर्णय हो चुका है कि लेखपाल भूमि-प्रबन्धक कमेटी का मंत्री होगा। अतएव अब ऐसे सभी आदेश माल विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही भूमि-प्रबन्धक कमेटियों तक पहुंचाये जायेंगे।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में ऐसे कितने गांव समाज हैं कि जिनमें २ या २ से अधिक गांव सभाओं के क्षेत्र शामिल हैं ?

श्री चरणसिंह—कदाचित् ही ऐसा कोई होगा । अगर ऐसा है, तो गवर्नमेंट के नोटिस में वह नहीं आया है ?

* * * *

आजमगढ़ में पशु-चिकित्सालयों की संख्या

*२६—श्री कालिका सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने वेटेरिनरी अस्पताल, किस किस तहसील में और किस किस स्थान पर हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आजमगढ़ जिले में कुल ४ वेटेरिनरी अस्पताल हैं। यह निम्नलिखित स्थान व तहसील में हैं:—

स्थान	तहसील
(१) आजमगढ़	आजमगढ़
(२) घोसी	घोसी
(३) फूलपुर	फूलपुर
(४) मऊ	मोहम्मदाबाद

*२७—श्री कालिका सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार तहसील लालगंज के हेडक्वार्टर्स पर वेटेरिनरी अस्पताल १९५३–५४ ई० में खोलने का विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं। ऐसा कोई प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन नहीं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि क्षेत्रफल तथा आबादी के अनुपात से इन अस्पतालों की संख्या बहुत कम है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय इन अस्पतालों की संख्या बढाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस समय जो वेटेरिनरी हास्पिटल्स के लिये वेटेरिनरी असिस्टेंट्स की जरूरत होती है, उनकी काफी कमी है और प्रयत्न किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वेटेरिनरी कालेज से ऐसे डाक्टर निकलें और इस प्रबन्ध के हो जाने पर जहां भी सूबे में कमी है उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जायगी।

* * * *

जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद के चपरासी का ड्यूटी पर क़त्ल

*५०—श्री रामसुन्दर राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ता० १०–१२–५२ को बस्ती जिले के तहसील खलीलाबाद का चपरासी सरकारी ड्यूटी पर काम करते हुये मारा गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं। जिला बस्ती की तहसील खलीलाबाद का कोई चपरासी सरकारी ड्यूटी पर काम करते हुये नहीं मारा गया है। ईश दत्त नाम के चपरासी

नोट—तारांकित प्रश्न २६ व २७ श्री व्रजविहारी मिश्र ने पूछे।

नोट— तारांकित प्रश्न ५० व ५२ श्री शिवनारायण ने पूछे।

और उसी के गांव के एक दूसरे निवासी के बीच खेत की सिंचाई के संबंध में १०-१२-५२ को अवश्य कुछ मारपीट हुई।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि उक्त चपरासी का खलीलाबाद से ट्रान्सफर कर दिया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसकी इत्तला नहीं है।

*५१—श्री रामसुन्दर राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि उपर्युक्त चपरासी ने कोई आवेदन-पत्र तहसीलदार, खलीलाबाद के यहां दिया है जिसमें यह भी दिखाया है कि थानेदार धनघटा ने रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया था ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उपर्युक्त चपरासी ने एक निवेदन-पत्र तहसीलदार, खलीलाबाद के यहां दिया था।

*५२—श्री रामसुन्दरराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त घटना के संबंध में क्या हो रहा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—थानेदार धन घटा ने ईश दत्त की रिपोर्ट ३२३ दर्ज रोजनामचा कर लिया था और तहसीलदार खलीलाबाद ने भी ईश दत्त के आवेदन-पत्र को उचित कार्यवाही के लिये परगनाधीश के पास भेज दिया था परन्तु इस मामले पर कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की गई क्योंकि जुर्म नाकाबिल दस्तअन्दाजी पुलिस (Non-Cognigable) था और आवेदन-पत्र वास्तविकता के विरुद्ध था।

मशीन द्वारा सिंचाई की सुविधा

*५३—श्री राजवंशी—क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि मशीन द्वारा सिंचाई की सुविधा के लिये छोटे पैमाने पर किसानों को सहायता देने की क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—तालाबों, छोटी नदियों, झीलों व कुओं से पानी उठाकर सिंचाई करने के लिये शासन की ओर से २०० पम्पिंग सेट रक्खे गये हैं जो आवश्यकतानुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते ह। इस योजना के अतिरिक्त एक और योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार किसानों की सुविधा के हेतु उनके लिये पक्के कुओं व तालाबों इत्यादि पर पम्पिंग प्लान्ट लगवाये जायेंगे और एक साल तक उन प्लांटों की देखरेख व मरम्मत भी की जायगी। इन प्लांटों के लगाने में जो खर्च होगा वह संबंधित किसानों से किस्तों में वसूल किया जावेगा।

*५४—श्री राजवंशी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रेहट की क्या कीमत इस समय है और उसमें सरकार सहायता के रूप में कितनी रकम देती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—एक रहट का मूल्य लगभग ४०० रुपया होता है। रहट के मूल्य की आधी रकम तकावी ऋण के रूप में दी जा सकती है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—बाज सवालात आज ऐसे हो गये हैं जिनका ताल्लुक अवाम से बहुत ज्यादा है। जैसे उतरौला तहसील की तकसीम। उससे ताल्लुक रखने वाले खड़े हुये, मगर जरा जल्द खत्म हो गया। और वह इतना अहम है कि अगर उसको दोबारा फिर यहां ले कर और मजीद हालात मालूम करने की इजाजत मिले तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी से आप और हालात मालूम कर सकते हैं क्योंकि एक तहसील का बटवारा होना मैं नहीं समझता हूं कि इतने महत्व का होता है जिस पर बहुत ज्यादा बहस होने की आवश्यकता है। वह सवाल तो थोड़े में पूछा जा सकता है।

नोट—तारांकित प्रश्न ५३ से ५४ तक श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

अध्यापक मंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी तथा हिन्दू महासभा की बैठक के संबंध में तीन कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज तीन कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री मदनमोहन उपाध्याय जी का है और एक श्री झारखंडेराय जी का है।

वे इस विषय में हैं। मैं सदन को बता देना चाहता हूं। वे अध्यापक मंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में हैं।

जहां तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है, रोजाना गिरफ्तारियां जो होती हैं वह रोजाना इन्तजाम का मसला है। उस संबंध में सरकार से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं आता। हां, अध्यापकों की मांगों के संबंध में या कोई नीति के संबंध में चर्चा अवश्य हो सकती है और वह चर्चा इस संबंध में हो चुकी है। नियमों के अनुसार कोई भी चर्चा जो सदन में किसी सेशन में हो जाती है उसकी रिवाइव नहीं की जा सकती, दोबारा उसको नहीं ला सकते। इसलिये मैं इन दोनों कामरोको प्रस्तावों की इजाजत इस विषय पर नहीं देता हूं। क्योंकि जहां तक नीति का संबंध है उसके क्या परिणाम होंगे, सब तरह की बातें दो दो, तीन तीन मर्तबा विचार में आ गयी हैं। अब उसके बाद जो निश्चय हो, हो। लेकिन उसके परिणाम जो रोजाना होते चले जायेंगे और उन परिणामों की वजह से जो नयी स्थिति आ जायेगी, अगर उसके ऊपर विचार करना शुरू करें तो जब तक सत्याग्रह चलता रहेगा और कुछ घटना होगी, तब तक रोजाना ही सदन में उस पर विचार होता रहेगा क्योंकि रोजाना इंतजाम से उसका संबंध है।

तीसरा प्रस्ताव.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—मैं उसके लिये फैसला दे चुका हूं। मैं इसका भी फैसला दे दूं उसके बारे में पूछना है तो मैं इसका भी फैसला दे दूं उस वक्त आप पूछ लें।

तीसरा श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा जी का है। लखनऊ नगर में हिन्दू सभा की मीटिंग होने वाली थी, उसके बारे मैजिस्ट्रेट ने कोई हुक्म दे दिया कि फलां फलां मीटिंग में न बोलें। यह अनिश्चित सा है। अनिश्चित होने के कारण इसके लिये भी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

(श्री मदनमोहन उपाध्याय से) अब आप जो पूछना चाहें पूछें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे कामरोको प्रस्ताव पर जो जो रूलिंग दी है वह मुझे स्वीकार है, पर मैं यह चाहता अवश्य था अगर आप मुझे इजाजत दे देते, आज नहीं कल ही सही, मैं उसके महत्व को समझा सकता। क्योंकि मुख्य मंत्री और विरोधी दल के नेता की बातचीत चल रही थी, कुछ बातें आशाजनक थीं भी और हम समझते थे कि समस्या हल हो जायगी और मैं नहीं चाहता था कि उसको कोई पोलिटिकल ईशू प्रान्त के अन्दर बनाया जाय और इस सदन के सभी माननीय सदस्य चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप जो चाहते हैं, मैं समझ गया। आप तशरीफ रखें तो मैं आपको जवाब दूं। उस संबंध में मैं समझता हूं कि स्वयं सदन हमदर्दी जाहिर कर चुका है कि यह झगड़ा खत्म हो जाय तो अच्छा है। तो जो बातचीत चली हुई है उस विषय में दोनों पार्टी, विरोधी दल और सरकार, मिल कर कोई विचार विनिमय इस सदन में करे तो वह चीज आ सकती है। लेकिन जब तक यह चीज नहीं होगी तब तक मैं तो अपना निश्चय बता चुका कि सत्याग्रह के संबंध में रोजाना जो चीजें होंगी उस विषय में रोज-रोज कामरोको प्रस्ताव लाकर काम नहीं रोका जा सकता। अगर विशेष महत्व की बात आती है और आपस में तस्फिया हो जाय तो मैं ५ बजे के बाद कुछ समय दे दूंगा।

दूसरा तरीका और भी है। वह है प्रश्नों का। छोटे-मोटे मामले पर अगर आपको बहस करना है तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दें और उनके ऊपर फिर विचार करने के लिये जो नियम की बयालीसवीं दफा है उसके अनुसार मैं अधिकार दे दूंगा कि आप ५ बजे के बाद प्रकाश डालें। लेकिन कामरोको प्रस्ताव का जो तरीका है उसको इस प्रकार की बातों में काम रोकने के लिये मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—आपकी इजाजत से मैं इतना ही कह देना चाहता हूं और वह मुख्य मंत्री जी की तरफ से साधिकार कहना चाहता हूं कि उनसे जिस किसी से जो कोई भी बात हुई हो, मगर उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिससे यह मतलब लगाया जाय कि माननीय शिक्षा मंत्री या स्वायत्त शासन मंत्री ने जो कुछ कहा उससे एक कदम भी आगे जाने वाली हो। अगर उन्हीं पुरानी बातों का दोहराया जाना आशाजनक समझा जाय तो दूसरी बात है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अभी माननीय गृहमंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जो साधिकार बताया तो उस संबंध में मैं खुद माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गया हुआ था। आपके द्वारा मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे यह साबित होता हो कि शिक्षा मंत्री या स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री ने जो कुछ पहले कहा था उससे वह आगे जाने का कोई आश्वासन है, मगर हमने उनके सामने जो सुझाव रखा उस सुझाव पर यह बात तय हुई थी कि रात को माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर विचार करेंगे और प्रातःकाल संटरडे के दिन (शनिवार को) राजाराम जी शास्त्री, एम० एल० सी० फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलेंगे और उस पर जो वह विचार किये रहेंगे उससे वह उन्हें अवगत करायेंगे और हमने जो सुझाव रखा था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस सुझाव के संबंध में कभी नहीं कहा कि वह अनर्गल है या माने जाने के योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब आपको अधिक ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सुझाव को सहानुभूति से विचार करने का उन्होंने मौन आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे चुके।

विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—अब मैं सदन को सूचना दे देना चाहता हूं। हमारे यहां २३ स्थायी समितियां हैं। उनमें से २२ समितियों की नामजदगी तो हो गयी है, लेकिन तेईसवीं जो कमेटी है उसके लिये नामजदगी किसी सदस्य ने नहीं कराई। तो उसके लिये मैं यह कार्यक्रम निश्चित करता हूं कि २० मार्च, सन् ५३ को ३ बजे तक नाम निर्देशनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि और नाम निर्देशनपत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २० मार्च को ४ बजे तक होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि २१ मार्च को ३ बजे और निर्वाचन की तिथि अगर निर्वाचन की आवश्यकता पड़े तो २४ मार्च को ११ बजे से ३ बजे तक रहेगी। अब चूंकि १२ बज चुका है तो मैं जो १६ कमेटियां निर्विरोध चुनी गई हैं जिनमें कि १४ नाम आये हैं उनके नाम तो कल सुना दूंगा क्योंकि उनके विषय में यह तो प्रश्न उठता नहीं कि उनमें किसी को नाम वापस लेना हो, लेकिन जितनी कमेटियां ऐसी हैं कि जिनमें १४ से ज्यादा नाम आये हैं उनके नाम मैं अभी सुनाये देता हूं और जो कोई सज्जन अपना नाम वापस लेना चाहें तो उनको वापस लेने का अधिकार २० तारीख को ३ बजे तक रहेगा। तो मैं वह नाम सुनाये देता हूं:—

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति

१—श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, मुजफ्फरनगर
२—श्री परमानन्द सिनहा, इलाहाबाद
३—श्री रामजी लाल सहायक, मेरठ
४—श्री अवधेश चन्द्र सिंह, फर्रुखाबाद
५—श्री बाबू लाल मीतल, आगरा
६—श्री शिवमंगल सिंह बलिया
७—श्री गणेश चन्द्र काछी, मैनपुरी
८—श्री राजाराम अरोरा, अलीगढ़
९—श्री राजाराम शर्मा, बस्ती
१०—श्री कृष्ण स्वरूप भटनागर, बुलन्दशहर
११—श्री हमीद खां, कानपुर
१२—श्री गणेश प्रसाद पांडेय, गोरखपुर
१३—महाराजकुमार बालेन्दु शाह, टेहरी-गढ़वाल
१४—श्री राजनारायण, बनारस
१५—श्री झारखंडे राय, आजमगढ़
१६—श्री जोरावर वर्मा, हमीरपुर।

ये १६ नाम हैं। इनमें दो नाम अगर वापस ले लिये जाते हैं तो निर्विरोध निर्वाचन होगा।

पुलिस स्थायी समिति

१—श्री रामनरेश शुक्ल, प्रतापगढ़
२—श्री कृष्णचन्द्र गुप्त, सीतापुर
३—श्रीमती प्रकाशवती सूद, मेरठ
४—श्री सूरज प्रसाद अवस्थी, कानपुर
५—श्री भगवान सहाय, शाहजहांपुर
६—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय, गोरखपुर
७—श्री नरोत्तम सिंह, बदायूं
८—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी, गोंडा
९—श्री मोहनलाल, उन्नाव
१०—श्री संग्रामसिंह, इलाहाबाद
११—श्री दीपनारायण वर्मा, जौनपुर
१२—श्री सीताराम शुक्ल, बस्ती
१३—श्री रामसुन्दर पांडेय, आजमगढ़
१४—श्री सुरेश प्रकाश सिंह, सीतापुर
१५—श्री जोरावर वर्मा
१६—श्री तेजबहादुर

ये १६ नाम हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) स्थायी समिति

१—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, फर्रुखाबाद
२—श्री दल बहादुर सिंह, रायबरेली
३—श्री भुवर जी, इलाहाबाद
४—श्री पुद्दनराम, बस्ती
५—श्री बद्रीनारायण मिश्र, देवरिया
६—श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र, हरदोई
७—श्री मुश्ताक अली खां, बदायूं
८—श्री गुप्तार सिंह, रायबरेली
९—श्री मेहरबान सिंह, इटावा
१०—श्री दाताराम, सहारनपुर
११—श्री गंगाधर जाटव, आगरा
१२—श्री राजाराम शुक्ल, प्रतापगढ़
१३—श्री जटाशंकर शुक्ल, उन्नाव
१४—श्री बैजनाथ सिंह, बलिया
१५—श्री जोरावर वर्मा, हमीरपुर

इस तरह से १५ नाम हैं। एक नाम अगर वापस ले लिया जाय तो बाकी निर्विरोध होंगे।

वन स्थायी समिति

१—श्री जगपत सिंह, बांदा
२—श्री राम सहाय शर्मा, झांसी
३—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, नैनीताल
४—श्री महादेव प्रसाद, गोरखपुर
५—श्री चुन्नीलाल सगर, बदायूं
६—श्री रामप्रसाद नौटियाल, गढ़वाल
७—श्री रामप्रसाद सिंह, गोरखपुर
८—श्री महमूद अली खां, रामपुर
९—श्री यमुना प्रसाद, बहराइच
१०—श्री खुशीराम, अल्मोड़ा
११—श्री रघुराज सिंह, गोंडा
१२—श्री सियाराम चौधरी
१३—श्री हरिप्रसाद, पीलीभीत
१४—श्री डल्लाराम, सीतापुर
१५—श्री जोरावर वर्मा

ये १५ नाम इसमें भी हैं।

विधान सभा

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति

१—श्री सियाराम गंगवार, फर्रुखाबाद
२—श्री देवमूर्ति शर्मा, बनारस
३—श्री जगन्नाथ सिंह, बलिया
४—श्री चन्द्रपाल बाजपेयी, रायबरेली
५—श्री श्रीपति सहाय, हमीरपुर
६—श्री लुत्फ अली खां, मेरठ
७—श्री फतेह सिंह, एटा
८—श्री रामहेत सिंह, मथुरा
९—श्री नेत्रपाल सिंह, अलीगढ़
१०—श्री शंकर लाल, सुल्तानपुर
११—श्री रामकुमार शास्त्री, बस्ती
१२—श्री शिवप्रसाद , देवरिया
१३—श्री अवध शरण शर्मा, बाराबंकी
१४—श्री बेनीसिंह, कानपुर
१५—श्री झारखंडेराय, आजमगढ़

इसमें भी १५ नाम हैं। एक नाम वापस लेना है।

विकास व नियोजन स्थायी समिति

१—श्री शिवनाथ काटजू, इलाहाबाद
२—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, मथुरा
३—श्री चन्द्रहास, हरदोई
४—श्री फतेह सिंह राणा, मेरठ
५—श्री पद्मनाथ सिंह, आजमगढ़
६—श्री शिवस्वरूप सिंह, मुरादाबाद
७—श्री बृजभूषण शर्मा, मिर्जापुर
८—श्री चिरंजी लाल पालीवाल, फर्रुखाबाद
९—श्री सुन्दरलाल, बरेली
१०—श्री उल्फत सिंह चौहान, आगरा
११—श्री नेकराम शर्मा, अलीगढ़
१२—श्री तुलसी राम, बदायूं
१३—श्री मंजूरुल नबी, सहारनपुर
१४—श्री मदनमोहन उपाध्याय, अल्मोड़ा
१५—श्री झारखंडेराय, आजमगढ़

ये १५ नाम हैं। इनमें भी एक नाम वापस लेना है।

१६ कमेटियां जिनमें १४ सदस्य निर्विरोध चुने गये, उनके नाम मैं कल सदन में बता दूंगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये विचार होगा। इस संबंध में समय निश्चित करना है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ८ पर पौन घंटा, अनुदान संख्या ११ पर १ घंटा और अनुदान संख्या २६, २७ और ४८ को एक में मिला दिया जाय और बाकी समय में ये तीनों एक साथ ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—पहले के लिये ४५ मिनट, दूसरे के लिये १ घंटा और २६, २७ और ४८ एक साथ ले लिये जायं और इनके लिये कितना समय रहेगा?

श्री जगन्नाथ मल्ल—जितना बाकी समय आज मिले।

श्री अध्यक्ष—यह आपको मालूम है कि ये सब जितने अनुदान हैं इन पर तीन दिन का समय है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—बाकी दो दिन में ले लिये जायं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या २६, २७ और ४८ जो विद्युत से संबंध रखने वाले हैं इन तीनों को आज ले लिया जाय। अनुदान संख्या ८, ११, ३८, ५० और ५२ कल ले लिये जायें। जो अनुदान सार्वजनिक निर्माण के संबंध में बाकी रह गये वे परसों ले लिये जायं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं जो बलवन्त सिंह जी ने कहा उसमें कल के लिये जो अनुदान हैं वे इतने महत्वपूर्ण नहीं जिन पर पूरा दिन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप आज के अनुदान को महत्वपूर्ण समझते हैं?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने कल के लिये कुछ तय नहीं किया है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—कल सुबह की बैठक में जो माननीय वित्त मंत्री जी के अनुदान बाकी रहते हैं वे ले लिये जायं और फिर सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी के अनुदान ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—माननीय जगन्नाथ मल्ल जी, आपको माननीय बलवन्त सिंह जी के सुझाव को मानने में कोई परेशानी है?

श्री जगन्नाथ मल्ल—परेशानी है।

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रकार समय नियत करता हूं। अनुदान संख्या ८ के लिये ४५ मिनट, अनुदान संख्या ११ के लिये एक घंटा, बाकी आज का समय अनुदान संख्या २६, २७ और ४८ पर लिया जायगा।

कटौती के प्रस्ताव के लिये अनुदान संख्या ८ और ११ में १० मिनट समय दिया जायगा और बाकी लोगों को पांच मिनट।

अनुदान संख्या २६, २७ और ४८ एक साथ लिये जायेंगे। इसमें कटौती के प्रस्ताव के लिये १५ मिनट और बाकी लोगों के लिये १० मिनट दिये जायंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, क्या यह २६,२७ और ४८ आज ही समाप्त हो जायेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—कल एक घंटा और टाइम दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो माननीय बलवन्त सिंह जी का जो सुझाव था वह क्या बुरा था?

श्री जगन्नाथ मल्ल—उसमें दिक्कत यह है कि शुरू से ही लोग तैयार हो करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये जो निश्चय हो गया वह हो गया और कोई रास्ता नहीं है।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८ (लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क) के अन्तर्गत २७,५०,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस मांग में जो चीजें शामिल हैं वह यह हैं कि जो इंटरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स को वसूल करने पर खर्चा होता है, एक तो वह खर्चा है और एक है मोटर स्प्रिट टैक्स, उस पर जो टैक्स वसूल किया जाता है उसके वसूली का खर्चा है। और सेल्स टैक्स जो है उसके रियलाइजेशन का खर्चा इसमें है। इलेक्ट्रिक इन्सपैक्टर का दफ्तर है, उसका मुहकमा है, उस मुहकमे के जो अखराजात होते हैं, वह उसके अन्दर हैं। रेटिंग कमेटी एक होती है। सन् १९४८ ई० का जो सप्लाई ऐक्ट है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का बनाया हुआ, उसमें कम्पनी के लाइसेन्सीज को यह हक दिया गया है कि वे अगर चाहें तो दरख्वास्त कर सकते हैं कि एक रेटिंग कमेटी बिठला करके उसके जरिये से यह जांच कराई जाय। और जो कुछ कीमत बिजली की उनको इस वक्त मिल रही है, वह रेट्स ठीक है या नहीं, उनमें कोई इजाफा होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, यह उस ऐक्ट में एक दफा है उसकी रू से जो कोई दरख्वास्त देता है उसकी कमेटी, रेटिंग कमेटी कहलाती है, वह बैठकर काम करती है और तहकीकात करती है। तो उसके ऊपर खर्चा कुछ न कुछ होता ही रहता है जबसे कि वह ऐक्ट बना है, उसके लिये इसके अन्दर रुपया रखा हुआ है।

मेरा ख्याल तो पहले यह था कि मैं इन बातों की बाबत और बिलखुसूस सेल्स टैक्स की बाबत कुछ वादे ऐवान के सामने रखूंगा लेकिन जो वक्त इसको इस सदन ने दिया है वह मेरे नजदीक इतना काफी नहीं है कि मैं उसमें से खुद भी काफी हिस्सा ले लूं और उसके बाद फिर मेम्बरान के लिये इतना वक्त न बचे जिसमें वह कुछ अपने ख्यालात इस मामले में पेश कर सकें। तो इसलिये मैं कुछ ज्यादा कहे बगैर इतना अर्ज करता हूं कि वैसे तो इसमें खर्चा है टैक्सों के वसूल करने का। इनमें से उन टैक्सों की बाबत कुछ कहा जा सकता है जोकि टैक्स वसूल हो रहे हैं और जो बातें ऐवान में मेरे सामने लायी जायंगी, गवर्नमेंट की तरफ से मैं उनके मुताल्लिक जो कुछ भी मुनासिब जवाब होगा, दूंगा। जहां तक इन खर्चों का ताल्लुक है, इन खर्चों को उस आमदनी से कि जो टैक्सेज हो रहे हैं, मुकाबला करके यह देखा जाय कि कितना खर्चा उस आमदनी के मुकाबले में आकर के पड़ता है। इसमें खर्चे को अगर हमें देखना हो तो मैं उसकी निस्बत यह अर्ज करूंगा कि जो बजट की किताब है उसमें रिसीट्स के अन्दर सब आमदनी लिखी हुई है कि कितनी आमदनी होती है और खर्चा इस ग्रांट के अन्दर लिखा हुआ है। जो ग्रांट इस वक्त मैंने पेश की है, उससे ही मैंने निकाली है और उसकी निस्बत मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जहां तक इंटरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स का ताल्लुक है उसकी वसूली के ऊपर खर्चा ढाई परसेन्ट है। और यह जो मोटर स्प्रिट है, इस पर टैक्स की वसूली आधा परसेंट

है। सेल्स टैक्स का है ४.२ और इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो पिछले साल इम्पोज की गई थी उसकी वसूलयाबी पर खर्चा होता है २ १/४ परसेंट। अब इसकी बाबत दूसरी बात यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जब से गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स लगाया है उसने इनसे इस बात की कोशिश की है कि इसके जो रिगर्स हैं या हो सकते हैं, जहां तक हो उन्हें कम किया जाय। जहां तक लगाने का ताल्लुक है कम से कम मैं और हर वह आदमी जो इससे इत्तिफाक करता है यह मानेगा कि हमें तो कोई ऐसा हिस्सा हयूमनवर्ल्ड का मालूम नहीं जहां कि सैल्स टैक्स न लगता हो। रूस है वहां के कामों को और करने वालों को बहुत अच्छा समझते हैं, वहां भी ५० परसेंट सेल्सटैक्स की आमदनी से आता है। अमेरिका में यह लगता है, कैनेडा में वह लगता है, इंग्लैन्ड में वह लगा हुआ है और कहां के मुल्कों के नाम मैं लूं। बीफ़ली मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि यूरोपियन कांटीनेंट जो हैं उस पर शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जिसके अन्दर सेल्सटैक्स लगा हुआ न हो। अभी हिन्दोस्तान का पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसमें भी लगा हुआ है। हिन्दुस्तान में किसी भी स्टेट को देखिये, तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई स्टेट बची हो। मेरे पास ये नाम हैं मैं पढ़ देता, लेकिन वक्त बचाने की गरज से छोड़ देता हूं। मैं इससे यह नतीजा निकालता हूं कि दुनिया यह चाहती है कि किसी सरकार को आमदनी पैदा करने के लिये इस टैक्स को वसूल करना चाहिये।

रिगर्स के मुताल्लिक जहां तक यू० पी० का ताल्लुक है, उसमें अपने कानून में हमने यह अख्तियार गवर्नमेंट को दिया है कि वह १२,००० से ऊपर साल भर की बिक्री पर टैक्स लगा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसे १२,००० नहीं, बल्कि १५,००० रुपये से ऊपर ही लगाया है तो आज हमारी स्टेट में कोई आदमी जिसकी बिक्री साल भर की १५,००० रुपये की या उससे ऊपर की नहीं है, वह सेल्स टैक्स नहीं देगा। इसके अन्दर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचने वालों का और उन चीजों का जो उनके यहां बिकती हैं निकाल दिया जाता है। इसका मुकाबला दूसरी जगहों से करें तो कहीं ५, कहीं ८ और कहीं ७ ही हजार है। एक या दो मिसालें ऐसी भी हैं, मसलन् बम्बई में २०,००० है। लेकिन उसके साथ साथ वहां एक स्पेशल और एक जनरल टैक्स हैं। जनरल में २० हजार और स्पेशल में ५ हजार है। लेकिन हमारे यहां एक यूनीफार्म दिया है। दूसरी बात मुस्तसना चीजों की है कि कितनी चीजों पर लगाया गया है और कितनी पर नहीं। जिस वक्त शुरू में कानून बना था उस वक्त उसके अन्दर २५ चीजें मुस्तसना थीं और आज ५६ हैं जो मुस्तसना है और जिनपर टैक्स नहीं लगा। फिर शरह मुकर्रर तीन पाई है। किसी चीज पर ६ पाई है और ९ पाई भी है लेकिन जेनरली ३ पाई है। आमदनी जो होती है उसकी यह हालत है कि सिर्फ ५ करोड़ है जबकि बम्बई को १५ करोड़ से ऊपर, मद्रास को १७ करोड़ से ऊपर और बिहार जो हमारा पड़ोस का सूबा है और जिसमें १२ जिले हैं उसको १२ जिलों से ५ करोड़ रुपये आमदनी होती है सेल्सटैक्स से और हमारे यहां ५२ जिले, इतना बड़ा रकबा, इतनी बड़ी साढ़े छै करोड़ की आबादी, यह सब कुछ होने पर भी हमारी आमदनी सिर्फ ५ करोड़ रुपये है। देने के लिये मैंने अर्ज किया है कि गवर्नमेंट की हमेशा इस बात पर नजर रही है कि टैक्स इस तरह से लगे कि उसके जरिये से कोई हार्डशिप न होने पावे और इस बीच में वक्तन् फवक्तन जितने आदमी रिप्रेजेंटेशन में मुख्तलिफ चीजों के मुताल्लिक उनके मुताल्लिक गौर करके टैक्स छोड़ा भी, रेमिशंस भी दिये और कनवर्सन्स इस माने में कि टैक्स के बजाय फी लागू कर दिया। कानून के अन्दर उसका प्राविजन है। जो ५६ चीजें ऊपर मैंने बताई जिनको मुस्तसना किया गया है उनमें १७ ऐसी चीजें भी हैं। जिन पर टैक्स था उस को छोड़कर फी लगा दी, जो बहुत थोड़ी है। गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करती है कि जहां तक मुमकिन हो कम से कम पैसा उसके जरिये से वसूल किया जाय और लोगों को उसके जरिये से तकलीफ न होने पावे और बेंचने वाले लोग किसी किस्म की दिक्कत में मुब्तिला न हों और इंडस्ट्री पर भी कोई ऐसा भार न पड़े जिससे वह तबाह और बरबाद हो जाय। तो इस तरह से टैक्स लगाया जाता है और उसके लिये रुपया मांगा गया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

उसकी निस्बत ज्यादा कहना नहीं है। बाद को जब मेम्बर साहबान जो कहेंगे उसकी निस्बत अर्ज कर दूंगा।

इलैक्ट्रिसिटी इन्सपेक्टर का जो दफ्तर है और उसके जो ओहदेदार हैं वह इसलिए हैं कि सन् १० का केन्द्रीय सरकार का एक ऐक्ट है उसके अन्दर क्या-क्या पाबन्दियां होनी चाहिये और किन-किन पाबन्दियों के साथ बिजली का इस्तेमाल होना चाहिये। उसके मातहत नियम बने हुये हैं। सन् १९४८ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक नया ऐक्ट पास किया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई बिल। उसके मुताबिक निगरानी करनी होती है कि उन बातों पर अमल उन कानूनों के मुताबिक हो रहा है या नही। यह काम एलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का है। उसके पास जो ओहदेदार रहते हैं वह इसी काम के लिये रहते हैं और वह सब जगह जाकर देखते हैं कि जो कायदे बिजली के हैं उनके मुताबिक काम होता है या नहीं और अगर नहीं होता तो उसकी गिरफ्त करते हैं। इसलिये इसके मातहत लाख डेढ़ लाख जो बिजली के लिये पिछले साल टैक्स लगाया गया है उसको जरूर वसूल किया जायगा। उसकी वसूली का स्टाफ जो है उसमें ४ नये असिस्टेंट इंजीनियर्स और दिये गये हैं इस काम के वास्ते जो उसके हिसाबात रखेंगे अपने यहां टैक्स के मुताल्लिक उसकी जांच वगैरह के मुताल्लिक बहुत से काम हैं और उसके लिये इस तमाम सूबे को ४ हिस्सों में करके एक-एक हिस्से को एक-एक असिस्टेंट इंजीनियर के सुपुर्द कर दिया गया है। यह स्टाफ भी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के साथ होंगे और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके मुताल्लिक कुछ खास कहने की जरूरत हो।

तो मैं समझता हूं कि मैंने इतना अर्ज कर दिया है वह काफी है और अब जो होगा मेम्बरान साहबान को सुनकर उसके मुताल्लिक अर्ज कर दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी का प्रस्ताव करता हूं।

वास्तव में इस अनुदान में बहुत से सिद्धांतों का प्रश्न है। समय की कमी के कारण सभी पर तो प्रकाश डाला नहीं जा सकता है लेकिन मैं एक बात माननीय मंत्री महोदय की सेवा में उपस्थित करना चाहता हूं। वह टैक्सेज के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है क्योंकि मोटर व्हीकिल्स टैक्सेज के अलावा सेल्स टैक्स और इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स वगैरा इस प्रकार के टैक्स इस अनुदान में हैं। हम देखते हैं कि जहां एक ओर सरकार की नीति टैक्सेज की दर बढ़ाने की रही है। जैसे सेल्स टैक्स के लिये तो सरकार ने यह समझ लिया है कि यह दुधारू गाय की तरह है। जिस समय उसकी आवश्यकता हो दुह लिया जाय और मल्टी परपजेज और सिंगल परपजेज कर लिया जाय या उसको घटा बढ़ा दिया जाय और इस प्रकार से टोटल रेवेन्यू बढ़ा दी जाय। लेकिन मेरा यह कहना है कि टैक्सेज की दर बढ़ा देने से और ऐडमिनिस्ट्रेशन के ठीक न होने पर आमदनी घट जाया करती है। इसकी मिसाल हमें बजट से मिलती है जहां सरकार ने टैक्सेज की दर को बढ़ाया और ऐडमिनिस्ट्रेशन में इनएफीशियेन्सी हुई, स्लेकनेस रही और इवेजन को रोकने की कोशिश नहीं हुई तो रेवेन्यू घट जाती है।

सन् १९४९–५० में अदर टैक्सेज से आमदनी ९ करोड़ ५७ लाख रुपये हुई। इससे अगले वर्ष १९५०–५१ में यह आमदनी इससे घटकर केवल ८ करोड़ २१ लाख रुपये रह गई यानी सब मिलकर एक करोड़ ३६ लाख रुपये का नुकसान सरकार को हुआ। एक ही साल में यह नुकसान बहुत कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी, स्लैकनेस और इवेजन न रोकने की वजह से हुआ।

दूसरी मिसाल लीजिये। फिर टैक्सेज के रैट्स बढ़ें। सन् १९५१–५२ में ९ करोड़ ८३ लाख रुपये हुई, सन् १९५२–५३ में यह रकम घटकर ९ करोड़ ४४ लाख रुपये रह गई। इस तरह से सरकार को ५८ लाख रुपये का नुकसान हुआ। सन् १९५१-५२ के आंकड़े की जब हम १९५२–५३ के आंकड़ों से तुलना करते हैं तो उसमें भी हमें ६० लाख रुपये का नुकसान नजर आता है। ९ करोड़ २४ लाख की आमदनी पिछले साल हुई थी और इस साल ८ करोड़ ६४ लाख रुपये का रिवाइज्ड एस्टीमेट है। इस प्रकार से ६० लाख रुपये का नुकसान हुआ।

यह बजट का माना हुआ सिद्धांत है कि जो कोई एस्टीमेट रिसीट्स बनायी जाती है तो पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर ही बनायी जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट्स से जो रिसीट्स इस्टीमेट बनाये गये होंगे वह पारसाल के आंकड़ों के आधार पर ही नहीं बनाये गये हैं या नई बढ़ी हुई दर के आधार पर न बनाये होंगे, तो इससे यह मालूम होता है कि कहीं न कहीं गलती जरूर है। जब कि टैक्सेज बढ़ते हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन बढ़ता है, व्यय बढ़ता है, तो आमदनी क्यों कम होती है। यह प्रश्न है जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने देने की कभी भी चेष्टा नहीं की है।

दूसरी बात जो मुझे कहना है वह यह है कि ऐंटरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स है उसके बारे में क्या कहूं। इंस्पैक्टर्स हैं इस विभाग में वह अपना काम करते हैं लेकिन एक नमूना है। सिनेमा घरों में स्मोकिंग बन्द किया हुआ है लेकिन हालत यह है आप वहां जरा चले जाइए तो आप देखेंगे कि स्मोकिंग कम नहीं हुआ है बल्कि उसी तरह से चालू है। ऐक्ट्स तो आप बनाते जाते हैं लेकिन उनका रिइंफोर्समेंट किस प्रकार से होता है यह मेरी समझ में नहीं आता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ फिगर्स दिये हैं लेकिन एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स में दूसरे फिगर्स दिये हैं। सन् १९४९–५० में इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी रिसीट्स ७३,००० है और एक्सपैंडीचर १ लाख ३४ हजार है। जो माननीय मंत्री जी ने परसेंटेज दिया है वह इस रिपोर्ट्स में जो एक्चुअल्स है उसमें नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आपको गलतफहमी है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपने जवाब में कह लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं यह कह देना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—वह बैठ नहीं रहे हैं, इसलिये आप अपने जवाब में कह लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—शायद माननीय मंत्री जी इस साल के दे रहे होंगे यह मैं नहीं कहता कि रिसीट्स और एक्सपैंडीचर साथ-साथ लिखे हुये हैं जो कि रिटेन हैं इसमें माननीय मंत्री जी को शक होता है तो वह शक मुझ पर नहीं होता बल्कि एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की रिपोर्ट पर होता है। मैंने मिसाल दी परसेंटेज के बारे में।

दूसरी बात है इसके साथ ही साथ सेल्स टैक्स के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसमें एक बात अच्छी हुई। इस साल के बजट में ५० परसेंट सेल्स टैक्स स्टाफ जो टेम्पोरेरी था उसको परमानेंट करने का निश्चय सरकार ने किया है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री ने जो नीति अपने विभाग के टेम्पोरेरी कर्मचारियों के लिये अपनाई है वही नीति वह दूसरे विभागों जैसे रोडवेज और इसी रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स के लिये अपनायेंगे और उन विभागों में जो टेम्पोरेरी स्टाफ हैं उसको भी परमानेंट करेंगे। अभी हाल ही में सरकार की ओर से टेम्पोरेरी कर्मचारियों के बारे में एक जी० ओ० निकला है। जो कि अत्यन्त अदूरदर्शिता का परिचायक है। इस संबंध में मैं कहूंगा कि न्यूरेवे अर्निंग डिपार्टमेंट्स में टेम्पोरेरी स्टाफ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को रखना प्रशासन में ईमानदारी पर एक कुठाराघात है, उस पर व्याघात होता है। अगर वह यह समझते हैं कि हम अस्थायी हैं तो टैक्स की वसूली में और ईमानदारी से काम करने में उनको हिचक होती है और उनमें स्थायित्व नहीं आता। अतएव माननीय मंत्री ने सेल्स टैक्स के कर्मचारियों के बारे में जो प्रणाली अपनायी है मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों के बारे में भी वह वही प्रणाली अपनायें जहां तक बुक मेकिंग का सवाल है, टोटेलाइजर्स का सवाल है पिछली मर्तबा मैंने इस सदन में माननीय मंत्री का ध्यान हार्स रेसिंग की और बेटिंग टैक्स की तरफ आकर्षित किया था और मैंने काफी चेष्टा इस बारे में की कि जब अन्दर टैक्सेज में यह टैक्स भी शामिल है तो इस पर हम कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन न तो रिपोर्ट में इस पर कोई प्रकाश डाला गया है और न भाषण में ही कुछ बतलाया, आखिर यह जो लक्जरी हमारे प्रदेश में बम्बई की मिसाल के अनुसार है उसमें कितनी आमदनी में बढोत्तरी हुई या घाटा हुआ। मुझे आशा है माननीय जी इस बेटिंग टैक्स पर अवश्य कुछ प्रकाश डालेंगे।

सेल्स टैक्स के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि समय कम है लेकिन अन्त में जो माननीय मंत्री ने मद्रास के मुकाबले में इस प्रान्त की मिसाल दी कि मद्रास में ११ जिले हैं और यहां ५२ जिले हैं लेकिन वहां सेल्स टैक्स से इतनी ज्यादा रेवेन्यू है।

श्री अध्यक्ष—बिहार के लिये कहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—बिहार और मद्रास दोनों में ले रहा हूं। मैं मिसाल के रूप में पहले मद्रास को लेता हूं। वहां म्युनिसिपल बोर्ड चुंगी नहीं लेता। अगर इंसीडेंस जनता पर कहीं कम होता है तो कहीं बढ़ जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार म्युनिसिपल बोर्ड को जितनी ग्रांट देती है उसकी दुगुनी से ज्यादा ग्रांट मद्रास की सरकार देती है। अगर माननीय मंत्री जी बिहार और मद्रास से तुलना करते हैं तो वह केवल सेल्स टैक्स के इंसीडेंस पर न करें। सम्पूर्ण अनुदानों पर होने वाली आमदनी से करें और जनता के सभी वर्गों को दिये जाने वाले अनुदानों व लिये गये टैक्सों से करें। चित्र के अधूरे हिस्से को हमारे सामने न रक्खें बल्कि पूरा चित्र हमारे सामने रक्खें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे लिये कहा जाता है कि हम फीगर्स को टुइस्ट करते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं टुइस्ट करने की चेष्टा करते हैं। किसी टैक्स का एकतरफा दृष्टिकोण जब वह सामने रखते हैं तो दुख होता है। सेल्स टैक्स के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक अमेंडिंग बिल पास हुआ था उसमें एसेन्शियल गुड्स ऐक्ट के अनुसार जो काटेज इंडस्ट्रीज से जूट का उत्पादन होता था उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये था और टैक्स लगाने के पहले प्रेसीडेंट की एसेंट होनी चाहिये थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री जी ने हाथ से बने हुये जूट के सामान पर जो टैक्स लगाया उस पर राष्ट्रपति की स्वीकारोक्ति ली है या नहीं। इस संबंध में सेल्स टैक्स की धाराओं के अनुसार जब सेल्स टैक्स रूल्स में संशोधन करके सेल्स टैक्स की दरों को बढ़ाते हैं तो उसकी मंजूरी इस सदन से लेनी चाहिये थी।

उन्होंने एक गल्ती की कि एक धारा को तो अमेंड कर दिया लेकिन दूसरी धारा को अमेन्ड करना भूल गये। तो मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह उस धारा के अनुसार जितनी भी सेल्स टैक्स की दरों को बढ़ायें उसकी मंजूरी कम से कम इस सदन से अवश्य लें।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अनुदान का संबंध है और सेल्स टैक्स का संबंध है यह ऐसा है कि सेल्स टैक्स एक प्रकार का इनडाइरेक्ट टैक्स है और आम तौर से इसका असर गरीबों पर और कंज्यूमर्स पर अधिक पड़ता है। वित्त मंत्री जी ने यह बतलाया है कि सेल्स टैक्स ऐसी चीजों पर लगाया गया है जो

लग्जरी की चीजें हैं और नेसेसरीज पर नहीं लगाया गया है। यह ठीक है कि सेल्सटैक्स का जहां तक संबंध है वह कम से कम लग्जरीज पर ही होना चाहिये और नेसेसरीज पर नहीं होना चाहिये क्योंकि इसका असर ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। लेकिन इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के इवेजन का जहां तक संबंध है वह बहुत अधिक होता है और सेल्स टैक्स के कर्मचारी खुद सिखाते हैं कि किस तरह से सेल्स टैक्स को इवेजन किया जाता है। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में सेल्स टैक्स आफिस देहरादून के एक कर्मचारी उत्तर काशी की तरफ गये और प्रत्येक दुकानदार से कंट्रैक्ट कर लिया, किसी से १०० रुपये में किसी से ५० रुपये में कि मैं तुम्हारी तरफ से खुद पैरवी कर दूंगा जब तुम देहरादून सेल्स टैक्स आफ़िस में आओगे। तो इस तरह से इस मुहकमे में बहुत भ्रष्टाचार है। इस तरह से प्रत्येक दूकानदार से सौ सौ, पचास पचास रुपये तय करके और तारीख भी निश्चय करके उनको देहरादून बुला लिया। अब माननीय मंत्री जी कहेंगे कि इसका कोई एग्ज़ैम्पिल दो। तो मैं इतना बता सकता हूं कि देहरादून सेल्स टैक्स आफिस का कर्मचारी है, आप खुद पता लगवा लीजिये कि कौन गया था। मेरा ख्याल यह है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आपके पास सी० आई० डी० अवश्य होनी चाहिये। इसका नतीजा यह होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता नहीं है और कर्मचारी लोग डबल पेमेंट खुद खा लेते हैं। तनख्वाह भी आप उनको देते हैं और दुकानदार से भी वे लेते हैं। इसमें दुकानदार को भी परेशानी होती है कि पैसा दे कर भी उनको सेल्स टैक्स के दफ्तर में जाना पड़ता है और आने जाने का खर्च बेकार में करना पड़ता है। इतना पैसा अगर गवर्नमेंट के पास आये तो काफी लाभ हो सकता है। इतना भ्रष्टाचार होने से सरकार का ध्येय पूरा नहीं होगा और उसकी आमदनी मारी जाती है।

जहां तक सिनेमा टैक्स का संबंध है मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इस टैक्स में ऐसा होना चाहिये कि जो एजुकेटिव, शिक्षाप्रद फिल्म्स होती हैं उन पर तो यह टैक्स लगाया ही न जाय और अगर लगाया जाय तो बहुत ही कम लगाया जाय और बाकी जो इंटरटेन्मेंट फिल्म्स होती हैं उन पर जैसे लगता है वैसे लगाया जाय। अगर इस तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया जाय तो जनता को लाभ हो सकता है। इतना कह कर मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस विभाग की खराबियों को वह दूर करें।

श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री जी के सामने केवल सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें व सुझाव पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जिसकी ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह टैक्स की वापसी के बारे में है। यह माननीय मंत्री जी भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि जब सरकार का टैक्स वाजिब हो जाता है तो सरकार के पास ऐसे वसीय अख्तियारात हैं कि जिनके जरिये से अपना टैक्स वह फ़ौरन वसूल कर लेती है। लेकिन उस टैक्स की वापसी का अगर सवाल आता है तो सरकार का रुख कुछ दूसरा होता है। अगर किसी दूकानदार से यह कहा गया कि तुम्हारी तरफ १ हज़ार रुपया सेल्स टैक्स का है और वह उसे जमा कर देता है, लेकिन जमा करने के बाद अपील से १ हजार के बजाय ७०० रुपया वाजिब करार पाया और ३०० रु० उसे वापिस होने की आज्ञा हुई तो मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि ३०० रु० के रिफंड का व्हाउचर महीनों तो क्या डेढ़ डेढ़ साल तक नहीं बनाया जाता। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या नतीजा होता है? इसका नतीजा यह होता है कि गरीब लोगों के कार-बार में दिक्कत होती है और सरकार की साख (आबरू) को बट्टा लगता है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी गंभीर बातों की तरफ सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिये।

दूसरी समस्या जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि एक नयी जमाअत पैदा हो गयी है जिसको आसानी से "चलते-फिरते"

[श्री बाबूलाल मीतल]

दूकानदार कह सकते हैं, इन लोगों की न तो कोई दूकान है और न कोई बहीखाता है, फिर भी वे काम करते हैं। वे दूसरे प्रदेशों में जाकर या अपने ही प्रदेश के अनेक नगरों में जाकर माल लाते हैं और इसी प्रदेश में इस तरह से वे हजारों का व्यापार करते हैं। लेकिन न तो वे सेल्स टैक्स देते हैं, न कोई इनकम टैक्स ही देते हैं और न म्युनिसिपल टैक्स ही देते हैं। वे सब टैक्सों से बच कर हजारों का माल रोज बेंचते हैं। सेल्स टैक्स भी वे नहीं देते जिसका नतीजा यह होता है है कि सरकार को नुकसान होता है इसके साथ ही साथ व्यापार गंदा होता है और उन दूकानदारों का भी नुक्सान होता है जो कि ईमानदार हैं और दूकान रख कर अपना कारबार करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे सब लोग पकड़ में आ सकते हैं लेकिन अगर सेल्स टैक्स के अधिकारी उनको पकड़ना चाहें तो ऐसी काफी तादाद उन लोगों की मिल जायेगी जो पकड़े जा सकते हैं।

तीसरी बात और है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बड़े संतोष की बात है कि आपने यह यकीन दिलाया कि आप सेल्स टैक्स की सख्ती कम करना चाहते हैं। यह भी सही है कि जितने भी आवेदन-पत्र आये उन पर विचार किया गया। लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करूंगा कि ये सब जितनी सही हैं उतनी यह बात भी सही है कि दूकानदारों की वे सभी तकलीफ अभी दूर नहीं हुईं, जो मेरी नम्र राय में, आप चाहें तो दूर कर सकते हैं। आज लोगों को इस बात की ज्यादा शिकायत नहीं है कि सेल्स टैक्स बहुत ज्यादा है, न इस बात की ज्यादा शिकायत है कि क्यों वह लगाया गया है। लेकिन शिकायत ज्यादा इस बात की है कि उसके वसूल किये जाने का तरीका ठीक नहीं है। आपका जो तरीका है उसके बारे में लोगों को शिकायतें अधिक हैं। सबसे ज्यादा शिकायत बहुमुखी टैक्स की है। इसके बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि सेल्स टैक्स का असर केवल उपभोक्ताओं पर पड़ता है, उनको भ्रम है। दरअसल टैक्स जिस प्रकार से वसूल हो रहा है उस तरीके से उपभोक्ताओं के अलावा उसका असर छोटे दूकानदारों पर भी पड़ता है। माना कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा तो चार बार जो सामान बेचा जायगा और जिस पर चार बार टैक्स वसूल किया गया तो क्या होगा पांच गुना टैक्स कंज्यूमर देने से रहा, इसका नतीजा यह होता है कि उस टैक्स का भार उन लोगों पर पड़ता है जो छोटे दूकानदार हैं। यह दूकानदारों को अपनी जेब से देना पड़ता है।

एक बात मुझे यह भी निवेदन करना है कि पिछली बार जब यह निवेदन किया गया तो यह ख्याल था कि सारे देश के हर प्रदेश में एक ही शरह होगी जिसका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने में कोई असर न होगा। बदकिस्मती से वह बात नहीं होने पायी। नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश के आसपास जो दूसरे प्रदेश हैं और जिन प्रदेशों के दूकानदार हजारों रुपये रोज का माल आगरा से ले जाते थे वे अब आगरा से न लेकर दिल्ली से लेते हैं क्योंकि दिल्ली में यह टैक्स नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, उस वक्त मैं बीच में इसलिये खड़ा हुआ था कि हाउस का थोड़ा सा वक्त बचा दूं। एक गलतफहमी मेरे दोस्त को यह थी कि एलेक्ट्रिक ड्यूटीज का लफ्ज है, वह उस किताब में भी लिखा हुआ है जो उनके हाथ में थी। तो उसको उन्होंने उस चीज से मिला लिया जिसका तजकिरा मैंने अपने इस गुजारिश में किया था। एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज जो मैंने अर्ज किया था उससे मतलब यह था कि हमने यहां पर एक बिल एलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगाने का पेश किया और उसे इस सदन ने और ऊपर के सदन ने भी पास किया और वह कानून हो गया। उसकी रू से जो जो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज कहलाती हैं, जो कुछ रुपया वसूल किया जायगा उसकी वसूलयाबी में कुछ परसेंट खर्च किया जायगा, मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, इस काम के लिये जांच, निगरानी की कुछ कैद व पाबन्दी होती है

तो उस सिलसिले में भी मुख्तलिफ किस्म के किसी पर कुछ फीस लगती है, किसी पर कुछ लगती है, उसके लिये एक अलग रकम चली आती है और इस बजट में भी है तो यह एक अलग चीज है, वह अलग एक दूसरी चीज है, इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। हां, इतना ताल्लुक जरूर है कि नाम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज का जरूर लिखा हुआ है।

मेरे एक दोस्त ने यह इरशाद फरमाया कि फलां वक्त से जो देखा जाता है तो सेल्स टैक्स की आमदनी, बावजूद इसके कि उसमें इजाफा भी होता रहा, उसके शरह में भी इजाफा होता रहा, जिस चीज पर पहले टैक्स नहीं था उस पर भी टैक्स लगता गया लेकिन फिर भी आमदनी घटती चली आयी। उन्होंने कुछ फीगर्स भी पढ़े। मैं उस बात को सही मान लूं लेकिन हर उस शख्स को भी जो मैंने पहले अर्ज किया था और जो शख्स उसको सुन चुका था सही बातों को मानना चाहिये। मैंने कहा और मिसाल दी थी कि पहले जहां २५ चीजें मुस्तसना थीं वहां अब ५६ चीजें मुस्तसना हो गयीं, तो आखिर इसका क्या असर होगा? क्या इससे आमदनी बढ़ेगी? अगर आमदनी बढ़ाने का पूरा तरीका अख्तियार करूं तो मैं दिखला सकता हूं कि हर साल आमदनी बढ़ती चली जायगी, घटने की है ही नहीं। लेकिन मैंने तो वह तरीका अख्तियार नहीं किया। गवर्नमेंट अगर चाहती तो किसी चीज पर ज्यादा टैक्स कर देती। गवर्नमेंट इस बात को नहीं देखती है कि इससे आमदनी पर क्या असर होगा बल्कि वह तो ज्यादातर इस बात को देखती है कि पब्लिक के ऊपर इसका क्या असर होगा और जहां यह बात मालूम हुई कि ऐसा करने से पब्लिक को किसी किस्म की तकलीफ होगी तो उस बात को वहीं छोड़ दिया। अब चाहे उससे आमदनी घटती है चाहे बढ़ती है। तो वेरिएशन को उस रोशनी में मेरे दोस्त देखेंगे तो उनको पता चल जायगा कि गवर्नमेंट उसी नजर से देखती है जैसा कि मैं कहता हूं।

मेरे एक दोस्त ने शिकायत की कि वापसी में देर होती है। तो कोई पार्टिकुलर केस होगा तो मैं उनसे मशविरा कर लूंगा और जो कुछ भी उसके मुताल्लिक तहकीकात हो सकती है वह करके उसे ठीक करा देने की कोशिश करूंगा। इस किस्म की कोई देर बिल वाक़य तो होनी ही नहीं चाहिये और अगर होती है तो उसे ठीक करवा दूंगा।

एक जिक्र चलते फिरते दूकानदारों का भी किया गया था। तो चलते फिरते दूकानदार अलअमूम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है लेकिन ऐसा भी आदमी हो सकता है जिसकी बिक्री १५ हजार रुपया साल से बहुत ज्यादा हो और काम उसका चलता फिरता हो। तो वह क्या माल बेचता है, किस कीमत पर बेचता है, क्या आमदनी होती है, इस पर मुनहसर है। अगर ऐसा आदमी है कि जिसकी आमदनी १५ हजार रुपये से ज्यादा है। अगर वह टैक्स नहीं देता है इस बात का ख्याल करते हुये कि उसके ऊपर गलत तशखीस न हो जाय तो उसको चाहिये कि वह हिसाब दुरुस्त रखे। अगर वह अपनी बचत का हिसाब सही रखेगा और हिसाब दिखायेगा तो वह अपने आप को बचा सकता है। अगर उसको यह ख्याल है कि उसकी आमदनी १५ हजार रुपये से ज्यादा है और वह हिसाब पेश नहीं करता है तो फिर कानून के अन्दर यह अख्तयार है कि अगर वह सही हिसाब पेश नहीं करता है तो उसके ऊपर टैक्स तशखीस कर दे। मैं यह मान सकता हूं कि तशखीस ग़लत हो सकती है चाहे वह कितनी भी नेकनियती से वह करे लेकिन गलती हो सकती है। ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसी सूरत उनके सामने हो तो मैं उस केस को सुनने के लिए तैयार हूं और सुनना चाहिये और जो कुछ भी हो सकता है वह मैं करने के लिये तैयार हूं।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

वसूलयाबी के तरीके की शिकायत की गई और उसमें उन्होंने बतलाया कि यह मल्टीपुल प्वाइंट जो टैक्स है उसका नतीजा यह होता है कि वह आखिरी आदमी जो होता है उसको भुगतना पड़ता है और वह अपने खरीदार से वसूल नहीं कर सकता। एक या दो या तीसरा या चौथा नहीं बल्कि पांचवें पर जाकर उसका बार पड़ता है मैं समझता हूं यह गलत है। यह नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हो सकता है तो मुझे वह बतलायें और समझायें और मैं उसको समझूंगा और समझकर अगर वह इस काबिल होगा कि गौर करना चाहिये तो जरूर उसके ऊपर गौर किया जायगा और जो कुछ भी उसके मुताल्लिक होना चाहिये वह करूंगा। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी गुजारिश खत्म करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री बाबूलाल मित्तल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जह दिलाई जिसके बारे में मैं स्वयं कहना चाहता था। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस सेल्स टैक्स की वसूलयाबी के बारे में जो दुकानदार हैं उनसे वसूल करने के सिलसिले में कोई ऐसी नियम बनायेंगे कि जो आज की व्यवस्था में अधिक लाभप्रद व सरल हो सकें।

जो मैंने उनके सामने चन्द निवेदन किया था उसको कुछ उन्होंने गलत समझा। एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के सिलसिले में जो आंकड़े दिये गये थे वह इस वर्ष के आंकड़े थे। मैंने पिछले सालों के आंकड़े बतलाये। मैंने यह पूछा था कि पुरानी ड्यूटी के वसल करने में कितना रुपया व्यय हुआ, उनका कितना अन्दाजा हुआ वह हमको बतलायें। वास्तविक कितना फायदा हमको उससे मिलना है इसको हम जानना चाहते थे। सारा जो अनुमान है वह तो हम जानते हैं और बल्कि सारे सदस्य जानते हैं। सेल्स टैक्स की आमदनी के बारे में जो आंकड़े दिये थे उनको उन्होंने सही माना इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं कि जो आंकड़ें मैंने दिये थे उनको उन्होंने सही माना और कोई एतराज नहीं किया। लेकिन बजट के अन्दर यह कहां पर है कि जब आप एक्जम्पशन करते हैं तो आमदनी घट जाती है और जब एक्जम्पशन नहीं करते हैं तो आमदनी बढ़ जाती है। अगर माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया होता और मेरे आंकड़ों को सुना होता तो उनको मालूम होता कि अलग अलग साल के नहीं बल्कि उसी साल के रिवाइज्ड और एक्चुअल में कितना अन्तर है। १९५०-५१ में रिवाइज्ड तो ९ करोड़ १९ लाख है और एक्चुअल ८ करोड़ २१ लाख है। अगर माननीय मंत्री जी जानते नहीं हैं कि उनके डिपार्टमेंट में कितना एक्जम्पशन होगा तो क्या उनका यह रिवाइज्ड जो था उसके लिये उनकी गलती नहीं है जब कि इसमें ९७ लाख की कमी हो गयी। अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं बजट उनके पास भेज सकता हूं। वह देख सकते हैं कि इसमें ९७ लाख कम हो गया है। सन् १९५२-५३ में उन्होंने कितना एक्जम्पशन दिया वह हमको बतलायें और उन्होंने कोई एक्जम्पशन दिया तो यही कि कुछ चीजों पर और टैक्स बढ़ा दिया। ड्यूटी बढ़ा दी गयी। सन् १९५२-५३ का रिवाइज्ड ९ करोड़ ११ लाख था लेकिन और जो रिवाइज्ड है वह ८ करोड़ ६४ लाख है जब कि टैक्स कुछ चीजों पर बढ़ा भी है, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। टैक्स बढ़ा कर भी आमदनी घट जाती है इस तरह की बात मैंने कही थी लेकिन उसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरी इस आपत्ति पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब की इजाजत से जरा सी बात अर्ज करना चाहता हूं कि अभी उधर उनके दिमाग में यह फिक्र है कि यह कमी और ज्यादती कैसे हुई। जितने भी जराये आमदनी के हैं और जो बजट अगले

साल के लिये बना है उसकी बहुत सी मदों के खिलाफ रिवीजन्स और अपीलें वगैरह होती हैं और उनके अलावा हमें एक्जम्पशन भी करने पड़ते हैं और इस तरह से हम जो कुछ भी घटावेंगे उसकी आमदनी जरूर जायेगी। मैं एक मिसाल के तौर पर कहूंगा कि हमारी एक करोड़ की आमदनी किस तरह घट गई। एक आर्टिकिल २८३ हमारे कांस्टीट्यूशन में है जिसमें ऐसे ट्रान्जेक्शन्स जो कि सूबे से बाहर जाने वाली चीजों के मुताल्लिक हैं उसमें जो कुछ दिया हुआ है उसके मानी यह हैं कि हर एक ट्रान्जेक्शन जो है उस पर टैक्स नहीं लग सकता और जिस दिन से उसके न लगने का हुक्म होता है वह आमदनी घट जाती है और मौकूफ हो जाती है। इसी तरह से १ करोड़ का नुकसान हो गया और ऐसी कितनी ही बातें हो जाती हैं कि जिससे एस्टीमेट्स में और एक्चुअल्स में फर्क हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८---अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय (लेखा शीर्षक-१३---अन्य कर और शुल्क) के अन्तर्गत २७,५०,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११---लेखा शीर्षक १८---रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११---रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय (लेखा शीर्षक १८) के अन्तर्गत १५,३६,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह तो कहने की जरूरत भी नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश में कम से कम सौ बरस से ज्यादा से एक इंजीनियरिंग कालेज रुड़की में था और उसने बहुत से इंजीनियर्स यहां पैदा किये जिन्होंने अपनी मुलाजमतों के जरिये से इस स्टेट की भी बहुत सी खिदमत की। हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद इस बात की सख्त जरूरत थी कि जहां तक इंजीनियरी का ताल्लुक है और इंजीनियर्स का ताल्लुक है डेवलप होने के लिये इस बात की जरूरत है कि इंजीनियर्स हों और हमारे यहां के आदमी मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग तालीम को पाये हुये हों और जितनी ब्राञ्चेज आज दुनिया में इंजीनियरी की हैं उन सबकी शिक्षा यहां मिले। गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा कि इस रुड़की कालेज से यह काम लिया जाय और इसको एक बड़ा केन्द्र बनाया जाय और इस तरह इस प्रकार की तमाम तालीम का इन्तजाम हो जाय और जाहिर है कि यह काम यकलख्त नहीं हो सकता था बल्कि रफ्ता-रफ्ता उसको बढ़ाकर किसी दर्जे पर पहुंचाया जा सकता था। चुनांचे इसको यूनीवर्सिटी बनाने का इरादा किया गया और बना दिया गया। वहां पहले सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की तालीम होती थी और बाद में एलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल तालीम भी बढ़ाई गई है और अब वहां होती है। यूनीवर्सिटी बनायी गयी इस मक़सद से और उसके लिये इसकी तलाश हुई कि कोई बहुत काबिल आदमी को जो एक ऐसी यूनीवर्सिटी के लिये मौजूं हो सकता हो, कि जिसको इस इरादे से बनाया जा रहा है, उसको वाइस चांसलरी के लिये बुला लिया जाय। जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है यहां के इमीनेंट इंजीनियर्स के नाम, हां हमारे यहां का जो यूनीवर्सिटी ऐक्ट है उसमें एक दफा है उसमें

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर का सेलेक्शन कैसे होगा। तो उसमें एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, एक आल इंडिया इंजीनियर्स इंस्टीटयूट का चेयरमैन और एक और साहब, यह तीन आदमी इसमें होते हैं। उनकी जो कमेटी थी उनके पास वह सब नाम भेज दिये गये जिन इंजीनियर्स का यहां जिक्र कर रहे हैं। मगर उस कमेटी ने किसी को फिट डिक्लेयर नहीं किया, इस काम के वास्ते। जहां तक बाहर का ताल्लुक है बाहर से गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की। उससे पहले एक बात हुई। एक बहुत बड़े मशहूर इंजीनियर विश्वेश्वर अइयर हैं। वह बहुत पुराने इंजीनियर हैं। उनकी निस्बत भी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वह इसकी वाइस चांसलरी कबूल कर लें। लेकिन उन्होंने अपनी उम्र और हेल्थ वग़ैरह की वजह से कबूल नहीं किया। एक इंजीनियर जिनका नाम फार्टस्क्यु है...

एक सदस्य---सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष---माइक्रोफोन पर बोलने की कृपा करें क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह ठहरता नहीं है। इस जगह रहेगा तो बोलेगा। यह खुद नीचे हट गया था।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक यहां से आदमियों के लेने का ताल्लुक है कमेटी के पास जिनके नाम भेजे गये थे उनको उसने फिट नहीं किया। एक साहब विश्वेश्वर अइयर बहुत बड़े मशहूर इंजीनियर हैं। लेकिन उन्होंने खुद अपनी हेल्थ और उम्र की वजह से आना मंजूर नहीं किया। उसके बाद एक साहब थे उनका नाम था फार्टस्क्यु। वह यहां से इंगलिस्तान जा चुके थे। एक कमेटी रुड़की कालेज के रिआर्गेनाइजेशन पर बिठायी गयी थी। उसके भी वह चेयरमैन रखे गये थे। उनसे कहा गया। उन्होंने आना मंजूर भी कर लिया। लेकिन वहां का जो मेडिकल बोर्ड है उसने उनकी हेल्थ को ऐसा नहीं पाया और उसने मना कर दिया कि आपको हिन्दुस्तान नहीं जाना है। वह इस वजह से नहीं आ सके। हमारे इंग्लिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उनके जरिये से यह नाम हमारे पास डा० हार्ट साहब का आया। वह उस कमेटी में गया जिस कमेटी का मैंने जिक्र किया और उसने उनको सेलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को बतलाया कि उनको रख लिया जाय। चुनांचे उनको रख लिया गया।

मैं इस ग़लतफहमी को रफा कर देना चाहता हूं कि जो यहां पर सवालात हो रहे थे उनमें एक बात मैंने ऐसी सुनी थी कि गवर्नमेंट इसमें से जो अब आगे बात आ रही है, उसमें से किसी बात को गलत तौर पर छिपा रही है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसके मुताल्लिक जो बातें दिमागों में पहुंच रही हैं मैं समझता हूं कि गालिबन वह खुद गलत हैं। उनकी बिना पर उनके दिमागों में कुछ ख्यालात ऐसे पैदा हो गये हैं। जो असली वाकया है उसको मैं ऐवान के सामने अर्ज कर दे रहा हूं। वह आये थे वह दुनिया में सर्वे इंजीनियरिंग के मुताल्लिक मशहूर थे। उसी मेरिट से शायद उनको वहां से रेकमेंड करके भेजा। यहां पर उनको ५ साल दिये गये और उसमें से ३ साल अब गुजरे थे। इन तीन सालों के अन्दर जो कुछ वहां होता रहा उसको छोड़कर के एक बात ऐसी थी कि यूनीवर्सिटी के लिये ज्यादा देर तक उसका चलना मौजूं नहीं था और वह यह कि सिंडिकेट जो था यूनिवर्सिटी का उस सिंडिकेट के और वाइस चांसलर के दरमियान और स्टाफ और वाइस चांसलर के दरमियान जो ताल्लुकात थे वह खुशगवार नहीं थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---यही हमने आपसे उस दिन पूछा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——यही मैंने कहा था। किसी ने पूछा था तो मैंने कहा भी था और अब भी कह रहा हूं कि उनके ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। अब यह जाहिर है कि किसी जगह पर किसी इन्तजाम में भी, किसी ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी किसी बात के पैदा होते ही, इस किस्म के यूनीवर्सिटी के मामले में यकलख्त दखल-अंदाजी कर देना इन्तजाम को भी खराब करने वाली चीज है, नुकसान पैदा करने वाली चीज भी है। तो उसमें यह चाहा गया जरूर, कोशिश भी इस बात की की गयी कि ताल्लुकात में एक हमवारी पैदा हो जाय, ताकि स्मूथली वहां का काम चल सके, लेकिन वह पैदा न हुई।

तो अब हाल में वह यहां आये। उनसे चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरी हाजरी में गुफ्तगू की और उस सूरतेहालात पर जो यूनीवर्सिटी की थी, उस बिना पर उसमें वाइस चांसलर और स्टाफ और वाइस चांसलर और सिंडीकेट के माबैन ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, शिकायतें पैदा होती थीं, उसकी बिना पर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उनको यह बतलाया गया कि यह सूरतेहाल ऐसी हैं कि उसकी तहकीकात कराने का गवर्नमेंट निश्चय करती है कि हम उसकी तहकीकात करायें कि इस बात में किसका कसूर है और उसके नतीजे में जो कुछ भी ऐक्शन लिया जाना चाहिये, गवर्नमेंट को वह ऐक्शन लेना है कमेटी की तहकीकात के बाद। यह फैसला उनको उस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया। उसके बाद वह यहां से चले गये और उन्होंने वहां जाकर के जो कुछ भी किया हो, उन्होंने अपने दिमाग में यह फैसला किया कि वह नहीं रहेंगे। वह उन्होंने अपना फैसला कम्युनिकेट किया चीफ मिनिस्टर को कि ऐसा है और गवर्नमेंट ने भी उसको मंजूर किया ऐसी हालत में, ठीक है, वह रहना नहीं चाहते हैं तो उनको मजबूर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। चुनांचे उनका इस्तीफा २८ तारीख से, जैसा कि मैंने उस वक्त अर्ज कर दिया था, हो गया और अब वह यूनीवर्सिटी में नहीं हैं।

उस वक्त जब वह थे, उनके जाने से कुछ ही दिन पहले एक साहब, मि० विजावत, को जो हमारे इस सूबे में सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर रह चुके थे, यहां के रिटायर्ड थे और रुड़की कालिज में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रह चुके थे उनको प्रो वाइस चांसलर बना करके वहां भेज दिया गया। उन्होंने उनसे वहां २८ तारीख को चार्ज ले लिया। वाइस चांसलर की जगह अभी खाली है। उसका कोई इन्तजाम हुआ नहीं है, होगा।

जहां तक कि यूनीवर्सिटी के काम का ताल्लुक है उसकी निस्बत एक बात तो मैं मानता हूं। मैंने कहीं और भी अपनी तकरीर में इससे पहले कहा है कि जो मैं चाहता था या गवर्नमेंट चाहती थी, जिस हद तक उसकी तरक्की हो जानी चाहिये थी, काम में उस हद तक तो वह नहीं है और मुमकिन है कि उसके लिए यह सूरतेहालात भी कुछ रिस्पांसिबिल हों जो वहां की इख्तलाफात की थे। इसीलिये हमने यह समझा कि गालिबन इस यूनीवर्सिटी के इंटरेस्ट में यह बात ही मुनासिब होगी कि यह सूरतेहाल बाकी न रहे। तभी उनसे कहा गया, गुफ्तगू की गई और उन्होंने यह फैसला किया। मगर अब वह बात रही नहीं। वह चले गये हैं। दूसरे आदमी की तजवीज होगी और जिन मकसदों से गवर्नमेंट ने इस यूनीवर्सिटी को यूनीवर्सिटी बनाया है उसके पूरा करने के लिये पूरी कोशिश की जायगी। उसके लिये इस वक्त एक प्लान बन रहा है आइन्दा के वास्ते कि क्या-क्या तालीम, किस किस वक्त में, किस किस शोबे में.....

श्री अध्यक्ष——क्या माननीय मंत्री और वक्त लेंगे?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——मैं और वक्त नहीं लेना चाहता हूं। एक बात पर खत्म करता हूं। तो वह उसका तालीमी तरीका और इन्तजाम पूरा होगा। वहां

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

पर प्रोफेसर की कुछ कमी है और इसलिये कमी है कि आप देखेंगे कि हर साल नोटिफाई किया। आदमी नहीं मिलते। आते नहीं हैं। इस वजह से भी जो इक्विपमेंट है, यह सब कमी पूरी करने के इन्तजामात हो रहे हैं। और वह कुछ अरसे में हम पूरा कर लेंगे जिस मकसद के लिए कि वह बनाया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो करसपांडेंस उन्होंने बतायी हार्ट साहब की क्या उसे मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह बात बाद में पूंछ लीजिएगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं रुड़की यूनीवर्सिटी के संगठन और वहां से निकले हुये विद्यार्थियों का अभिवादन करता हूं जो आज देश की एक बड़ी वास्तविकता को और एक बड़ी कमी को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जहां तक रुड़की युनिवर्सिटी के कार्य का सम्बन्ध है और उस कार्य के नतीजे या उद्देश्य का सम्बन्ध है, वहां तक तो किसी को किसी अनुदान के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उद्देश्य बहुत ही सुन्दर हैं और जितनी भी जल्दी रुड़की युनिवर्सिटी का पुनर्संगठन हो सके और वहां से ऐसे स्नातक निकल सकें, जो कि हमारे देश के भावी निर्माण में विकास-कार्य में नेतृत्व कर सकें, उतनी ही यह सुन्दर बात होगी, और सुदूर भविष्य की आशा हम भी लगाये बैठे हैं। लेकिन जहां तक रुड़की युनिवर्सिटी के पिछले इतिहास का सम्बन्ध है और विशेषरूप से जब से श्री हार्ट वहां के वाइस चांसलर हुये और उस समय का सम्बन्ध है मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने आज तक इस विषम स्थिति का, जो कि रुड़की युनिवर्सिटी के शासन में हुई थी, स्पष्टीकरण नहीं किया और उसको छिपाये रखा। डाक्टर हार्ट के हटाये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर अखबारों में जो समाचार प्रकाशित हुये, सरकार ने उनको कंट्रेडिक्ट नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया, और इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार कम से कम जानती थी कि यह बातें हुई हैं। जब आज माननीय मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत करते समय श्री हार्ट की नियुक्ति के इतिहास और उनके इस्तीफा देने के इतिहास पर प्रकाश डाला, तो मुझे एक आश्चर्य सा हुआ क्योंकि हमारी प्रश्नावली का जो उन्होंने उत्तर दिया था उससे बहुत फर्क उनके आज के भाषण में था, और बहुत सी सूचनाएं जो उन्होंने उस समय नहीं बतलायी और यह कहा कि यह मेरे पास नहीं है या बताना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा, वे सूचनाएं उन्होंने आज बतलायीं। उन्होंने यह माना कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उनके सुझाव पर उनकी नियुक्ति हुई। मैं नहीं जानता कि सही है या ग़लत है। लेकिन लखनऊ के एक साप्ताहिक पत्र में यहां तक छपा है कि स्वर्गीय सर स्टैफ्फोर्ड क्रिप्स के विशेष निवेदन पर श्री हार्ट की नियुक्ति हुई थी। सबसे बड़ी तनख्वाह पांच हजार रुपया उनको दिया जाना भी इस बात का सबूत था। जहां तक माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि बहुत सी बातें ग़लत निकली हैं, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की मांग करूंगा कि चांसलर महोदय, चीफ मिनिस्टर महोदय, और हार्ट साहब का जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसको सदन के सामने रखें, और उप मंत्री महोदय श्री फूलसिंह जी ने जो समय-समय पर चांसलर महोदय को पत्र लिखे, और सिंडिकेट के चार मेम्बर श्री फूल सिंह जी,

श्री ए० सी० मित्रा, श्री यादव मोहन और श्री बलवीर सिंह जी ने सिंडिकेट के मेम्बर होने की हैसियत से चांसलर को लिखा उसको सदन के सामने रखें, अगर सदन के सामने उसको नहीं रख सकते तो कम से कम एक इम्पार्शल कमेटी बिठलायें जो कि पिछले तीन सालों का हार्ट साहब का इन्तजाम देखें कि किस प्रकार रुड़की युनिवर्सिटी की व्यवस्था उनके शासन में बदतर होती गई। उसकी मिसाल जो कुछ मेरे पास है और जिनको मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि उनकी इंक्वारी जल्दी से जल्दी हो। जब डाक्टर माथुर के मामले में इंक्वारी कर सकती है, दोबारा एक्सप्लेनेशन मांग सकती है और पब्लिक नोटिस में लाती है तो इससे सारे प्रदेश में मैं समझता हूं अच्छा असर हुआ होगा। तो क्या यह उचित नहीं है कि डाक्टर हार्ट के मामले में भी सरकार एक ऐसी इंक्वायरी कराती, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती और जो कुछ भी उन्होंने सही या गलत काम किया है वह जनता और सरकार के सामने आता और उस पर सदन भी विचार करता कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। इस प्रकार से पर्दे में बात को ओझल करना मैं समझता हूं कि शोभा नहीं देता। मुझे इस बात का शक है कि इस प्रकार से जो इंक्वायरी रोकी गयी है उसमें भी जैसा मैंने उस दिन कहा था कि उन्हीं ब्रिटिश हाई कमिश्नर का हाथ है जिन्होंने उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में सिफारिश की थी। डाक्टर हार्ट के संबंध में माननीय फूल सिंह जी ने जहां तक मुझे सूचना मिली है यह विचार रखे थे कि जो सिनेट ने बजट की रिपोर्ट में समय-समय पर प्रस्ताव पास किये उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जो सिन्डीकेट और सिनेट के प्रस्ताव पास होते थे उनको कार्यान्वित करने की भी चेष्टा नहीं की। यहां तक कि जो प्रस्ताव पास हुये उनकी शब्दावली तक बदल दी यानी प्रस्तावों की शब्दावली को तोड़ने मरोड़ने की चेष्टा की। रजिस्ट्रार के काम को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की। बहुत से ऐसे अप्वाइट्मेन्टस् बिना सेन्डीकेट के अपरूवल के, करने की चेष्टा की। श्री स्मिथ का उदाहरण है, पहले श्री स्मिथ सरवे डिपार्टमेंट में एक क्लर्क थे। उसके बाद उनको स्वयं हार्ट साहब ने एक टेक्निकल पोस्ट ढाई सौ माहवार की उनको दी। उसके बाद एकदम उनको पी० ए० ३५० रु० पर बना दिया। डायरी और बगीचे का सारा काम उनके हाथ में सुपुर्द किया। बगीचे से जो आमदनी होती थी वह यूनीवर्सिटी फंड में नहीं जाती थी। इसी प्रकार के तमाम आरोप श्री स्मिथ के नाम में थे, जो कि बड़े जिम्मेदार आदमियों ने लगाये। मैं नहीं जानता कि आज भी श्री स्मिथ साहब नौकरी में हैं या नहीं हैं। ऐसे ही मिस्टर पैट्रन साहब थे जिनको उन्होंने नाजायज तरीके से नियुक्त कराने की कोशिश की। श्री एल० एस० अग्रवाल जो कि रुड़की यूनीवर्सिटी में थे उनको वहां से रिलीव करके इरीगेशन डिपार्टमेंट में वापिस कराया। इसी तरह से पांच उनके दुर्व्यवहार से, श्री वी० जी गरदे, आफिशियेटिंग प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग, श्री बी० एन सिंह, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, श्री छबलानी, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, जीवनलाल, सिविल इंजीनियरिंग, और श्री एल० एस० अग्रवाल, सिविल इंजीनियरिंग, अप्रसन्न होकर हट गये। तो अगर यह बात सच है तो रुड़की युनीवर्सिटी को दोबारा उनकी सेवाएं ६य प्राप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ अकाउण्ट्स के मामले में बड़े गम्भीर आरोप उन मेम्बर्स ने हार्ट साहब के ऊपर लगाये थे कि आडिट की रिपोर्ट आज तक सेन्डीकेट के सामने नहीं रखी गयी, करीब तीन वर्ष वह रहे। इसके साथ ही जो वहां अकाउन्ट्स था वह उनके अपने हाथ में रहता था। यहां के जो रजिस्ट्रार थे उनसे भी किसी प्रकार की सलाह इस मामले में नहीं ली जाती थी। तो ये कुछ मामले ऐसे हैं जो, मैं समझता हूं, बहुत ही गम्भीर आरोप हैं। वित्तीय अनियमिततायें हैं और संगठन सम्बन्धी अव्यवस्थायें हैं। यहां तक कि ३ साल तक यूनीवर्सिटी के हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स तक नहीं रखे जा सके। यही नहीं, बजाय नये और योग्य व्यक्ति रखे जाने के पुराने लोग जो थे उन्होंने भी छोड़ने की चेष्टा की। ३ या २ ने इस बात की चेष्टा की कि वे यूनीवर्सिटी को छोड़कर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चले जावें। और सब से बड़ी बात यह है कि चान्सलर महोदय की रूलिंग के बाद भी, जो उन्होंने सीनेट में दी कि एप्वाइंटमेंट आफ पी० ए० स्मिथ वाज इर्रेग्यूलर ऐंड नाट ए सिंगिल पाई कैन बी पेड आउट आफ दी यूनीवर्सिटी फंड्स। स्मिथ साहब को रुपया दिया गया और नहीं मालूम उसके रिफंड होने के बारे में क्या हुआ। ये बातें ऐसी हैं जिनका सरकार को आश्वासन देना चाहिये कि इसके लिये इनक्वायरी कमेटी बैठेगी और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आवेगी। तभी मैं समझता हूं कि रुड़की यूनीवर्सिटी का इन्तजाम ठीक हो सकता है। क्या मैं यह आशा करूं कि माननीय मंत्री जी वर्तमान वाइस चांसलर को इस बात का आदेश देंगे कि जितनी भी अव्यवस्थायें हार्ट साहेब ने की हैं उनको सुधारें और इसके साथ ही साथ जो प्रोफेसर वहां से हट गये हैं उन्हें वहां रखा जाय और वहां की हालत को सुधारा जाय?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—चेयरमैन महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने, रुड़की यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो अनुदान पेश किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि आज हम सभी रुड़की विश्वविद्यालय के आभारी हैं। यह वह विश्वविद्यालय है जिसके आज हमारे प्रदेश के ही नहीं, बल्कि हमारे सारे देश के जितने भी बड़े-बड़े इंजीनीयर्स हैं, जो कि आज देश के निर्माण और विकास कार्य में लगे हुये हैं, वे सभी इसी विश्वविद्यालय की देन हैं। इसके साथ-साथ यह भी अपनी जगह पर सही है कि पिछले २,३ साल से इस विश्वविद्यालय की जो हालत थी, जो परिस्थितियां इसके अन्दर पैदा हो गईं वे काफी शोचनीय थीं और विशेषतौर से जब से हार्ट साहेब को इसका वाइस चांसलर बनाया गया। लेकिन उन सब गलतियों को देखते हुये हमारी सरकार ने जो उन्हें हटाया और यह एक साहस का काम किया कि उनके कन्ट्राक्ट को तोड़ कर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। मैं यह समझता हूं कि उनके चले जाने के बाद जो क्लीक्स और इंट्रीग्स उस यूनीवर्सिटी में पैदा हो गई थी वे अब बन्द हो जावेंगी और फिर अब वहां अच्छा वातावरण उत्पन्न हो सकेगा। इस सम्बन्ध में माननीय तिवारी जी ने एक अपना प्रस्ताव रखा कि एक इनक्वायरी होनी चाहिये और तमाम हालात हमारे सामने आने चाहिये। तो वैसे तो उनकी वह बात मुनासिब सी है, लेकिन अब जब डाक्टर हार्ट को वहां से हटा दिया गया है और वह वहां से चले गये और उनको यह दंड जब दे दिया गया कि या तो वे इस्तीफा दे दें या चार्जशीट फेस करें तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मैं समझता हूं कि इस स्थित में उनके विरुद्ध इन्क्वायरी करने या गड़ी ईंट उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है।

इसके बाद विश्वविद्यालय के अन्दर जो रिसर्च सेक्शन है उसके विषय में मुझे यह कहना है कि हमारे देश का जो आर्थिक ढांचा है उसको देखते हुये मेरी अपनी ऐसी भावना है कि हमारे सामने जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो डिजाइन्स आती हैं वे काफी एक्स्पेंसिव होती हैं और वे अपने देश की आर्थिक स्थिति में फिट नहीं हो पाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस तरह के आदेश जारी करें कि वहां का जो रिसर्च सेक्शन है उसके इंजीनियर्स इस बात की कोशिश करें कि देश की आर्थिक हालत को देखते हुये जो चीप से चीप डिजाइन और प्रोजेक्ट हमारे देश के लिये निकल सकते हैं निकालें। दूसरे जो रिसर्च होते हैं उनको दिखाने तथा मैगजींस में प्रकाशित कराने का भी प्रबन्ध होना चाहिये ताकि बाहर के लोग भी जान सकें कि वहां किस किस्म का रिसर्च हो रहा है। और जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको भी मौका मिले कि वे अपने सुझाव या टिप्पणी वहां के जो रिसर्चेज हैं उस पर दे सकें।

यह दो सुझाव मेरे हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—अधिष्ठाता जी, जो अनुदान वित्त मंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। समय कम है। मैं इसमें केवल दो सजेशंस देना चाहता हूं। पहला तो यह कि रुड़की विश्वविद्यालय अपनी नवइयत का एक है, ऐसे विश्वविद्यालय बहुत कम हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ग्रांट को बढ़ना ही चाहिये, उसको घटाना तो कोई माने नहीं रखता। इसमें काफी रुपये की जरूरत है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी और इससे कहीं ज्यादा रुपया इस विश्वविद्यालय को देगी क्योंकि किसी देश की उन्नति उसके इंजीनियर्स पर डिपेंड करती है और जब तक उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज भी है जिसको देखना है और विशेष रूप से जिस पर ध्यान देना है और वह यह है कि हम इंजीनियर्स तो पैदा करते हैं विदेशों के मुकाबले में अच्छे इंजीनियर्स पैदा करते हैं लेकिन एक अजीब सी बात है कि जब वे पब्लिक में काम करते हैं तब उनके कैडर के जहां तक इंटेरेस्ट का ताल्लुक है उतना अच्छा नहीं रहता और आम शिकायत रहती है कि जितने निर्माण कार्य के करने वाले इंजीनियर्स हैं वे लोग उतनी ही सदाशयता और इमानदारी से कार्य नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिये। इसलिये जितना रुपया हम खर्च करते हैं और इंजीनियर्स पैदा करते हैं उनसे उतना फायदा नहीं होता और लोगों का ख्याल है कि देश सेवा का जितना कार्य उनसे होना चाहिये जितना उनसे फायदा होना चाहिये बजाय फायदे के वे नुकसान भी कर देते हैं और जितने करोड़ रुपया हमारा जाता है लोगों को यहां तक शिकायत होती है कि आधा रुपया उनकी पाकेट में चला जाता है। तो उसके लिये जरूर कुछ न कुछ चेंज करना चाहिये और इसके लिये मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि रुड़की विश्वविद्यालय में कुछ सोशल टाइप की एजूकेशन जरूर रखें। जहां आज इंजीनियर्स पैदा होते हैं और उनके दिमाग में यह चीज रहती है कि मैकेनिकल टाइप की चीज पैदा हो वहां उनके दिमाग में यह भी आना चाहिये कि उन्हें कुछ न कुछ देश के लिये करना है और देश की सर्विस उन्हें करनी है। इस टाइप की कोई न कोई चीज जरूर उनके बीच होनी चाहिये चाहे सोशल सर्विस या मारल ट्रेनिंग नाम की कोई चीज हो जिससे देश का निर्माण हो सके क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता।

इस लिये मेरा जो सब से पहला सजेशन है कि इस विद्यालय में जरूर हो जाना चाहिये और विद्यालयों में आप करें या न करें क्योंकि उनसे इतना नुक्सान नहीं हो सकता है, लेकिन इस के लिये बहुत जरूरी है और ऐसी कोई न कोई चीज जरूर होनी चाहिये कि उनको सोशल और मौरल ट्रेनिंग भी मिल जाय। यह किस तरह की ट्रेनिंग हो इसको आप स्वयं सोच सकते हैं। इसके लिये यहां पर डिटेल नहीं दिये जा सकते हैं।

एक और सजेशन आया था कि पिछले साल जो इस यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी हुई थी और बंगलिंग हुआ तो उसके संबंध में मेरा सजेशन यह है कि वह बात तो खत्म हो गई क्योंकि जिन्होंने यह सब किया था और जिनके खिलाफ शिकायतें थीं वह साहब तो चले गये। अगर इंक्वायरी करायें तो इसलिये करायें कि आगे चलकर हमको उससे सबक मिले कि यह चीज किस तरह से हुई और उससे हम फायदा उठायें। लेकिन इसलिये नहीं कि किसी को पनिशमेंट दें या हटायें जैसा कि श्री माथुर साहब के साथ हुआ। यह चीज तो हमारी ताकत के बाहर की बात है। हमारी रीच के बाहर है। दूसरे उन्होंने जो कुछ किया वह तो अब चले गये। इस लिये अब श्री हार्टस के खिलाफ कोई फाइंडिंग देना एक मखौल सा होगा, इसलिये इस इरादे से इंक्वायरी नहीं करवानी चाहिये बल्कि इस इरादे से कराई जानी चाहिये कि आगे चलकर उससे हम कुछ सबक लें और ऐसी गल्ती आगे न होने पावे। इस इरादे से हम इंक्वायरी करवा सकते और शायद गवर्नमेंट कुछ कर रही हो। इस लिये हमें बेचैन नहीं होना चाहिये और न ज्यादा सोचना चाहिये।

[श्री नौरंगलाल]

इसके अलावा मेरा एक सजेशन यह है कि हमें इंजीनियरिंग शिक्षा में सर्वे पर सब से ज्यादा जोर देना चाहिये। जहां तक इंजीनियरिंग शिक्षा का ताल्लुक है यह सब से जरूरी चीज है। यदि हमारे सर्वे का काम अच्छा होगा तो और बाकी इंजीनियरिंग के काम खुद-बखुद ठीक हो जायेंगे। आजकल हमारी इंजीनियरिंग शिक्षा में डिफेक्ट यही है कि सर्वे की ट्रेनिंग ठीक तरह से नहीं हो पाती है जिससे हमारा नुक्सान होता है और करेक्ट सर्वे न होने के कारण हमारे काम ज्यादातर खराब हो जाते हैं। बिल्डिंस बेकार होती है और हमारे प्रोजेक्टस फेल हो जाते हैं क्योंकि सर्वे में गड़बड़ हो जाती है। इसलिये इस पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिये कि इसकी शिक्षा ठीक तरह से हो और अप टूडेट हो जैसे कि और देशों में दी जा रही है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ-साथ यह जरूरी आनी चाहिये क्योंकि इस पर जोर देने से हम देश के अंदर ऐसी भावना पैदा कर सकते हैं जिससे वह ठीक तरह से काम करें और जो काम करें उनमें ठीक तरह से रूपया खर्च हो। ४,५ मिनट में मैंने दो तीन सजेशन पेश किये हैं। इतना समय नहीं है कि और ज्यादा पेश किये जा सकें। इन शब्दों के साथ जो वित्त मंत्री जी ने अनुदान रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा आज मैं सदन के सामने एक सजेशन यह पेश करना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने बतलाया कि रुड़की कालेज की बड़ी शिकायत है और वहां पर बड़ी गड़बड़-सड़बड़ है तो उसके लिये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक इसके पैरेलल एक दूसरा इंस्टीट्यूशन बनारस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत खोल दिया जाय। उन दोनों में जब कम्पटीशन होगा तो मोरल और सोशल ट्रेनिंग अपने आप आजायेगी। जब तक यह नहीं होगा तब तक काठ में ही छेद होता रहेगा और कुछ नहीं हो पायगा।

आज देश में इस बात की शिकायत है कि पी० डब्लू० डी० में जहां देखिये वहां कोई कहता है कि १० परसेंट है, कोई कहता है ५ परसेंट है, जो रुपये मंजूर होते हैं उस पर यह परसेंटेज देना पड़ता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका हल सिवाय इसके और कोई नहीं है कि इस इंस्टीट्यूशन के ठीक पैरेलल कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन और खोल दिया जाय। जब तक कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेगा तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है।

जो हमारे विद्यार्थियों को यहां भेजा जाय तो उनका रहन-सहन भारतीयता का होना चाहिये और आज यहां से अंग्रेजियत को हटाना चाहिये। आज हम देखते हैं कि जितने इंजीनियर्स आते हैं सब कोट पैंट डाटे रहते हैं। उनमें भारतीयता नहीं रहती है। हमें तो सिम्पिल लिविंग ऐंड हाई किंग के पैरेलल अपने विद्यार्थियों को लाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता।

पिछले वायस चांसलर श्री हार्ट के बारे में अब कुछ कहना बेकार है। अबतो यह होना चाहिये कि बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेय। मैं श्री तिवारी जी से कहूंगा कि उनको ऐसा कहने के बजाय कोई सजेशन देना चाहिये था। अब भी सबेरा है हमें सोचना चाहिये कि हमें क्या करना है और हमें अपनी जेब टटोलनी चाहिये। मैं उपाध्याय जी से भी कहना चाहता हूं कि वह भी अपनी राय इस मामले में दें।

अब आप बैठे रहिये अपने टाइम पर आप कहियेगा। मैं गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि रुड़की इंजीनियरिंग कालेज की जो ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। हमारी पंचवर्षीय योजना, हमारे देश का निर्माण कार्य वहीं से निकले विद्यार्थियों पर निर्भर है, उनके कन्धों पर है। उनका कर्त्तव्य है कि वह हमारे संदेश उन तक पहुंचायेंगे और वे हमारी बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पंचवर्षीय

योजना पर ही देश का निर्माण निर्भर नहीं है बल्कि देश के बच्चे-बच्चे के कन्धे पर है, छोटे चपरासी से ले कर गवर्नर तक उसके लिये जिम्मेदार हैं। हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह देश का उत्थान करे यह जमाना पीस का है। अगर आज मुल्क का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आगे भगवान ही मालिक हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात को ध्यान में रक्खे और उनको ठीक तरह से चेक किया जाय, उनकी देखभाल की जाय। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब चेरमैन साहब, तिवारी साहब ने अपनी तकरीर में यह इरशाद फरमाया कि इस मामले के मुताल्लिक जो कागजात हैं वे उनके सामने रक्खें जायं जिनसे उनको यह मालूम हो कि वहां उस तरह की बातें हुई जिस तरह की बातें उन्होंने अपनी तकरीर में कहीं और यह भी कहा उस रोज यहां जो सवाल जवाब हुये तो उस वक्त मैंने कुछ और कहा था और अब मैंने जो तकरीर की थी इब्तदायी उसमें कुछ और कह दिया है। तो वह लिखा हुआ मौजूद होगा। मैंने उस वक्त सवाल जवाब के दौरान में भी यही कहा था कि बजट आ रहा है परसों को और इस वक्त पिछली जो पोजीशन है उसको मैं उस वक्त ऐवान के सामने रख दूंगा और जो सवाल जवाब थे उस वक्त जो मुनासिब था उसका मैंने जवाब दे दिया था। उसमें एक तजकिरा स्मिथ साहब का था जिनका जिक्र अभी आया। उस वक्त यह नाम मुझे याद नहीं था लेकिन मैंने यह कह दिया था कि यह बात सही है कि एक साहब को हार्ट साहब ने बगैर सिंडीकेट की मंजूरी के रख लिया था शायद आइंदा की मंजूरी पर और उसके मुताल्लिक शिकायतें पैदा हुईं। मगर मैंने और जो तकरीरें कटौती के प्रस्ताव पर सुनीं इस ऐवान में उनसे यह मालूम होता है कि हार्ट साहब तो चले गये हैं और हमको देखना अपनी यूनिवर्सिटी को है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना है। उसके लिये जो कुछ करना चाहिये वह किया जाय। मैं अभी ७ तारीख को यूनिवर्सिटी में था और मैंने वहां यूनिवर्सिटी को एड्रेस किया। तो मेरे दोस्त जो उधर से तकरीर फरमा रहे थे वह अपनी बात का जवाब उसमें पायेंगे। तो मैं यें सब बातें वहां कह कर आया हूं। जहां तक कि तालीम के दौरान में डिस्पिलिन को कायम करने का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक और इस बात के मुताल्लिक कि हम अपने देश की खिदमत का सही जज्बा अपने अन्दर पैदा करें और अपनी आइंदा जिन्दगी में जब कि मुलाजिमत में कोई काम करें इस तरह से काम करें कि मैं अगर इंजीनियर हूं तो मेरी उस इंजीनियरी से हमारे मुल्क को पूरा-पूरा फायदा पहुंचे और आइंदा के रास्ते एक प्लान बनाने के लिये जो हमारी इस वक्त की खामियां हैं वे उसके जरिये से पूरी की जायं और आइंदा के वास्ते तरक्की की जाय। ये सब बातें मैं अपने उस एड्रेस में अर्ज कर आया था और मैं उनसे मुत्तफिक हूं जिन्होंने ये सजेशंस दिये हैं कि हमको इस बात की पूरी कोशिश करनी है कि उस यूनिवर्सिटी के जरिये से हमारे इस देश को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे।

जहां तक कि रिसर्च के जरिये से यहां की स्कीम्स के खर्चों को घटा कर उनको सस्ता बनाने का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक एक बात तो मैं उनकी इत्तिला के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त तक का जो तजुर्बा है वह यह है कि यू०पी० की जो स्कीम्स हैं ख्वाह वह इर्रीगेशन की हों, या पावर की हों या पी० डब्लू० डी० में जो काम करते हों उनकी हों "डिसाइडेडली" डिसाइडेडली का लफ्ज इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो स्कीम आल इंडिया प्लान में मुख्तिलफ स्टेट्स की शामिल हुई हैं उनके मुकाबिले में और इंजीनियरों की राय से यह बात कायम हुई है कि यहां की स्कीम बमुकाबिले और जगहों के बहुत सस्ती, कम खर्च की हैं लेकिन मैं इसको मानने के लिये बिलकुल तैयार हूं कि हम अगर जो सस्ता भी काम कर रहे हों, तब भी आगे को उससे भी ज्यादा सस्ता काम कम खर्च में कर सकें तो उसको करना चाहिये और उसके लिये पूरी कोशिश करनी चाहिये और उसमें किसी किस्म की कोताही हमारी तरफ से न होनी चाहिये।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मैं कागजात के मुताल्लिक इतनी बात अर्ज करूंगा कि मैंने उस दिन जवाब में अर्ज कर दिया था कि जिस बात का उन्होंने हवाला दिया वह गवर्नमेंट के जरिये पास नहीं हुई। वह मामला ऐसा था जो चांसलर और वाइस चांसलर के दर्मियान था। जितनी बात हमारे पास आई थी उसका तजकिरा मैंने कर दिया था और उसके ऊपर जो कुछ हो चुका है वह मैं अर्ज कर चुका हूं जनाब के तशरीफ रखने के पहले और किस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे क्या कह दिया और उसके बाद यह नतीजा मुरत्तब होगा। तो मैं तो यह समझता हूं कि हमको तो इस मामले को भूलकर यह चाहिये कि हमको आइन्दा के लिये हर बेहतरी की कोशिश करनी चाहिये और अपने आपको बनाने में जिस किस्म का तरीका हमको अख्तियार करना चाहिये वह तरीका हम अपना अख्तियार करें और जहां तक किसी यूनीवर्सिटी का तालुक है यह बात सही है कि जिस कदर रुपया उस पर खर्च होता है मेरे नजदीक इस मुल्क के विकास के इंट्रेस्ट में उससे भी ज्यादा रुपया उस पर खर्च करने की जरूरत है। इसमें कोई शुबहा नहीं लेकिन दिक्कत हमको इस बात की है कि रुपया हमारे पास कम है। यह तो नहीं हुआ कि हमने सारा का सारा काट लिया, लेकिन फाइनेन्शियल स्ट्रिनजेंसी के कारण यह जरूर हुआ कि हमसे २० मांगा गया तो हम १८ दे सके। इस किस्म की बात होती रहेगी, लेकिन ख्वाहिश यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा खर्च करके उसको यूजफुल इंस्टीट्यूशन इस मुल्क के लिये बनाया जा सके उसको उतना यूजफुल बनाया जाय। सबका उसमें इंट्रेस्ट है और सबके कोआपरेशन और इमदाद उसके लिये जरूरी है और मैं तवक्को करता हूं कि इस यूनीवर्सिटी के जरिये से हमारी आइंदा की बहुत सी जरूरियात पूरी होंगी और हमको चाहिये और उनको भी कि जितनी खिदमत कर सकते हैं वह करते रहेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, मैंने मंत्री द्वारा उत्तर को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैं तो समझता था कि माननीय मंत्री जी उस दिन की अपेक्षा आज ज्यादा स्पष्ट होंगे और मेरे निवेदन के बाद रुड़की यूनिवर्सिटी का तीन साल का इतिहास और वहां जो संगठन हुआ है उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, लेकिन उन्होंने इसी प्रकार उसको टाल दिया कि जितनी मेरी मालूमात थी वह तो मैंने कह दी और बाकी बात चांसलर और सिंडिकेट के बीच में है वह हमको नहीं मालूम है। आपको मालूम नहीं कि चांसलर और सिंडीकेट के बीच में क्या गुजरा तो मैं श्रीमन्, यह अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब और हार्ट साहब साथ-साथ बैठे थे तो कुछ फाइल्स उनके पास आई होंगी, चांसलर महोदय ने उनको कुछ लिखा होगा, उनकी कुछ रिकमेंडेशंस होंगी, कुछ रिपोर्ट आई होंगी पहले। यह बात नहीं कि न आपको कुछ मालूम है और न सिंडीकेट को और फाइल पर ऐक्शन ले लिया गया। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमिततायें नहीं होंगी जब कि खुद माननीय मंत्री और सरकार इस बात को छिपाना चाहते हैं। तीन साल तक तो यह मामला छिपा रहा और आखिर में जब यह खुला तो उसको फिर बन्द कराने की चेष्टा की जा रही है। मैंने बहुत से सवाल पूछे थे। मैंने उनसे कहा था कि जिन आदमियों को हटा दिया गया या जो हटने पर मजबूर हुये हैं या जो एकाउन्ट्स संबंधी गलतियां हुई हैं उनके संबंध में क्या होगा। क्या वे रख लिये जायंगे? क्या जो एकाउन्ट्स संबंधी गड़बड़ी हुई है उसको सामने रखा जायगा। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला। फिर हमको कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली। रुड़की यूनिवर्सिटी जैसे विशाल संगठन के बारे में पिछले दो साल में हमको तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसलिये वहां की कार्य प्रणाली में कितनी तरक्की हुई, क्या हुआ, यह मैं नहीं कह सकता। यह कहूं तो शायद वह मेरी कल्पना होगी। सरकारी आधार पर जो बात हम कहते थे वह हमें नहीं मालूम हो सकती। यह एक बहुत भारी कमी है। रुड़की यूनिवर्सिटी के इन्तजाम में

बड़ी भारी खामियां थीं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह होता है कि रुड़की यूनिवर्सिटी माननीय मंत्री जी के हाथ में है लेकिन मैं समझता हूं कि वह एक शिक्षात्मक संस्था है। और हालांकि शिक्षा मंत्री का इस यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का बी० एस० सी० में पढ़ता है और रुड़की में जाने के लिये कम्पटीशन में बैठता है तो वह शिक्षा मंत्री जी से संबंध रखता है और अगर कम्पिटीशन में आ जाय तो वह माननीय वित्त मंत्री जी से संबंध रखता है और अगर इंजीनियरिंग पास कर ले तो जो टी० ए० मिलेगा वह माननीय सिंचाई मंत्री से संबंध रखता है। तो यह संगठन संबंधी विरोधाभास हमको नजर आता है और तीन मंत्रियों में जिस प्रकार शिक्षा मंत्री का अनुदान विभाजित किया जाता है यह कुछ समझने लायक बात नहीं है। तो क्या मैं आशा करूं कि भविष्य में जो इस प्रकार की प्रशासकीय संगठन में गड़बड़ी है यह खत्म होगी।

अन्त में मैं फिर माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि श्री हार्ट वाले मामले में अवश्य जांच करें। इसलिये नहीं कि जैसा कि माननीय नवल किशोर ने कहा कि अब क्या होगा, वह तो चले गये, वह तो ठीक है, लेकिन क्या खराबी है यह भी तो मालूम होना चाहिये। पहले तो उनको जाने देना ही गलती थी। जो भी गलती उन्होंने की उसकी इन्क्वायरी होती और उसके बाद जो भी दंड मुनासिब होता वह दिया जाता और अगर बरी हो जाते तो धन्यवाद के साथ बरी कर दिये जाते। यह कोई तरीक़ा नहीं है कि तीन साल तक अनियमितता करने के बाद सरकार ने उनको जाने दिया और कोई इन्क्वायरी नहीं हुई।

बाद में मैं फिर निवेदन करता हूं कि जो नये वाइस चांसलर हैं क्या उनकी भी तनख्वाह ५ हजार रुपये होगी जो कि स्टेट में सबसे बड़ी तनख्वाह है जिसे सरकार ने खुद माना है। माननीय वित्त मंत्री जी कहते थे कि ५ हजार रुपये तनख्वाह यह भी बजट में लिखा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि, जो उस दिन उन्होंने कहा था वही आज भी कहा। उस दिन उन्होंने कहा था कि वाइस चांसलर की ५ हजार रुपये तनख्वाह है यह बजट में लिखा है। लेकिन कहां बजट में लिखा है? वहां तो अकेले एक लाइन २१ लाख की लिखी हुई है।

कई सदस्य—रुड़की यूनिवर्सिटी का बजट तो बिलकुल अलग है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—लेकिन बजट में कहां लिखा हुआ है? इसलिये जो उनको सूचना थी कम से कम वह तो गलत है। तो क्या मैं आशा करूं कि सरकार पुनर्विचार करेगी? हार्ट साहब से तो कंट्रेक्ट था जिसके शर्तनामे में लिखा हुआ है कि ५ हजार रुपये तनख्वाह दी जायेगी। लेकिन नये वाइस चांसलर से कोई कंट्रेक्ट नहीं हुआ है, इसलिये अब कोई जरूरत नहीं है कि रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पांच हजार रुपये तनख्वाह दी जाय। मुझे आशा है कि हम से यह अनुदान मंजूर कराने के पहले इस प्रकार का आश्वासन माननीय मंत्री जी दे देंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं एक बात को बता देना बहुत जरूरी समझता हूं। मेरे दोस्त जैसा फरमा रहे हैं मैं हर्गिज हार्ट साहब को हिन्दुस्तान से निकलने नहीं देता और रुड़की में ही बन्द रखता और कड़ी से कड़ी तहकीकात कराता। मैं एक बात पहले जवाब में साफ कर चुका था कि इसमें उन पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था। वहां कुछ ऐसी इर्रेग्युलेरिटीज हो गयी थी जिनके बारे में आडीटर ने जैसा कि वे लिखा करते हैं, यह बताया था कि यह चाहिये था, वह चाहिये था। इसके बारे में हमारा खयाल यह था कि तहकीकात कराई जाय। इस पर उन्होंने कहा कि वे जाना चाहते हैं। इसलिये यह चीज ऐसी नहीं थी कि जिसकी बिना पर हम उस किस्म का कोई इरादा करते जिस किस्म का इरादा कि मेरे दोस्त बतलाते हैं। यह बात उनके चले जाने और न जाने के बारे में है। रही इस वक्त की बात।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

इस वक्त कोई वाइस चांसलर नहीं है, प्रो० वाइस चांसलर है, उन्हीं को चार्ज दिया हुआ है उनका नाम मैं बता चुका हूं और उनकी तारीफ भी कर चुका हूं। अब रही बात यह कि कौन चांसलर होगा, उसकी क्या तनख्वाह मुकर्रर होगी उनको हाउस क्या देना मुनासिब समझेगा, उनसे उस वक्त क्या बातें और तनख्वाह तय होगी, उन पर इस वक्त कुछ कमिटमेंट कर देना मैं नहीं समझता कि मेरे लिये यह कहां तक मुनासिब है। मैं भी चाहता हूं कि किसी किस्म की गड़बड़ी न हो और सही तरीके से काम हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब उन पर करप्शन का इल्जाम नहीं था तो वे हटाये क्यों गये ?

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८ रुड़की—इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के अन्तर्गत १५,३६,२०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९—ख—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४१, ८१—क, १७ और ६८—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ६८ और ८१—क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब चेयरमैन साहब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६, लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९—ख—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं। उनके अन्तर्गत १,५७,६७,२०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

अधिष्ठाता—इसके साथ ही साथ आप २७ और ४८ नम्बर के अनुदान भी ले लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—वह कल ले लिये जायं।

अधिष्ठाता—यह पहले ही तय हो चुका है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४१, ८१—क,—१७ और ६८—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ७३,०९,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

जनाबवाला, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ६८ और ८१—क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर), के अन्तर्गत ३,६२,१४,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह जो ४८ नं० की मांग है इसमें जो रुपया है वह रेवेन्यू से नहीं खर्च होगा बल्कि कैपिटल से खर्च होगा और जो २७ नं० की मांग है यह उस खर्च के मुताल्लिक है जो बिजली के मुख्तलिफ मुहकमे के अन्दर स्टाफ रहता है, जैसे आजमगढ़ पावर हाउस या हाइडिल के ऊपर जो स्टाफ रहता है उसकी तनख्वाह के

ऊपर जो खर्च होता है यानी इस्टेबिलशमेंट के सिलसिले में है। और जो नं० २६ है, यह एक तो कैसा, आजमगढ़ का पावर स्टेशन, बनारस का पावर स्टेशन और हाइडल डिपार्टमेंट जो है उसके मेन्टिनेंस और रिपेयर्स पर जो खर्च होता है उसकी मांग है। अब मैं इसके मुताल्लिक कुछ बातें एवान के सामने अर्ज कर देना चाहता हूं। जहां तक कैसा का ताल्लुक है ऐवान के मेम्बरों को पहले से यह मालूम है कि यह पावर हाउस कानपुर में है और उसको एक प्राइवेट कारपोरेशन ने बहुत दिनों से कायम किया था और उसको चला रहा था। उसको जो लाइसेंस मिला हुआ था उसके एक्सपायर होने के वक्त सन् ४७ में गवर्नमेंट ने उसे खरीद लिया और सितम्बर सन् ४७ में यह गवर्नमेंट के इन्तजाम में है और उसको चलाया जा रहा है। जितना तमाम यू० पी० के अन्दर बिजली का खर्च है उससे मेरे नजदीक कम से कम आधे से कुछ ही कम कानपुर में बिजली का खर्च है। तो इस पावर हाउस की इम्पार्टेंस बहुत है और इंडस्ट्रीज वहां ऐसी हैं जिनके लिये इस पावर हाउस का होना और अच्छी हालत में चलाना और कायम रहना बहुत जरूरी है। चुनांचे उस वक्त से लेकर इस वक्त तक जो इन्तजाम इसका गवर्नमेंट के हाथ में रहा है उसको हम देखें और जो उसका रिजल्ट निकलता है उसको देखें तो उससे यह अन्दाजा लगता है कि यह पावर हाउस यकीनन, जो हालत इसकी पहले थी जब कि यह प्राइवेट कंसर्न में था उस हाउस से बहुत अच्छी हालत में चल रहा है और इसने ब मुकाबिले उस जमाने के बहुत ज्यादा तरक्की की है और यहां की पब्लिक को उससे अब तक बहुत फायदा पहुंचा है और इस बिना पर हम यह भी तवक्को करते हैं कि उससे आयन्दा और भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि जिस वक्त सन् ४७ में गवर्नमेंट ने इसको खरीदा उस वक्त उसकी कैपिसिटी, उस मशीनरी की हालत की बिना पर जो इसकी पुरानी थी ३० हजार किलोवाट से ज्यादा बिजली जेनरेट नहीं हो सकती थी लेकिन आज उसका जेनरेशन ३७ हजार किलोवाट से भी ज्यादा है और यह सन् ४७ से लेकर इस वक्त तक का जो जमाना गुजरा उसके अन्दर यह तरक्की की गयी है जिसके जरिये उसका जेनरेशन बजाय ३० हजार के ३७ हजार किलोवाट है। उसको ज्यादा साफ करने के लिये यों समझा जा सकता है कि जिस वक्त हमने इस पावर हाउस को खरीदा उस वक्त बिजली के खरीदारों की तादाद शायद १४ हजार थी और आज खरीदारों की तादाद २६,७०० है। अभी कुछ दिनों पहले शायद २६,४०० तादाद थी और एक पम्फलेट जो इस सब्जेक्ट पर विभाग की तरफ से बांटा गया है उसमें गालिबन तादाद लिखी हुई है २६,४००। तो उस वक्त से आज इसकी तादाद बढ़ गयी है इस बिना पर मैं कहता हूं कि २६,७०० है। और जैसा कि मैंने बतलाया था कि पहले ३० हजार किलोवाट बिजली जेनरेट होती थी वहां अब उसका जेनरेशन काफी बढ़ गया है। यों आप मुलाहिजा फरमायें तो उस वक्त साल भर में साढ़े १४ करोड़ यूनिट्स बिजली का जेनरेशन होता था लेकिन आज २० करोड़ यूनिट्स बिजली जेनरेट होती है। तो यह एक बात ऐसी है जिसकी निस्बत मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें उसी तरीके से नहीं चलतीं और ऐसी हालत में बिल खसस एक बहुत पुराना प्लांट जो कि लगा हुआ है और एक प्लान्ट की जिन्दगी २५ साल की होती है। वह २५ साल पूरे होने पर वह मशीनरी पुरानी हो जाती है। तो बावजूद इसके कि वह मशीनरी इतनी पुरानी थी वहां के मैनेजमेंट ने इसमें काफी तरक्की की और इसको बहुत अच्छी हालत में चलाया। मैं उन लोगों का जिन्होंने इस किस्म की तरक्की की उनका बहुत मशकूर हूं। उसमें इतनी तरक्की कोई आसान काम नहीं था। यह सब तरक्की

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जो साढ़े १४ करोड़ के बजाय २० करोड़ किलोवाट या ३० के बजाय ३७ हजार यूनिट और १४ हजार के बजाय २६ हजार खरीदार जो हो गये तो इनके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया गया। गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं हुआ सिवाय इसके कि जो खर्चा पावर हाउस के मेन्टेनेंस में सालाना होता है उसके अलावा और कोई खर्च करना नहीं पड़ा इस मकसद को हासिल करने के वास्ते। वहां पर रिसर्च का काम करने वाले जो मौजूद थे उन्होंने कोशिश की और बग़ैर किसी खर्चे के इसको कर दिया। अगर वहां पर ३० हजार के बजाय ३७ हजार यूनिट पैदा होने लगे तो हमको इसके लिये कम से कम ५० लाख रुपया खर्च करना पड़ता और उसमें ५,६ साल लगते। लेकिन इस काम को वहां के मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी तरक्की करके इस नतीजे को मुरत्तब किया है जो कि मैंने अभी इस एवान के सामने रखा।

दूसरा पावर हाउस आजमगढ़ का है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह एक कम्पनी का था और बार-बार ब्रेकडाउन हुआ करता था तो लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। इस वास्ते बिल आखिर गवर्नमेंट ने इसको ले लिया। यह सन् १९४७ ई० में लिया गया। उस वक्त से लेकर जो काम वहां पर हुआ उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर जनाब इजाजत देंगे तो मेरे पास उसके मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट लिखी हुई मौजूद है उसको मैं पढ़ दूंगा। उससे कुछ वक्त सदन का बच जायगा। उससे मालूम होगा कि किस किस्म की तरक्की हुई है। अभी हाल ही में पिछले दिसम्बर में उसकी हालत को दुरुस्त किया गया है। आज कल सिर्फ २१ आवर्स उससे बिजली मिलती है। २४ आवर नहीं मिलती है। वह डी० सी० का प्लान्ट है और उसका रिप्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल है क्योंकि डी० सी० के प्लान्ट मिलते नहीं। तो उसको ए० सी० में कन्वर्ट करने का इन्तजाम किया गया। तवक्को यह की जाती है कि अगले दिसम्बर तक उसका माकूल इन्तजाम हो जायगा। तो फिर जो दिक्कत बिजली की वहां पर लोगों को रही है वह दिक्कत न रहेगी।

अधिष्ठाता—आप अंग्रेजी के कोटेशन को पढ़ सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह नोट इस तरह से है कि—

"Azamgarh Power House was taken over by Government in May 1947 with three oil engines and a installed capacity of 189 KW. The Engines when taken over were all broken down and the breakdowns were of very serious nature e. g., the Crank shaft of two engines were boken and the main engine block was cracked. After a lot of dificulty and strenuous effort patch repair works were carried out and the engines started with partial supply.

The supply hours were as follows :—

1947	6 hours a day
1948	13 hours a day
1949	13 hours a day
1950	14 hours a day
1951	19 hours a day
1952	19 hours a day
1953	21 hours a day

On the 26th. of December 1952 the lubricating oil pump of engine no. 2 suddenly failed and before any action could be taken the bearing became hot. The engine was stopped immediately and on examination it was found that the Crank shaft bearing studs were broken and the crank

shaft itself required polishing. These were sent by special man to Delhi and the previous hours of supply were resumed on January 31, 1953. During the breakdown of this engine the supply of the town had to be reduced from 19 to 12 hours and from January 9, 1953 the period was increased to 17 hours.

The major dificulty encountered at this power station was due to the fact that the supply is D. C. and there are no D. C. oil engine sets which could be installed for improving the supply condition. Motor generator sets for converting A. C. into D. C. are not available in India.

The supply position at Azamgarh can be improved only when supply is changed to A. C. and arrangements for gradual conversion to A. C. are being taken in hand and are expected to be completed by the end of 1953.

Units distributed each year are as follows :—

Year	*Domestic*	*Power*
1947-48	6,690	....
1948-49	56,595	....
1949-50	97,426	....
1950-51	1,03,154	9,652
1951-52	1,41,999	23,119

The gross revenue has been as follows :—

1947-48	....	
1948-49	31,242	
1949-50	47,131	
1950-51	54,226	
1951-52	69,462	
1952-53	60,000	(Budget estimate)
1953-54	66,000	(Budget estimate)

In order not to dislocate the present consumers domestic and other industrial connections have been withheld temporarily but will be released as soon as some arrangements for more power can be made.

At the time of taking over the power station in 1947 there were 206 consumers in all and now there are 427 domestic consumers and 5 power consumers."

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मई, १९४७ ई० में सरकार ने तीन आयल इंजिन और उसकी १८९ किलोवाट शक्ति का आजमगढ़ बिजली-घर अपने हाथ में ले लिया था। इंजिन उस समय खराब थे और उनकी खराबी बहुत बड़ी थी उदाहरणतः दो इंजिन के क्रैंक शैफ्ट टूटे हुए थे और खास इंजिन फटा हुआ था। बहुत कठिनाई और मेहनत के उपरान्त मामूली सी मरम्मत करके इंजिन थोड़ा बहुत काम योग्य हो गए और बिजली देने लगे। बिजली देने का समय निम्नांकित था:—

१९४७	...	दिन में ६ घंटे
१९४८	...	दिन में १३ घंटे
१९४९	...	दिन में १३ घंटे
१९५०	...	दिन में १४ घंटे
१९५१	...	दिन में १९ घंटे
१९५२	...	दिन में १९ घंटे
१९५३	...	दिन में २१ घंटे

२६ दिसम्बर, १९५२ को नं० २ इंजिन का ल्यूबरीकेटिंग आयल पम्प एकाएक बन्द हो गया और इसके पहिले कि वह ठीक किया जा सकता बेरिंग गर्म हो गई। इंजिन एकदम बन्द कर दिया गया और जांच के बाद पता लगा कि क्रैन्क शैफ्ट बेरिंग के छल्ले टूट गए हैं और क्रैन्क शैफ्ट को सफ़ाई की आवश्यकता है—यह एक विशेष आदमी के द्वारा देहली भेजे गए और ३१ जनवरी, ५३ को पुनः बिजली देने का पुराना समय आरंभ हुआ। इंजिन की खराबी के दौरान में बिजली देने का समय १९ घंटे से १२ घंटे कर दिया गया और ९ जनवरी, ५३ से समय फिर १७ घंटे का कर दिया गया। सब से बड़ी परेशानी इस बिजली-घर में इस कारण है कि यहां कि सप्लाई डी० सी० है और डी० सी० का कोई आयल इंजिन नहीं है जिससे कि सप्लाई की हालत सुधर सके। मोटर जेनेरेटर इंजिन जिनसे की ए० सी० से डी० सी० परिवर्तित की जा सकती हैं भारतवर्ष में नहीं मिलते।

आजमगढ़ की बिजली की शक्ति तभी बढ़ सकती है जब वह ए० सी० में बदल दी जाए, जिसका कि काम धीरे-धीरे हो रहा है, सन् १९५३ ई० के अन्त तक पूरा हो जायगा।

प्रत्येक वर्ष में इकाइयों का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष		घरेलू	शक्ति
१९४७–४८	...	६,६९०	...
१९४८–४९	...	५६,५९५	...
१९४९–५०	...	९७,४२६	...
१९५०–५१	...	१,०३,१५४	९,६५२
१९५१–५२	...	१,४१,९९९	२३,११९

शुद्ध निकासी इस प्रकार है :—

१९४७–४८	...	...
१९४८–४९	...	३१,२४२
१९४९–५०	...	४७,१३१
१९५०–५१	...	५४,२२६
१९५१–५२	...	६९,६४२
१९५२–५३	...	६०,००० (आय व्ययक प्राक्कलन)
१९५३–५४	...	६६,००० (आय व्ययक प्राक्कलन)

घरेलू तथा अन्य औद्योगिक कनेक्शन देना अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है ताकि वर्तमान उपभोक्ता लोग विस्थापित न हो सकें, परन्तु ज्योंही अधिक शक्ति का प्रबन्ध हो सकेगा, कनेक्शन देना आरम्भ कर दिया जायगा ।

सन् १९४७ ई० में बिजली घर को लेने के समय कुल २०६ उपभोक्ता थे और इस समय ४२७ घरेलू उपभोक्ता व ५ शक्ति उपभोक्ता हैं ।]

यह सिर्फ हालात वहां के हैं और उनको इस हाउस में पढ़ कर सुनाने की जरूरत इसलिये हुई कि वह पावर हाउस जो इस क़दर खराब हालत में था और जिसके रिप्लेस करने के लिये और डी० सी० के लिये हिन्दुस्तान में एञ्जिन नहीं हैं उसके लिये कोशिश करके और तरक्की देकर इस दर्जे बनाया गया है और अभी जो कुछ दिक्कतें बाकी हैं उनको भी ठीक करने की तवक्को की जाती है कि वह सब अगले साल पूरी हो जायंगी और इसी पावर हाउस के लिये इस में रुपया है जो कैपिटल और मेन्टेनेंस दोनों में है ।

तीसरी चीज हाइड्रो एलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है । इसका जहां तक ताल्लुक है इसकी हिस्ट्री बयान करना तो गैरजरूरी होगा क्योंकि आज उससे दुनिया पूरे तौर से वाकिफ हो चुकी है वह सन् २७–२८ से चला और उसके जरिये ७–८ पावर हाउस गंगा नहर पर कायम हैं और उस से ट्यूबवेल लगे और उनसे आज तक सिंचाई यू० पी० में होती है । यह सब बातें हैं जो तमाम साहबान के इल्म में हैं । उनकी निस्बत बयान करने की कोई खास जरूरत नहीं है । हां, यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस दौरान में ग्रिड एरिया के अन्दर भी बिजली को बढ़ाने की कोशिश बराबर होती रही है । एक बात इस सिलसिले में और अर्ज कर दूं अगरचे इस ऐवान में आज से पहले कई मर्तबा उसको अर्ज भी कर चुका हूं कि बिजली का शार्टेज १९४६ ई० में बहुत कुछ हो चुका था और बिजली की जरूरत और मांग जितनी पैदा हो गयी थी उतनी बिजली हमारे यहां मौजूद नहीं थी । इस वजह से कंट्रोल यहां लगाया गया । पहले डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत, और जब पापुलर गवर्नमेंट आयी तो ऐक्ट के जरिये से कंट्रोल लगाना शुरू किया । साल, दो साल के बाद उसका एक्सटेंशन होता रहा और इस वक्त भी इस सूबे के

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

अन्दर जारी है। तो हाईड्रो एलेक्ट्रिक पावर के अन्दर जितनी बिजली है इस वक्त वह ४० हजार किलोवाट है। ३४ हजार किलोवाट पहले थी। एक पावर हाउस मुहम्मदपुर का बन चुका है। ९ हजार किलोवाट का जनरेशन है जिसमें ६ हजार किलोवाट का जनरेशन मिल रहा है। वह बिजली मिला कर ४० हजार किलोवाट है। लेकिन इस वक्त पथरी पावर स्टेशन बन रहा है और एक पावर स्टेशन, शारदा पावर स्टेशन है, वह भी बन रहा है।

जहां तक पथरी का ताल्लुक है १५ हजार किलोवाट फर्म बिजली मिलने वाली है और २३ हजार किलोवाट फर्म बिजली शारदा पावर हाउस से मिलने वाला है। शारदा पावर स्टेशन सन् १९५४ के आखिर या १९५५ के शुरू में बन कर मुकम्मल हो जायगा और उसके जरिये से वहां बिजली मिलने लगेगी। उसी के लिये खर्चा है। इसके अन्दर जो ४८ नम्बर की ग्रांट है, कैपिटल से जो खर्च होता है उसके अन्दर पथरी और शारदा के लिये भी खर्चा है। जो यह पावर स्टेशंस बन रहे हैं उनके लिये ट्रांसमिशन लाइन्स भी होती हैं बिलजी पहुंचाने के लिये, उन, ट्रांसमिशन लाइन्स का भी खर्चा उसी के साथ-साथ उसके अन्दर है।

उसके अलावा जो पावर हाउस हैं उनके मेंटिनेन्स का खर्चा सालाना होता है। यह सब खर्चा ग्रांट नम्बर २६ की मांग के अन्दर शामिल है।

उसके अलावा जो इन्तजाम नया है यानी पंचवर्षीय योजना, जो हमारी है उसमें जहां तक बिजली का ताल्लुक है, उसमें नये पावर हाउस बनने की तजवीज हुई। नयी चीज से मतलब पथरी नहीं। पथरी और शारदा जो ५०–५१ की स्कीमें थीं वह भी पंचवर्षीय योजना में शामिल हो गयीं। वह अलग बात है। लेकिन जो हमने पावर का प्लान बनाया है उसके अन्दर हमने पावर हाउस बनाने रखे थे। वह पूर्वी जिलों में थे। गोरखपुर में एक पावर स्टेशन है, जो डीजेल से चलता है उसकी कैपेसिटी तीन हजार कुछ किलोवाट की है। उसके जरिये से बस्ती, देवरिया, चौरीचौरा या कुछ मुकामात हैं जिनको बिजली दी जाती है। वह एक छोटा सा पावर स्टेशन है। उसके जरिये से यह हो नहीं सकता कि पूरे पैमाने पर बिजली तकसीम हो सके। इसलिये वहां यह तजवीज की गयी कि एक पावर स्टेशन वहां पर इस स्कीम का बनाया जाय, गोरखपुर में।

एक पावर स्टेशन मऊ, जिला आजमगढ़ में बनाया जाय। एक फैजाबाद में सुहावल पावर स्टेशन है, वह पहले से है। उसमें कुछ एक्सटेंशन भी हुआ २ हजार किलोवाट बिजली का। अब साढे सात हजार किलोवाट बढाने का इंतजाम करने की तजवीज की गयी है, और एक मैनपुरी में पावर स्टेशन बनाना तजवीज हुआ। तो एक मैनपुरी में हुआ, एक सुहावल पावर स्टेशन का एक्सटेंशन हुआ, एक गोरखपुर का एक्सटेंशन हुआ, एक मऊ का पावर स्टेशन हुआ। यह सब दस-दस और साढे सात हजार किलोवाट के बनाये जाने वाले पावर हाउसेज हैं और इनका मकसद यह है कि वहां के रूरल एरिया को ट्यूब वेल लगाने के वास्ते बिजली मिले और फिर और दूसरे मकसद के लिये जो बिजली की जरूरत हो वह है।

अब जहां तक बिजली की जरूरत का ताल्लुक है, दुनिया की कोई इंडस्ट्री और दूसरी चीजें बगैर बिजली के चलती नहीं हैं। तो मैं तो यह अर्ज नहीं कर सकता हूं कि इन पावर हाउसेज के बनने से वहां की जरूरत पूरी हो जायगी और आइन्दा के वास्ते जरूरत बाकी नहीं रहेगी। आगे तो और भी कुछ करना होगा, लेकिन इस वक्त जो इन्तजाम है उसके लिये यह बिजली की तफसील मैंने अर्ज कर दी। उसके साथ-साथ वहां पर अब ९९५ ट्यूबवेल्स बनाने की योजना जारी है। ३४० ट्यूबवेल्स मैनपुरी के पावर हाउस में हैं और उनकी वजह से ऐसा है कि जो ओरिजिनल प्लान पावर का था उसमें यह शामिल नहीं थे। इसीलिये मैनपुरी का बढाया गया। क्योंकि मैनपुरी में जो ट्यूबवेल बनेंगे उनको भी बिजली मिल सके इसलिये यह बढ़ाया गया। तो ९९५ ट्यूबवेल्स जो बनेंगे उनके साथ-साथ ट्यूबवेल्स को बिजली देने केलिये डीजेल के जरिये इन्तजाम होगा, उस वक्त तक जब तक कि पावर हाउस बनकर

तैयार न हो जायं। उनके बनने में, मैं मानता हूं कि मेरे सुपुर्द यह खिदमत है। मैं गलती कर दूं यह मुमकिन है, मुझसे गफलत हो सकती है। तो किसी की गफलत से देर होने के अलावा वह ऐसे मुश्किल काम हैं जिनमें देर लगती है और खास तौर से ऐसे पावर हाउसेज जो हाइड्रो एलेक्ट्रिक हैं, जैसे पथरी है या शारदा का है जो बन रहा है, उसको कोई जाकर देखे तो उस शख्स को जिसने पहले न देखा हो और बनने पर देखे तो वह देखेगा कि यह इतनी सी इमारत और यह तीन मशीनें खड़ी करनी थीं, इसमें ४ वर्ष लग गये। उसके दिमाग में फितरी तौर पर यह ख्याल होगा। लेकिन उसके बनने और उसके तकमील होने के पूरे प्रोसेस को कोई देखे और स्टडी करे तो यकीनन समझ सकेगा कि इस काम में कितनी दिक्कतें और मुश्किलें हो सकती हैं और यह वक्त जितना लगा है यह बनने में लग सकता है। यह हो सकता है कि ४ साल के बजाय साढे चार साल या ५ साल लगा दिये हों, मुख्तलिफ वजूह से या किसी की गफलत से, लेकिन यह काम देर लगने वाला है। ये जो पावर स्टेशंस बनेंगे, गोरखपुर में जो बनेगा या मैनपुरी में या सुहावल में जो एक्सटेंशन होगा वह इतना मुश्किल नहीं है जितने कि शारदा और पथरी के हैं, लेकिन वक्त लगाने वाले हैं और जितनी मशीनरी की उनको जरूरत है उसके मंगाने में वक्त लगेगा। वह तो बाहर से मंगाई जायगी। वहां जब आर्डर दिया जाता है तो दो वर्ष और ३ वर्ष में उन चीजों की डिलीवरी वह देते हैं। वह पहुंचेंगी और इमारतों में रखी जायंगी। वहां पावर स्टेशंस के लिये इतना करना है कि मकान बन चुका है और जब मशीनें आ जायं तो किसी इरेक्टर से इरेक्ट करा दीजिये। तो ह्यूमनली पासिबिल जितनी जल्दी हो सकती है वह की जाती है। यह पावर हाउस जो मऊ में बनने वाला है, जो गोरखपुर में बनने वाला है, जो कानपुर में बनने वाला है या सुहावल में जो एक्सटेंशन होने वाला है यह काम हमारी प्लान के टाइम के अन्दर–अन्दर, जो ५ साल का हमने रखा है, पूरा करना है और यकीनन पूरा किया जायगा और उसके मातहत जो हमको काम करना है और जो फायदा अपने यहां के रहने वालों को पहुंचाना है, वह यकीनन पहुंचाया जायगा।

उन पावर स्टेशंस के लिये जो ट्रांस्मिशन लाइन से बिजली पहुंचायेंगे, उनके लिये इसमें रुपया रखा गया है। जो आपका ग्रांट नं० ४८ है जिसमें कि राजस्व से नहीं बल्कि कैपिटल से खर्चा होगा यह सब खर्चे उसके अन्दर शामिल है और यह तो वह खर्चे हैं जो जरा मोटे किस्म के और अहम थे। वह मैंने अपनी जबान से अर्ज कर दिये। इनकी तफसील अगर देखनी हो तो वह जो ४८ नं० की ग्रांट है उसके एक सफे पर, मुझे याद नहीं है वह कौन सा सफा है, पूरी तफसील उसपर दी गई है। उनके सबके ताल्लुक लौट फेर करके बिजली से हैं, इस पावर हाउस से हैं, उस पावर हाउस से है या अगर कोई इमारत है तो उसी के सिलसिले में हैं, या और कोई काम है तो उसी के सिलसिले में है। जो पावर हाउसेज पहले से मौजूद हैं उनके मेंटिनेंस का खर्चा और जो नये बन रहे हैं उनका खर्चा यह चीजें इसमें हैं। जहां तक मुहम्मदपुर के पावर स्टेशन का ताल्लुक है, वह बन चुका है और उसकी ही बिजली है जिसको कि इस वक्त तकसीम किया जा सकता है। उसकी तकसीम के लिये गवर्नमेंट ने यह तय किया कि उसमें से कुछ तो गवर्नमेंट को जरूरत थी अपने ट्यूब वेल्स के लिये, वह दी गई, और कुछ और जो सरकारी खर्चों के वास्ते जरूरत थी वह दी गई। बाकी के लिये यह उसूल मुकर्रर कर दिया कि जितना जेनरेशन वहां का है उसमें से जितना अवेलेबुल है वितरण के लिये, उसमें से ६० फी सदी तो दिया जाय ऐग्रीकल्चर को और उसमें से १० परसेंट दिया जाय डोमेस्टिक परपजेज के लिये, घरेलू कार्यों के लिये जैसे पंखे हैं रोशनी है, इनके लिये १० परसेंट तकसीम किया जाय और बाकी जो ३० परसेंट है वह इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिये दिया जाय। इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो हमारा है उसका पहले से यही तरीका है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कुछ प्रिफरेंसेज, कुछ प्रायरिटी तजवीज करता है कि इसको प्रायरिटी दी जाय। उस तरीके से वह तकसीम के वास्ते उनको दे दिया गया। जहां तक हाइडल का ताल्लुक है उसकी तकसीम जो उसका

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है उसके जरिये से होती है और जो बाहर के एरिया हैं जैसे लखनऊ में बिजली बढ़ी है, बनारस में बढ़ी है इन मुकामात में बिजली और बढ़ गई है और कितनी जगहों से कंट्रोल उठा भी लिया गया है, मैं यह नहीं कहता कि पूरा उठ गया है लेकिन कुछ-कुछ शर्तों के साथ में कितनी जगहों से कंट्रोल उठा लिया गया है, उसमें एक आगरा भी है, बरेली भी है उसके अन्दर, ये सब इस किस्म के मुकामात हैं। मैंने एक दफा अर्ज किया था कि सन् ४६ से लेकर पिछले साल तक २६ हजार किलोवाट बिजली मजमूई तौर पर उत्तर प्रदेश के अन्दर बमुकाबिले पहले के बढ़ गई तो उस सब की वजह से एक मौका हुआ कि कंट्रोल उठा लिया जाय। चुनांचे यह किया गया है और उठा भी लिया गया है। इन सब किस्म के कामों के लिये यह खर्चे इन तीन चीजों के अन्दर हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे जरूरी ये काम है कि इनके लिये यह तो कोई कह नहीं सकता कि रुपया नहीं दिया जाय। कुछ इल्जाम मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर लग सकता है और मैं अपने को कुसूरवार आदमी करार दे सकता हूं। मुझे कोई उसके अन्दर ताम्मुल नहीं करना है और न फिक्र करनी है इसलिये कि मैं आदमी हूं, गलती भी करता चलूंगा और सही भी करता चलूंगा। इस मामले में इस बात को देखने की जरूरत है कि यह रुपया जिसको कि इस वक्त इस ऐवान से मांग रहे हैं यह हमारे डेवलपमेंट के लिये, हमारे विकास के लिये, उस पंचवर्षीय योजना की इज्जत कायम रखने के लिये जिसको कि हमको इतने अरसे के अन्दर पूरा करना है निहायत जरूरी है कि हम इसके ऊपर जो गौर फिक्र करें, जो सोचें वह एक सिम्पेथेटिक हो, हमदर्दाना हो। मैं यह नहीं कहता कि आलोचना न की जाय, तनकीद न की जाय। जरूर की जाय। मैं उस तनकीद को सुनने को और उसके ऊपर अमल करने को तैयार हूं, जहां तक कि कर सकूं और यह चाहता हूं कि कहा जाय, बतलाया जाय, जो कुछ गलती हो मगर तरीका जो इसके बतलाने का हो वह एक सिम्पेथेटिक तरीके से हो और ऐसे तरीके से हो कि गवर्नमेंट को अपने काम के अंजाम देने में एक मदद मिले। एक आदमी जो काम कर रहा है, मैं इस किस्म की बातें आलोचना में कर सकता हूं कि उसको बिलकुल डिसक्रेज कर दूं और वह यह सोचें कि जब इस दुनिया के लोग हमारे ऐसे काम को इस तरह से देखते हैं तो ऐसी खिदमत करने से क्या फायदा है। अगर आइन्दा बेहतरी के लिये कुछ कहा जाय या बतलाया जाय तो हमारे लिये जरूर काबिल कबूल होगा और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आपके इस सूबे की गवर्नमेंट उस तरफ चले और चलने की कोशिश करे और यहां की गवर्नमेंट और यह ऐवान मिल करके ऐसे काम को इन्तहा तक पहुंचायें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता, महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किये हैं उन सम्पूर्ण अनुदानों में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

पारसाल इन अनुदानों पर वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके का भाषण किया था, उसी से मिलता-जुलता कुछ आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा करके इस साल भी उपस्थित किया गया है। मैं समझता था कि वित्त मंत्री जी की ओर से इस साल जब बिजली उत्पादन और उसके वितरण का अनुदान उपस्थित होगा तो उसमें कुछ मौलिकता होगी और उसका कुछ लेखा-जोखा भी होगा कि पिछले सालों में हमने बिजली की समस्या का समाधान कितना किया और इस साल कितना किया और आगे भी कितना करेंगे। जहां तक माननीय वित्त मंत्री जी को ब्योरे से सुना उन्होंने कानपुर की जो बिजली कम्पनी सरकार के हाथ में आयी उसकी काफी चर्चा की। अब श्रीमन् मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी और उनके समान ख्याल रखने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सोचें कि बिजली कम्पनी सरकार के हाथ में आवे, या व्यक्तिगत हाथ में जाय या और कोई उसका नवीन तरीका हो, मगर बिजली कम्पनी से जो बिजली पैदा होती है वह किस रेट पर मिलती है, उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनको क्या-क्या सुविधायें प्राप्त होती हैं और जो व्यक्ति गत हाथों में कम्पिनियां हैं उनके अन्दर जो मजदूर काम करते हैं उनको क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं, और उनके जरिये जो बिजली दी जाती है वह किस भाव में मिलती है। मैं समझता था कि इन तमाम बातों का लेखा-जोखा माननीय मंत्री जी सदन के सामने प्रस्तुत

करेंगे, मगर यह बातें उन्होंने प्रस्तुत नहीं कीं। मैं फिर भी चाहता हूं कि जब इस बिजली उत्पादन और वितरण पर ख्याल किया जाय तो यह कितना आवश्यक पदार्थ है इसकी तरफ भी हमारी नजर जानी चाहिये। बिजली को लेकर आज हमको गांवों तक जाना है। इसके जरिये हमें गांव और शहर के विभेद को मिटाना है। तो जब इतना बड़ा हमें काम करना है और हर क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि करना है, तो क्या जिस तरीके से सरकार बिजली के उद्योग को चला रही है, उसका नियंत्रण कर रही है, वह ठीक है या उसमें संशोधन और सुधार की आवश्यकता है? मैं चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जिस तरीके से चल रहे हैं बिजली के उत्पादन में बिजली के वितरण में, उन तरीकों को बदलें और जो उपभोक्ता हैं उनको लें, जो कम्पनियों में मजदूर काम करते हैं उनको लें और सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें रहें और उनकी एक ऐसी कमेटी हो जिसके नियंत्रण में बिजली के उत्पादन का कारबार चले, बिजली के वितरण का कारबार चले। परसाल इन अनुदानों पर बोलते समय हमने बताया था कि सरकार की नीति बिजली के उद्योगों को बढ़ाने में काफी गतिशील नहीं रही है। बहुत से म्युनिसिपल बोर्डों की भी चर्चा मैंने की और मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी इस समय उधर भी ध्यान देते और बताते कि क्या उनको बिजली के उद्योग को चलाने की इजाजत दी गयी। श्रीमन्, परसाल ललितपुर, बांदा, उरई, जालौन काल्पी इत्यादि म्युनिसिपैलिटियों की ओर से जो सरकार से मांग की थी बार–बार कि सरकार इन म्युनिसिपैलिटीयों को बिजली उद्योग चलाने की इजाजत दे मगर सरकार की ओर से इजाजत नहीं दी गई। माननीय मंत्री जी की ओर से कुछ ऐसी बात हमारी समझ में नहीं आई कि स्थानीय संस्थाओं के हाथ में बिजली-का उद्योग धंधा क्यों नहीं दिया जाता जबकि बार-बार डिसेन्ट्रलाइजेशन, और उत्पादन की बात कहते हैं तब इन बातों की ओर कहा जाना हमें कुछ अच्छा नहीं मालूम होता और मैं समझता हूं कि उद्योग को जिस ढंग से बढाना चाहिये उस ढंग से समुचित रूप से बढ़ाने में सरकार फेल हो रही है। श्रीमन्, परसाल माननीय वित्त मंत्री ने प्रान्तीय बोर्ड बनाने की बात इस सदन में कही थी। मैं समझता था कि जब यह बजट आयेगा और इन अनुदानों के लिये माननीय वित्त मंत्री जी पुनः सदन से कहेंगे तो यह काम पूरा हो चुका रहा होगा, मगर मैं इस बात को समझ सकने में कतई असमर्थ हूं कि आखिर वह बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया, आखिर वह कब बनेगा। श्रीमन् हमने इतना कहा था कि जो वेंकटेश नारायण तिवारी की अध्यक्षता में एक हाइडेल रेट्स कमेटी कायम हुई थी, उसकी रिपोर्ट तो सदन के सामने रखी जाय। आखिर उस कमेटी का क्या सुझाव था? इस साल का भी बजट प्रस्तुत हुआ मगर उसकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री ने नहीं की।

श्रीमन् समय बहुत कम है नहीं तो माननीय वित्त मंत्री की खिदमत में मैं विस्तार से पेश करता, मैं जो सन् १९४९–५० ई० की एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की रिपोर्ट निकली हुई है उसको आपकी इजाजत से थोड़े में सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिये पढ़ना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि अगर उस पर सम्मानित सदस्य गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं होगी, ज्यादा कठिनाई नहीं होगी कि इस सरकार की नीति इस बारे में कितनी लचर है। समिति ने सन् १९५८–४९ के संबंध में गंगा नहर जल-विद्युत योजना के अनुसार प्रोफारमा जिनकी महालेखा पाल ने जो विवेचना की है उसकी मुख्य बातें यह हैं—(१) लाभ में उत्तरोत्तर कमी हुई है जो सन् १९४६–४७ में ९.१४ लाख, सन् १९४७–४८ में ४.९२ लाख और १९४८–४९ में २.६९ लाख आया। श्रीमन्, अगर इसे देखा जाय तो बराबर सरकार नीचे की ओर चलती चली जा रही है। कार्यसम्पादन अर्थात् कार्यसम्पादन-व्यय, सम्पूर्ण आय का अनुपात सन् १९४७–४८ में ७६.५ प्रतिशत से बढ़कर आलोच्य वर्ष में ७१.५ प्रतिशत हो गया। इसके क्या मानी हैं कि सरकार के द्वारा जो खर्चा होता है वह बढ़ता

[श्री राजनारायण]

जाता है मगर उससे जो आमदनी होनी चाहिये उस आदमी में दिन प्रतिदिन कमी होती चली जा रही है। यह रिपोर्ट हमें यह बताती है। इसलिये अगर इसको ब्योरे से पढ़ा जाय तो सरकार की खामियां और त्रुटियां आयेंगी।

इसके बाद अगर देखा जाय तो माननीय मंत्री जी बहुत ही आसानी से इस बात को पा सकते हैं कि खर्चा आफिसर्स के ऊपर हर साल कुछ न कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है मगर वहां के जो छोटे कर्मचारी हैं, जो निम्न कर्मचारी हैं वहां पर खर्चा कम होता जा रहा है, उस रेशियो में और उस अनुपात में। इसके क्या मानी हैं? क्या इसी को प्रबन्ध कहते हैं? इसे कुप्रबन्ध कहा जाता है। श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की उन बातों को हर समय ध्यान में रख रहा हूं जो उन्होंने आलोचना और समालोचना के बारे में कहीं कि समालोचना कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या यह समालोचना कंस्ट्रक्टिव नहीं है? आखिर वह कंस्ट्रक्टिव के क्या मानी समझते हैं? मैं अब भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने आजमगढ़ के बारे में जो तमाम ब्यौरा दिया अगर अपने पारसाल के भाषण को वे पढ़ेंगे तो मऊ के बारे में उनके द्वारा इस सदन को आश्वासन दिया गया था कि बिजली कम्पनी खुलेगी, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या वहां बिजली की कम्पनी खुली। कितने किलोवाट बिजली बढ़ी, इन तमाम बातों को यहां पढ़ने से ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। हमें यह देखना है कि क्या सरकार बिजली के उत्पादन और वितरण का समाजीकरण करना चाहती है। क्या आज जिन प्राइवेट कम्पनीज के हाथ में बिजली का काम सुरक्षित है उनका वह समाजीकरण करना चाहती हैं? जिन बातों के बारे में इस सदन में कुछ खुलासा आना चाहिये था। १५ वर्ष की योजना के बात माननीय वित्त मंत्री जी ने अवश्य कही। ठीक है, ५ वर्ष उसके बीत गये हैं और १० वर्ष बीतने वाले हैं। मगर क्या माननीय वित्त मंत्री जी साहस के साथ कह सकते हैं कि उसके उपरान्त वे बिजली के उद्योग को सम्पूर्ण तरीक़े से समाजीकरण करेंगे? मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी सोशेलाइजेशन और नेशनेलाइजेशन के अन्तर को समझते होंगे और व्यक्तिगत हाथों में यह कम्पनी रहने से क्या हानि होती है उसके अन्तर को भी समझते होंगे। मैं इस पर जाकर सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से इन बातों की सफाई होनी चाहिये कि आखिर हमारे यहां डोमेस्टिक ओयर्स के लिये और छोटे-छोटे और बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता है और उसे वे कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने फरमाया कि डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल अभी भी जारी है। तो यह सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। सरकार को इससे प्रफुल्लित या गद्गद् नहीं होना चाहिये। यह उसकी स्कीम की कमी है। ६ वर्ष बीत गये और अगर इसी रफ्तार से हमारे वित्त मंत्री की जी बिजली के उत्पादन और वितरण की योजना चलेगी तो हमारा प्रान्त जिस लाभ को पाने की आशा में बैठा हुआ है वह आशा पूरी नहीं होगी। मैं सोचता था कि यह हमें जानने को मिलेगा कि आगे इसमें कैसे काम होगा मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं बताया। मैं उनकी खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि अगर वह देखेंगे नेट लास और गेन तो १९५१-५२ में उनको २१ से ७८ हजार, १२ से २१ हजार, फिर १६ से ६३ हजार हुआ, इससे आखिर वह क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे यही मालूम होगा कि अपने आफीसर्स के जाल को बिछा कर तमाम उद्योग-धंधों को जिस तरह से बढ़ाना चाहिये जनहितकारी कार्यों में और जनहितकारी तरीके से उस तरह से माननीय मंत्री जी नहीं चलाना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री से फिर सुनने के बाद और वे बिजली के उद्योग-धंधे को किस तरह से चलाना चाहते हैं पूरी मुकम्मिल जानकारी हासिल करने के बाद कुछ निवेदन करूंगा।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के वैज्ञानिक युग में सारे उत्पादन कार्यों के लिये बिजली अपना एक विशेष स्थान रखती है। इसलिये इन २६, २७ तथा ४८ अनुदान संख्याओं के अन्तर्गत जितनी मांग माननीय वित्त मंत्री जी ने

सदन के सम्मुख रखी है मैं उसके लिये बधाई उनको देता हूं। सरकार ने उत्पादन के कार्यों के लिये बिजली की ओर जितना ध्यान दिया है वह सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये उचित ही है। इससे ज्यादा धन भी इसमें दिया जा सकता तो ज्यादा अच्छा था लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजना में सफलता प्राप्ति की रूपरेखा जिस तरह से नियत की गई है अगर उन्नति इसी चाल से भी चलती रही तो मैं समझता हूं कि अपनी अवधि के अन्दर ही पूर्ण हो सकेगी। बिजली के कार्यों के लिये आवश्यक है कि जिन हाथों में बिजली के उत्पादन और वितरण का प्रबन्ध हो वे अनुभवी, योग्य और ईमानदार हों। अपने प्रदेश के बिजली विभाग के सम्बन्ध में जिन अधिकारियों से मुझे मिलने का अवसर मिला है, विशेषकर यहां के चीफ इंजीनियर महोदय, वे काफी अनुभवी हैं और वे तथा उनके विभाग के और भी जो ऊंचे अधिकारी हैं, मैं समझता हूं ईमानदार भी हैं। यही कारण है कि विभाग सुचारुरूप से चल रहा है।

इसके बाद मैं रामपुर के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रियासत के विशीन होने के पहिले ही वहां की सरकार द्वारा यह निश्चय किया गया था कि वहां के बिजली घर में एक नया ब्वायलर लगाया जायेगा और मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेशीय सरकार को कि पांच लाख रुपया लग कर अब वह ब्वायलर फिट हो चुका है। जैसा कि बिजली विभाग की रिपोर्ट में दर्ज है, उससे करीब एक हजार किलोवाट अधिक बिजली रामपुर में पैदा होगी। वहां के लोग उसकी ओर आशा लगाये बैठे हैं लेकिन मुझे दीखता कुछ ऐसा है कि इस नई बिजली में से शायद एक किलोवाट भी पब्लिक को न मिल सके। उसका कारण यह है कि पांच सौ किलोवाट तो रजा टेक्स्टाइल्स को देने की कोई पहिले की ही बात है। बिजली की वर्तमान मशीन में कुछ खराबी आ जाने के सबब से जो तीन चार सौ किलोवाट जो वह ओवर लोड चला करती थी वह आगे नहीं हो सकेगा। इस तरह जो नई बढ़ोत्तरी होगी वह सब सब बराबर हो जायेगी इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात पर विचार करें और रजा–टेक्सटाइल को पांच सौ किलोवाट नहीं दें क्योंकि वह स्वयं भी अपना जनरेटर लगा सकते हैं। अगर बिजली के ये पांच सौ किलोवाट जनता के लिये बचाये जा सकें तो यह बचत काटेज इंडस्ट्रीज के जरिये वहां की बेकारी को कम करने में बहुत हद तक सहायक हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत बजट की अनुदान संख्या २६ में जो ९६ हजार रुपये एक नई मद के अन्तर्गत विभाग की ओर से इसलिये दिखाये गये हैं कि अब तक वह रामपुर बिजली घर के टेम्पोरेरी स्टाफ पर खर्च होते थे और अब १ अप्रैल, सन् १९५३ से वहां का सारा स्टाफ परमानेंट कर देने के कारण वह स्थायी व्यय होगा। लेकिन उसमें जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है, डिवीजनल स्टाफ को छोड़ दिया गया है। इससे ऐसा सन्देह होता है कि शायद आगे डिवीजनल स्टाफ न रहे और कोई और व्यवस्था लागू की जाने वाली हो। माननीय मंत्री जी कृपया इस पर विचार करें।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

एक बात और माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं। इसी २६ जनवरी को जब वह रामपुर पधारे थे और सहकारिता के ढंग पर लगाए जाने वाले एक ट्यूबवेल का उद्घाटन करने पंजाबनगर गये थे तो वहां के लोगों को कुछ आश्वासन दे आये थे। हमारे यहां सहकारिता के आधार पर इस समय तक ३ मील की एरिया में ५ ट्यूबवेल लग चुके हैं तथा १६ और लगने हैं, लेकिन कोआपरेटिव सिस्टम को एनकरेजमेंट नहीं मिलता, क्योंकि उनको बिजली नहीं मिल रही है। १९ ट्यूबवेल्स का कन्जम्पशन कुछ ज्यादा नहीं होगा जब कि डीजिल तरीका बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर उनको बिजली देकर

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

सहकारिता को प्रोत्साहित किया जाय तो उससे बहुत लाभ होगा। अलावा इसके मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के जो नियम नए कनक्शनों के देने के सम्बन्ध में हाइल क्षेत्र में हैं वह रामपुर के लिये लागू नहीं होने चाहिये, क्योंकि वहां की अलग बिजली पैदा होती है और अलग ही उसका इन्तजाम होता है। इसलिये अगर यह काम वितरण का भी वहीं के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाय और वह ही स्थानीय हालात देखकर इजाजत दे दिया करें, तो इसमें बहुत सुविधा होगी।

श्रीमान्, आखिर में मैं एक बात रामपुर शहर की रोशनी के सम्बन्ध में और कहूंगा। वहां एक अजीब सी स्थिति चली आ रही है। शहर की रोशनी का इन्तजाम बिजलीघर से होता है और एक मुक़र्रर रकम म्युनिसिपैलिटी उसको देती है। पहले रियासत के जमाने में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बहरहाल सब खर्च एक ही जगह से होता था। उसी समय का एक एग्रीमेंट था जिसके अनुसार एक लम्पसम म्युनिसपैलिटी से बिजली घर को दिया जाता है लेकिन यह तय नहीं है कि बिजली के खम्बे कहां लगें या रोशनी कहां हो और कहां न हो। शायद २,००० घंटों का इकट्ठा तय है और इसी वजह से ठीक व्यवस्था रोशनी की नहीं हो पाती। अभी पिछले सप्ताह मैंने एक बार ३ साढ़े ३ बजे रात को शहर में गश्त करके देखा कि सिवाय सिविललाइन्स और स्टेशन रोड के और कहीं रोशनी नहीं थी, जब कि अन्धेरा इतना था कि रास्ता भी नहीं दीखता था। मैंने इस ओर वहां के बिजली वालों और म्युनिसिपैलिटी दोनों का ही ध्यान दिलाया है और यकीन है कि वह इस पर ग़ौर करके अवश्य उचित प्रबन्ध करेंगे, लेकिन व्यवस्था वहां की रोशनी की इस अनिश्चित दो अमली के रहते ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को पता ही नहीं चलता कि कहां और किस २ खम्भे पर रोशनी कब हुई और कब नहीं। इसलिये अगर शहर की रोशनी का पूरा इन्तजाम बिजली घर की ओर से म्युनिसिपैलिटी के सुपुर्द पूर्णरूपेण कर दिया जाय तो बिजली विभाग, म्युनिसिपैलिटी और जनता सब को सुविधा हो सकती है।

अन्त में एक बात और कहूंगा कि माननीय राजनारायण जी ने जो मऊ के विषय में कहा है उसके विषय में तो माननीय मंत्री जी ने अभी ही बताया था कि पंचवर्षीय योजना में वहां का पावर हाउस बनाने की बात है। एक ही साल में सारी ५ साल की योजना कैसे पूरी हो सकती है, इस पर जरा नेता विरोधी दल ध्यान दें तो शायद उनको ऐसी बात कहने की आवश्यकता न पड़े।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जब माननीय वित्त मंत्री जी ने इस अनुदान, बिजली से सम्बन्धित अनुदान को पेश किया था तो मुझे माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देने का अवसर मिला था और विशेषकर मैंने उनको इसलिये धन्यवाद दिया था कि उन्होंने ५० हजार रुपये की रकम नरेन्द्रनगर और टेहरी में बिजली पहुंचाने के सम्बन्ध में रखी थी। आज भी मैं चाहूंगा कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे सकूं, किन्तु धन्यवाद देने से पहले मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि उस जिले में जो शंका फैल रही है उसको वह पहले दूर करें। मेरा जो कटौती का प्रस्ताव था वह इन शब्दों में था और उसका तात्पर्य यह था कि व्यर्थ खर्च की शंका दूर की जाय और व्यर्थ के खर्च का जो अन्देशा था उसको दूर किया जाय तो अच्छा है और उस हालत में टेहरी की जनता माननीय मंत्री जी को धन्यवाद अवश्य देगी। पिछले साल ५० हजार रुपये का प्राविजन जब किया गया था तो उस समय माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह रुपया नरेन्द्रनगर और टेहरी को ग्रिड से बिजली पहुंचाने के लिये अलग रखा जा रहा है। पिछले साल और आज के बीच में

जो कुछ कार्य इस सम्बन्ध में वहां हुये हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमें जो मंत्री महोदय के विभाग द्वारा पुस्तक मिली है उसमें केवल यही लिखा है कि इस सम्बन्ध में जांच वग़ैरा और नाप वग़ैरा हो रही है। इसके सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता कि अभी कोई व्यवस्था हुई या नहीं। हुई होगी, अगर मंत्री जी कहते हैं। मुझे मंत्री जी के सामने विशेषकर जिला अधिकारियों की शिकायत करना है। हमको और टेहरी-गढ़वाल की जनता को बताया जा रहा है कि पैसे की तंगी के कारण और ५० हजार रुपये का एस्टीमेट गलत होने के कारण विचार यह है कि टेहरी में बिजली न पहुंचाई जाय और वह केवल नरेन्द्रनगर तक ही रखी जाय। अगर यह ठीक है तो यह चीज बिल्कुल ही गलत होगी और मेरी टेहरीगढ़वाल की जनता की ओर से सरकार और मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर वास्तव में सरकार का शुरू से एस्टीमेट गलत है और पैसा कम है तो बनिस्बत इसके कि केवल नरेन्द्रनगर में बिजली पहुंचाई जाय इससे तो यही अच्छा है कि नरेन्द्रनगर और टेहरी कहीं भी बिजली न दी जाय। मंत्री जी को मालूम है कि नरेन्द्रनगर की आबादी ५०० की है और उसमें से ४५० के करीब सरकारी कर्मचारी हैं और बाकी ५० पैलेस के रहने वाले लोग हैं। टेहरी की आबादी भी ज्यादा नहीं है वह भी लगभग ३,००० की है, लेकिन मुख्य बात यह है कि टेहरी एक वैली में है और आबादी वहां की कम है और जैसा कि कहा गया, वहां इमीजियेट कन्जम्पशन की ज्यादा उम्मीद नहीं हो सकती, लेकिन, यह उम्मीद हो सकती है कि वहां बिजली की खपत भविष्य में बढ़ेगी और अगर टेहरी तक बिजली पहुंच जाती है तो ५० मील की जो सड़क रास्ते की है उसमें भी जो मोटर के अड्डे हैं और जो गांव पड़ते हैं उन सब में बिजली से जनता को लाभ हो सकता है और बहुत से छोटे-छोटे कारखाने खोले जा सकते हैं। इसलिये मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी किसी भी कर्मचारी की इच्छा के अनुसार यह क़दम न उठावेंगे कि नरेन्द्रनगर तक ही बिजली रखी जाय। इसका नतीजा यह होगा कि लोगें और वहां की जनता समझेगी कि वहां के कर्मचारियों ने अपने आराम के लिये ही नरेन्द्रनगर में बिजली पहुंचाई है। मेरा विश्वास है कि लखनऊ में बैठी सरकार का कभी ऐसा मंशा न होगा। इसलिये मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि टेहरी-गढ़वाल की जनता की मांग यह है कि जल्द से जल्द टेहरी-गढ़वाल जिले के हेडक्वार्टर्स नरेन्द्रनगर से टेहरी पहुंचाये जायं। इस सम्बन्ध में सबका विचार यह है कि चूंकि एक ही व्यक्ति टेहरी में है जो हेडक्वार्टर्स की शिफ्टिंग का विरोध करता है। और यदि कभी बिजली वहां नहीं पहुंचती है तो सबका यही अनुमान होगा कि यह इसीलिये किया गया है कि हेडक्वार्टर्स वहां तक न पहुंच पाये। यद्यपि मुझे टेहरी में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है फिर भी मैंने जो आर्ग्यूमेंटस् दिये हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी उनको सुनने के बाद यह उचित समझेंगे कि केवल नरेन्द्रनगर तक बिजली पहुंचाने से कोई लाभ नहीं है और एक प्रकार से हानि ही है और यह आवश्यक है कि टेहरी तक पहुंचाई जाय। अगर ऐसा फिलहाल न हो सके तो यह रुपया जमा रखा जाय और केवल नरेन्द्रनगर तक बिजली किसी हालत में न पहुंचाई जाय।

श्री ब्रिज बिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बिजली के सम्बन्ध में जो नियोजन किया है, इस प्रदेश में जगह-जगह पर नये पावर हाउस बनाकर बिजली के विस्तार की व्यवस्था की है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। सचमुच जिस तरह से बड़े-बड़े पावर हाउस बन रहे हैं हमारे देहात के छोटे-छोटे उद्योगों को भी उनसे सहायता मिलेगी और अन्न अधिक उपजाओ

[श्री व्रज बिहारी मेहरोत्रा]

योजना के लिये पानी अधिक प्राप्त करने के लिये ट्यूबवेल्स बनाने में भी उससे सहायता मिलेगी। हमारे शहर कानपुर में जहां कि अब तक केवल ३५ हजार किलोवाट बिजली पैदा करने का इन्तजाम था वित्त मंत्री जी ने उसमें भी इजाफ़ा किया है। इसके साथ ही साथ एक खूबी की बात यह है कि वहां पर बिजली इस तरह से काम में आ रही है कि एक यूनिट भी उसका खराब नहीं होने पाता। इन्तजाम इस तरह से किया गया है कि जिस वक्त फैक्टरीज चलती हैं उस वक्त दूसरे कामों को बिजली की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ लिया गया है और जिस वक्त दूसरे कामों की जरूरत समझी जाती है उस वक्त फैक्टरीज को बन्द करके उनको दे दी जाती है। अब वहां पर १५ हजार किलोवाट बिजली और पैदा किये जाने का इन्तजाम किया जा रहा है और उसके लिये नये किस्म का ब्वायलर लगाया जा रहा है। वहां पर भी इस तरह का इन्तजाम है कि जरा सा कोयला भी बरबाद नहीं होने पाता और उससे ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा की जा रही है। इससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसके लिये मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं वह यह कि अगर यह बिजली कानपुर शहर से ५–७ मील दूर जो कस्बे हैं उनको दी जाय तो छोटे-छोटे उद्योगों के चलाने में काफी सहायता मिलेगी और कानपुर नगर जो दिन पर दिन कंजस्टेड होता चला जा रहा है वह भी न हो सकेगा। अगर यह नहीं किया जायगा तो उसकी आबादी और भी ज्यादा होने का अंदेशा है। इसलिये अगर पड़ोस के गांवों और कस्बों को बिजली दी जायगी तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा।

कानपुर पावर हाउस के सिलसिले में भी मैं कुछ कह देना चाहता हूं। पावर हाउस के लिये पानी लेने के लिये यहां एक चैनल ब्रिज बनाई गई है जिसकी वजह से कानपुर के सरसैया घाट पर से गंगा की धारा बहुत हट गयी है। यह पानी बायलर को ठंडा करने के काम में लाया जाता है, परन्तु उसको ठंडा करने के लिये ऐसा इंतजाम सरकार को करना चाहिये कि जिससे इस स्थान पर गंगा की धारा कम न होने पाये। जब गंगा में पानी कम होने लगे तो सरकारी पैसे से ड्रेजर चलाकर धारा को इस तरफ बनाये रखा जाय साथ ही इसके लिये अगर उसके सामने कोई मुस्तकिल इंतजाम एक पिलर तैयार करके हो सके तो अच्छा है वरना ड्रेजर चलाकर वहां पर पानी पहुंचाने का इन्तजाम तो किया ही जाय। अगर वहां पानी अच्छी तरह नहीं पहुंचाया जाता है तो शहर का स्वास्थ्य सुधरने के बजाय खराब होने लगेगा क्योंकि लोगों को स्नान करने को नहीं मिलेगा। अन्त में चन्द शब्दों में माननीय वित्त मंत्री जी को फिर उनकी कामयाबी पर बधाई देता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस कांस्टीटुएंसी से आता हूं जहां कि विश्व की ७ महत्वपूर्ण विभूतियों में से एक महत्वपूर्ण विभूति ताजमहल है यानी ताजगंज। मेरी कास्टीटुएंसी के २५ प्रतिशत वोटर्स ताजगंज में रहते हैं और मुझे अफसोस है कि जहां संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति दूसरे देशों से इस विभूति को देखने आते हैं वहां रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है।

एक सदस्य—आप किस जगह के बारे में कह रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—मैं आगरे के लिये कह रहा हूं और आगरे का ताजमहल उसी ताजगंज क्षेत्र में है। वहां पर रोशनी का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

एक सदस्य—वहां तो बिलकुल सुनसान जगह है।

श्री देवकीनन्दन विभव—आगरा शहर सुनसान नहीं है, बल्कि वहां मनुष्य भी रहते हैं और बिलकुल उसी से मिला हुआ ताजगंज का मुहल्ला है जिसकी आबादी करीब २५ हजार आदमियों की है। तो अध्यक्ष महोदय मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही था कि जब यह अनुदान

उपस्थित हुआ है तो माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आगरे की इस महान आवश्यकता की ओर आकर्षित करूं। आज जब हम बिजली की बात सोचते हैं और दुनिया में जो उसका महत्व है उसका ध्यान करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आज भी हमारा देश इस दिशा में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपके सम्मुख कुछ अंक उपस्थित करना चाहूंगा जिनसे मालूम होगा कि किस देश में प्रति व्यक्ति कितनी बिजली का उत्पादन होता है। हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति १२ किलोवाट आवर बिजली की उत्पत्ति होती है जब कि कनाडा में ३,५८० किलोवाट आवर, यानी हिन्दुस्तान से करीब तीन सौ गुना प्रति व्यक्ति उत्पत्ति होती है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में १,१७५ किलोवाट आवर, स्वीडन में १,१७७ किलोवाट आवर, यूनाइटेड किंगडम में ८८५ किलोवाट आवर और जापान में भी करीब ३९० किलोवाट आवर या इसी के बराबर उत्पत्ति होती है। तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति १२ किलोवाट आवर उत्पत्ति बहुत ही कम है। और यदि हमारे देश को अभी आगे बढ़ाना है कृषि में भी और उद्योग धंधों में भी तो हमें इस उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे बड़ा हर्ष है कि देश का जो पहला फर्स्ट इयर प्लान है उसमें इरीगेशन और पावर प्रोजेक्ट के लिये बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और ५०० करोड़ से भी अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में भी बड़ी-बड़ी योजनायें इसके संबंध में रखी गयी हैं जिनका कि जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में किया है। परन्तु मैं उनका ध्यान कुछ बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। एक तो इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि देश की काटेज इंडस्ट्रीज का विकास होना है तो जो अभी आपने २५ परसेंट सारी बिजली का रेट बढ़ाया है उससे काटेज इंडस्ट्रीज को मुक्त करना चाहिये। जब तक हमारे देश के छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिये गांवों और शहरों में स्थान-स्थान पर बिजली नहीं पहुंचाई जायगी तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे देश में बिजली का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है जितने की जरूरत है। आजकल अधिकांश बिजली का व्यय शहरों में जैसे रोशनी में और आटा चक्की में होता है वहां अधिकांश में छोटे-छोटे काटेज इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आटा चक्कियों को बिजली देना बन्द कर दिया जाय। हमारे परिवार में छोटे–छोटे और बड़े–बड़े परिवारों में जहां पर चक्की चलती थी वहां पर हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होता था। परन्तु अब हमें अफसोस है कि गांव–गांव में दूर–दूर से गाड़ियों पर लाद लाद कर आटा पिसने के लिये आता है और इन चक्कियों पर पीसा जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आवश्यकता नहीं है कि अब आटा चक्कियों को बिजली दी जाय। मेरा मतलब यह नहीं है कि अब इनकी आवश्यकता नहीं है और इनको बिजली न दी जाय लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अब इनको कनेक्शन नहीं देना चाहिये।

मंत्री महोदय ने अपने व्याख्यान में कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का जिकर किया था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने कई तरीके से प्रगति की है लेकिन जब हम कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के वर्किंग को अधिक महत्व से और अधिक विचार से देखते हैं तो हमको एक बहुत ही मौलिक बात का ख्याल होता है, लेकिन मैं इस कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। केवल कुछ बातें कहना चहता हूं क्योंकि समय की कमी है। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के संचालन में इकानामी करने की बहुत जरूरत है। इस कम्पनी के खरीदने में एक बहुत बड़ी गलती हमारी सरकार से हुई। वह यह है कि जिस वक्त यह कम्पनी कारपोरेशन के जरिये से रन की जा रही थी। उस वकत उस कारपोरेशन से लेने में सरकार ने यह गलती की कि उसकी रिप्लेसमेंट की वैल्यू को नहीं दिया गया। जो उसकी मारकेट वैल्यू थी वह उसको दी गयी। इससे हमारी सरकार का कई करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जहां उन्होंने उत्पादन की

[श्री देवकी नन्दन विभव]

बातों को बतलाया वहां वह कृपाकर यह भी बतालायें कि उस कारपोरेशन का कितना रुपया लगा हुआ था और सरकार का कितना रुपया लगा हुआ है। इसके साथ ही यह भी बतलायें कि उस वक्त इंडस्ट्री के लिये बिजली का रेट क्या था और अब क्या रेट है, किस रेट पर बिजली दी जा रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि बिजली के बारे में काफी काम हुआ है और इसके लिये मैं उनको धन्यावाद देता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी भाषण बिजली की शक्ति के उत्पादन पर हुये हैं उन सब से मुझे पता चलता है कि सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रान्त में बिजली का उत्पादन किया है और जो सफलता सरकार को इस दिशा में मिली है उसके लिये यह सरकार अवश्य बधाई की पात्र है। परन्तु मुझे इसको बताने और स्पष्ट करने में कतई भी हिचकिचाहट नहीं है कि वित्त मंत्री महोदय जो कि मेरे पड़ोसी हैं और जो गुजिश्ता जमाने में हमारे प्रतिनिधि भी रहे हैं बावजूद गुजिश्ता साल उनसे दरख्वास्त करने पर भी कि हमारे जिले गढ़वाल में भी कुछ बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये। आज बजट के आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो काला अक्षर भी दिखाई नहीं देता है। इससे मुझको बड़ा दुख हुआ कि गढ़वाल का नाम कहीं पर काले अक्षर में भी दिखाई नहीं देता है। यह मुमकिन है कि उस बजट की कापी में सफेद अक्षरों में कहीं गढ़वाल के लिये प्राविजन कर दिया हो तो उसको मैं देख नहीं पाया। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से हरगिज काम नहीं चलेगा। और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं इस सरकार की भिक्षा की अंजलियों से गढ़वाल को जिन्दा रखना नहीं चाहता हूं। मैं यह पसन्द करूंगा कि गढ़वाल मौत के घाट पहुंचे। मैं आपकी कृपा और आपकी भिक्षा की अंजलियां मांगने के लिये हरगिज इस सदन में नहीं आया हूं। मुझे दुख है और महान् दुख है कि सरकार के उस रुख पर जो कि बजट में उसने अख्तियार किया है। मेरे पास इसके लिये मजबूत सबूत हैं। उठाइये गुजिश्ता साल के बजट की कापी और इस साल के बजट की, जहां-जहां गढ़वाल का नाम आया है जिन आइटम्स में गढ़वाल था वह आइटम्स बहुत सही सलामत मंत्री महोदयों के पास वापस तशरीफ लाये हैं। अगर हम आपके लिये एक लायबिलिटी हैं तो पं० जवाहरलाल को लिखिये। हम आपकी लायबिलिटी नहीं बनना चाहते हैं। हमें उतार डालिये, फेंक डालिये। सरकार के बजट से अपने हाथ गढ़वाल के लिये उठा लीजिये। हम मुसीबतों में रहना पसन्द करेंगे, हम गरीबी में रहना पसन्द करेंगे, हम नंगे रहना पसन्द करेंगे, लेकिन आपकी कृपा की अंजलियों का भिखारी बन कर रहना हमें पसन्द नहीं। हम मिटना पसन्द करेंगे लेकिन किसी की कृपा से जिन्दा रहना दुनिया के अन्दर हमारे लिये महान पाप है। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब बिजली का प्रश्न उठता है, मुझे मालूम है खासतौर से हमको ढकेला जाता है। यह बड़े दुख की बात है। वे लोग जो कि हमारे भाग्य का फैसला करने बैठे हैं क्या आप समझते हैं कि आप हमारे भविष्य के साथ इस प्रकार खिलवाड़ कर सकते हैं, हरगिज नहीं। विश्वास रखिये। मिटने वाले दुनिया के अन्दर खिलवाड़ नहीं देख सकते। मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आप को मंजूर है वह प्रश्न जो कि बहुत दिनों से स्टैंडिंग है और हम को वही पुराना जवाब जिसके लिये दिया जाता है, दैट आल्ड हेकनिड रेप्लाई, मैं समझता हूं कि किसी भी ऊंचे अधिकारी को वह शोभा नहीं देता है। गढ़वाल में पैदावार नहीं, वहां से आमदनी नहीं होती, इसलिये गढ़वाल को बजट नहीं दिया जा सकता। अगर हम आपके पीठ पर चढ़ गये हैं, अगर हम बोझा हैं तो इस बोझ को फेंक दीजिये।

मैंने आम तौर से यह देखा है कि खुशामद का आज जमाना बहुत तेज है। मैं उस बात को पसन्द नहीं करता हूं। खुशामद से राष्ट्र नहीं उठा करते हैं। जितने भी दुनिय के राष्ट्रों ने तरक्की की है उन्होंने इंसाफ की बुनियाद पर, सत्यता की आवाज को कार्य रूप में परिणत करके ही ऊंचे उठे हैं। जिस राष्ट्र के चरित्र का दिवाला पिट जाता है वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर वह गांधीवाद का नारा लगाता है तो वह नारा खोखला है। मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या सारा गांधीबाद हमारे ही हिस्से में आया है ? अगर ऐसा है तो कोआपरेटिव विभाग के रजिस्ट्रार का दफ्तर नजदीक है उसकी रजिस्ट्री गढ़वाल के नाम पर कर दीजिये। और क्या सारी मनोपली प्रीच करने की आपके ही अधिकार में आयी है। मैं तो यह चाहता हूं कि अगर आपको इस देश को उठाना है तो इंसाफ करिये और देखिये कि मुल्क के अन्दर क्या दिक्कत है। हम अपने यहां के लिये जब बजट में देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। हम फिर भी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि हम आप लोगों की तरह और सदस्यों की तरह नहीं हैं जोकि अखबारों में तूफान उड़ाया करते हैं, जोकि २५ किस्म से सरकार के हाथों को गलतियां कराने के लिये मजबूर करते हैं। हम वह व्यक्ति नहीं हैं। हमने राष्ट्रों के उत्थान और पतन को देखा है, तारीखों को पढ़ा है, उनकी सभ्यता और संस्कृति को उठते हुये और गिरते हुये देखा है। हमने कभी नाजायज दबाव सरकार पर नहीं दिया। हमने कभी यह उम्मीद नहीं की कि सारे बजट को काट कर जोकि यू० पी० का है वह सब गढ़वाल को दे दिया जाय। हम तो यही चाहते हैं कि बिजली जनता के लिये कम से कम पढ़ने लिखने के लिये तो दे दें। आप हवा में उड़िये, बनाइये एरोड्रोम्स, हमें सड़क तो दे दीजिये। आप गंगा के ऊपर पुल लगाइये, हमारे लिये झूला तो दीजिये। हमारी यही मांग है। जो इसे अनरीजनेबिल कहते हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह स्वयं अनरीजनेबिल हैं। अगर अनरीजनेबिलिटी का प्रोडक्ट यहां हुआ तो इस मुल्क और जनता के लिये अभिशाप होगा, बरदान साबित नहीं हो सकता। उन्हीं लोगों ने अपने राष्ट्रों को उठाया है जिनके अन्दर चरित्र रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्रीगण इन बातों पर ध्यान देंगे और इस राष्ट्र का भविष्य ऊंचा उठाना है, तो हरगिज इस तरह की बातें आइन्दा होनी नहीं चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से निहायत अदब के साथ प्रार्थना करूंगा कि गढ़वाल को इग्नोर न कीजिये। इस साल जो आपने भूल की है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद दिये बिना रह नहीं सकता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर बहस कल भी एक घंटा जारी रहे।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

ठीक है, कल भी बहस जारी रहेगी, आज समाप्त नहीं होगी।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन के समक्ष अनुदान उपस्थित हैं, २६ तथा २७ अनुदान पर मुझे कुछ विद्युत के विषय में कहना है और वह सुझाव प्रस्तुत करने हैं जिनके लिये मैं कभी देखता हूं।

आज जो हमारी सरकार ने हमारे प्रान्त में बिजली के निर्माण का कार्य आरम्भ किया है उसके लिये सरकार पूर्णतया हृदय से कार्य कर रही है। भिन्न-भिन्न जगहों में, जब से हमारे प्रान्त में हमारे नेताओं के हाथ में हमारी सरकार की बागडोर आई, उसी समय से सरकार ने बिजली के निर्माण के कार्य को अधिक उन्नत बनाने के लिये पूर्ण हृदय से कार्य किया है। उन्होंने अपनी एक योजना बनाई और उस योजना के निर्माण के लिये भिन्न-भिन्न जगह पावर हाउसेज बनाने का एक निर्णय किया और कार्य आरम्भ कर दिया। आज अभी तक वह पावर हाउस का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है। इसलिये आज प्रत्येक जिले से सरकार के सामने बिजली की मांग आती है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब तक पावर हाउस तैयार न हो, बिजली हमारे प्रान्त में तैयार न हो, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जिले को किस प्रकार वह मिल सकती है। जितनी बिजली यहां मौजूद है वह बिजली तो वितरण के लिये है, सरकार को उसे अपने यहां खुफिया तरीके से तो रखनी नहीं है। आप ही लोगों को दी जा रही है। अब वह

[श्री हरिसिंह]

बात भिन्न रही है त्रिपाठी जी को नहीं मिली या मुझे न मिली, या श्रीमान् रावत जी को नहीं मिली। गढ़वाल में पावर हाउस नहीं लगा। तो सब की इच्छायें जो एक दम हो गयी हैं उनकी पूर्ति होना बहुत कठिन समस्या है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारी सरकार कर रही है सरकार को पूर्ण सहयोग देना चाहिये जिससे कि जो कार्य आज उन्होंने उठाया है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करने में देरी न लगे, वह पूर्ण हो जाय।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना करूंगा कि आज सब से पहले बिजली की जो आवश्यकता इस प्रान्त की है वह किसान की आवश्यकता है। शहर में जो लम्बी चौड़ी सड़कों पर बिजली जलाई जाती है और आज किसान के ट्यूब वेल के लिये बिजली नहीं मिलती। समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है जबकि शहरों को बिजली मिलती है तो उन्हें क्यों नहीं दी जाती। प्रश्न यह उठता है कि यदि किसान के ट्यूबवेल के लिये बिजली दी जावे तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो और किसान खेती को ज्यादा से ज्यादा उन्नतिशील बनाने में पूर्ण प्रयत्न करे लेकिन जब तक उन्नति का प्रबन्ध न हो तब तक किसान कैसे खेती में उन्नति कर सकता है? इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा सरकार से कि वह सबसे पहले काश्तकारों और उन किसानों की उन्नति के लिये ट्यूबवेल की अधिक से अधिक संख्या में व्यवस्था करे और उन्हें ट्यूबवेल के लिये बिजली दे। इसके बाद जो छोटे उद्योग-धंधे हैं अधिक तादाद में बिजली दें ताकि जिन चीजों की हमें आवश्यकता है वह भी उनके द्वारा उत्पन्न हों लेकिन मुझे खेद के साथ माननीय मंत्री महोदय आपसे यह निवेदन करना पड़ रहा है कि आपके विभाग के द्वारा आज मालूम हो रहा है कि रात्रि के समय के लिये उन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को लाइसेंस दिये गये हैं। क्या आज उन मजदूरों में जान नहीं कि रात को वह कारखाने चलायें? मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द या तो वह लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाय नहीं तो यह आदेश जारी कर दिया जाय कि दिन को यह समस्त कारखाने चलें और रात को बन्द रहें। आज देखा जाता है कि छोटे-छोटे मजदूर बेचारे परेशान हैं, त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, रात के लिये उनको चलाने का आदेश दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि गरीब लोगों के लिये रात्रि में चलाने के लिये आदेश दिया जाता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जितने छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हैं उनको बिजली दी जावे और उनको दिन में बिजली चलाने का आदेश दिया जाय।

अब प्रश्न यह उठता है कि दूसरे इस प्रान्त में एक हरिजन समुदाय भी रहता है जिसने बार-बार दरख्वास्तें दीं लेकिन आज तक उनके उन प्रार्थना-पत्रों के देने पर भी लाइसेंस नहीं दिये गये न बिजली जलाने के और न पावर के। यदि कुछ हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उनके ऊपर कृपादृष्टि की तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उनके साथ ऐसा वर्त्ताव बर्ता है कि रात्रि के कनेक्शन दिये गये हैं ताकि वे बेचारे दुखी होकर छोड़ दें या उस कार्य में सफलता न प्राप्त कर सकें। यदि ऐसी नीति है तो मेरा आपसे नम्रनिवेदन है कि उन हरिजनों को आप वह भी न दें जो कि आपने यह कृपा की है। हालांकि आज यह कहा जाता है कि उनका १० परसेंट अधिकार सुरक्षित है लेकिन आज उन्हें जलाने के लिये भी कनेक्शन नहीं दिया जाता है और यदि हमारी सरकार कुछ कृपा करती है तो हमारे अधिकारी गण उसका उत्तर क्या देते हैं कि हम आपको रात्रि में चलाने के लिये बिजली दे सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो बड़े-बड़े कारखाने आज दिन में चल रहे हैं उनके लिये बिजली कहां से आयी। आज जब किसान ट्यूबवेल के लिये प्रार्थना पत्र देता है तो बिजली नहीं है। बहुत सी मिलें हैं, जसवन्त शुगर मिल है, और दूसरी मिलें हैं उनके लिये बिजली कहां से आयी यह समझ में नहीं आता। तो मैं अपने माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं और यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो जटिल समस्या खड़ी हो गई है उसको जल्द से जल्द हल करने का प्रयत्न करें।

अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४१, १७, और १९–ख–विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४१, ८१–क–१७, और ६८ विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ६८ और ८१–क–विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री हरिश्चन्द्र अष्टाना (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, इसमें तो दो रायें हो ही नहीं सकतीं कि जहां तक विद्युत योजना का ताल्लुक है वह हमारे विकास की योजनाओं का एक प्रमुख अंग है और जैसा कि मैं सुनता हूं और पत्रिकाओं में भी पढ़ता हूं कि सूबे के बहुत से भागों में जिस तरह से विद्युत योजनाओं की उन्नति हुई है, मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी उसके लिये जरूर बधाई के मुस्तहक हैं। मगर हमारा दृष्टिकोण तो सीमित होता है और हम चीजों को उस पैमाने के ऊपर तौलते हैं जिस का हम खुद अनुभव करते हैं और जिनको कि हम खुद रोज देखते हैं। इसलिये मैं अपनी उस सीमा और छोटे से दायरे की बात करना चाहता हूं। इस प्रश्न को मैंने पिछले साल भी उठाया था और इस साल भी उठाना चाहता हूं और वह हमारे सीतापुर के पावर हाउस से संबंध रखता है। मुझे कहना इस संबंध में यह है कि मैं योजनाओं के बारे में बात नहीं करता और मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार की खर्च करने की शक्ति सीमित होती है और उसकी और चीजें भी सीमित होती हैं जिन को कि वह करना चाहती है और वह यकायक योजनाओं को लागू नहीं कर सकती। मगर जिन योजनाओं को लागू करने के उसके पास साधन हों और जिन को वह लागू कर चुकी है, फिर भी उनसे जनता को लाभ न हो तो हमें यह शक करने की गुंजाइश होती है कि शायद यह विभाग के कुछ उच्चाधिकारियों की लापरवाही है। यह तो मैं कहना नहीं चाहता कि उनके गैर जिम्मेदारी के काम करने का वह एक नमूना होता है, मगर शक इस तरह का जरूर होने लगता है कि वे योजनायें जो पूरी हो जाती हैं, जिन को कार्यान्वित हो जाना चाहिये, फिर भी वे कार्यान्वित नहीं हो सकतीं। परसाल माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में यह मंजूर किया था कि उन्हें यह मालूम है कि इस वक्त सीतापुर में जो बिजली का साधन है और जो वहां पर इस वक्त बिजली की हालत है उससे सीतापुर की जनता को बहुत तकलीफ है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो इस वक्त पावर हाउस वहां पर है मेसर्स सेन ऐन्ड सान्याल का उसकी पोजीशन क्या है, उसके बारे में उन्हें ठीक मालूम नहीं है। मुझे विश्वास है कि अब उन्होंने उस की पोजीशन को जरूर देखा होगा और उन्हें मालूम होगा कि वह एक सरकारी कम्पनी है जिसकी सिर्फ सैनेंजिग एजेंसी, वहां के जो मौजूदा एजेंट्स मेसर्स सेन ऐंड सान्याल हैं, उनको दी गयी है। उसकी अच्छाई और बुराई की सारी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और एक कांट्रेक्ट महज सेन ऐंड सान्याल से किया गया है जो अधकचरा सा कांट्रेक्ट है। अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो लीगल ऐसपैक्ट्स हैं उनको इस विभाग के उच्चाधिकारियों ने देखने की कोशिश नहीं की। वित्त मंत्री जी ने यह बतलाया था कि उनको ठीक पोजीशन मालूम नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेसर्स सेन ऐंड सान्याल से दस साल पहले मुआहिदा हुआ था कि एक कांटिंजेंसी पूरी हो जाने के बाद एक पावर प्लांट दे देंगे लेकिन वह अभी तक नहीं पूरा हो सका। पता नहीं वह कब पूरा हो सकेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि जो मार्टिन ऐंड कम्पनी लखनऊ में है उसकी ट्रांसमिशन लाइन सीतापुर जा रही है और सीतापुर, लखीमपुर और बिसवां वगैरा को उससे बिजली मिल जायगी। आज मेरा यह अधिकार है कि मैं फिर माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाऊं कि सीतापुर में ट्रांसमिशन लाइन पहुंच चुकी है। सीतापुर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जो आई हास्पिटल है उसको बिजली दी जा चुकी है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि सीतापुर का आई हास्पिटल एक बहुत अच्छी संस्था है और उसमें जो बिजली दी गई है उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उससे तमाम जनता और मरीजों को फायदा होता है। लेकिन मैं फिर सुनता हूं कि आज ही क्या कल्कि आगामी महीनों या सालों तक शायद यह मुमकिन नहीं होगा कि यह जो मार्टिन ऐंड कम्पनी की बिजली इस्तेमाल से ज्यादा है वह सीतापुर शहर को दी जा सके। इसकी कई वजहें हैं, मैं तमाम

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

तफसील में इस वक्त जाना नहीं चाहता, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह तमाम कानूनी मरहले जो इसके अन्दर हैं, उन सब को अगरचे फिर से गवर्नमेंट के लीगल एक्सपर्टस देखें तो उन्हें यह मंजूर करना पड़ेगा कि इस संबंध में वे कुछ न कुछ कर सकते हैं मगर उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि फाइलों के नीचे वे चीजें दबी पड़ी रहीं। अब तक जब वहां की जनता की मांग हमारे सामने आती थी तो उनको हम यह इत्मीनान दिलाते थे परसाल इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी के उस भाषण के हो जाने के बाद कि जैसे ही बिजली सीतापुर के अन्दर आ जायगी, तार खिच जायंगे, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं ही हमको यह आश्वासन दिया है कि हमको बिजली मिल जायगी। मगर आज जब बिजली सीतापुर के एक हिस्से में लखीमपुर और बिसवां में जलने लगी, तार वहां खिच चुके हैं, सीतापुर के उस हिस्से में ट्रांसमिशन लाइन के लाने में चालीस हजार का खर्चा हुआ फिर भी सीतापुर के निवासी बिजली न पा सके। तो मैं समझता हूं कि इसके लिये जिम्मेदार हम को इस विभाग के उच्चाधिकारियों को ठहराना पड़ेगा। कुछ दिन हुये मैंने यह बात माननीय वित्त मंत्री के सामने रखी थी और उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि उन्होंने एक एक्सपर्ट की कान्फ्रेंस बुलाई है, इस तरह की बातें हैं।

एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी के सामने फिर यह रखना चाहते हैं, यह सही है कि जैसे ही रावत जी ने जिस तरह से एलोक्वेन्स के साथ बातें कीं मैं वैसा नहीं करना चाहता, कि किस कदर वहां की जनता की बातें सुननी पड़ती हैं। मुझे तो मालूम नहीं कि वहां क्या हो रहा है या वहां कोई स्कीम कार्यान्वित हो रही है। मैं समझता हूं कि कम से कम माननीय सदस्यों को कान्फीडेंस में लिया जाना चाहिये। मैं मानता हूं कि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनमें डिप्टी कमिश्नर अच्छा सजेशन दे सकता है, लेकिन, आखिरकार हम भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं एक लेमैन के तरीके से हम अपनी मांगों को और सुझाओं को सामने रख सकते हैं। मगर मैं यह जानता हूं कि हम लोग जो वहां की जनता के प्रतिनिधि हैं हमें यह नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है बावजूद इसके जैसा कि उनका आश्वासन था कि वहां के ऊपर बिजली जो सीतापुर शहर के अन्दर एक हिस्से में चलने लगी, दूसरे हिस्से में दी जा रही है। ख्वाहमख्वाह हमारे पास कोई जवाब नहीं है। रही गालियां सुनने की बात वह तो हमें मिलती ही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि सीतापुर पावर हाउस का इन्तजाम यदि कोई साहब देखना चाहें तो उन्हें मालूम होगा कि तार के खम्भे इस लिये लगाये जाते हैं कि तार उनके सहारे पर रुके रहें मगर सीतापुर के जो खम्बे हैं वह महज तार की वजह से रुके हुये हैं और जिस रोज तार टूटे खम्बे गिर जायेंगे। उन खम्बों के गिरने से यदि कोई आदमी मर गया तो मैं नहीं समझता कि इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। सेन ऐंड सान्याल वाले यह कहकर निकल जायंगे कि सुपर प्रोप्राइटरशिप गवर्नमेंट की है और वह इसके लिये जिम्मेदार थी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सीतापुर की जनता यह चाहती है कि निश्चित रूप से उसको यह मालूम हो कि यह जो स्कीम है यह वहां कब तक कार्यान्वित होगी। इसलिये जब एक वादा निश्चित था कि जब ट्रांसमिशन लाइन पहुंच जायेगी लखीमपुर और बिसवां, तो सीतापुर को भी बिजली दी जायगी, बड़े सब्र के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ लोगों ने उसका इन्तजार किया मगर जब लखीमपुर और बिसवां में बिजली जलने लगी और सीतापुर को बिजली नहीं मिली तो फिर लोग इसके लिये उतावले हो गये। आखिर सीतापुर में बिजली कब तक आयेगी? मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि सीतापुर की जनता इस संबंध में बहुत स्ट्रांग फीलिंग रखती है, इसका उन्हें लिहाज रखना चाहिये। यदि कोई चीजें होने वाली हों तो वे हमें मालूम हों ताकि हम उनको इत्मीनान दिला सकें कि यह चीजें होने वाली हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने लीगल एसपेक्ट्स मुझे मालूम हैं मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का यही जवाब होने वाला है कि सेन ऐन्ड सान्याल की कम्पनी है, उसके कुछ कमिटमेंट्स हैं। जब तक हम उनको पूरा न करलें तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इस बात का फैसला करें और लीगल एक्सपर्टस को बुला करके सारी पोजीशन का रेव्यु करें तो उनको मालूम होगा कि यह चीजें हो सकती हैं अगर एक मजबूत कदम उठाने के लिये माननीय मंत्री जी तैयार हों। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री जी उसे जरूर करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुनकर बड़ी खुशी हुई। मैं समझता हूं कि जिस तरह आज हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यहां भाषण किये हैं अगर इसी तरह काम जारी रहा तो शायद वे इस हुकूमत से कुछ मिलने की उम्मीद कर सकें। वैसे तो मैं यह समझता था, और अब भी समझता हूं कि जब माननीय वित्त मंत्री जी भाषण देते हैं तो किस खूबी के साथ वह हम सब माननीय सदस्यों के सामने इस बात को कहते हैं कि यदि हम लोग कोई सुझाव रखेंगे तो हुकूमत उन्हें मानने के लिये हर समय तैयार है। मैं यह उम्मीद करता था कि पिछले बजट के समय जो आश्वासन उन्होंने दिये थे अगर उन्हें वे भूल गये हों तो उस दिन की प्रोसीडिंग्स को उठाकर और यदि उन्हें समय नहीं था तो अपने विभाग के लोगों से कह देते कि वे उन्हें पढ़कर बतला देते, तो बड़ा अच्छा होता। हमारे माननीय चन्द्रसिंह जी ने जो बात कही वह बिलकुल सही है। उनको इस गलतफहमी में सरकार ने डाल दिया कि अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा नैनीताल के कुछ पहाड़ी जिलों में बिजली, पैदा करने के लिये उपयुक्त स्थानों की खोज की गई और अन्त में गरुड़, बागेश्वरी, जेबलीकोट और स्थान चुने गये। अध्यक्ष महोदय, ये जो तीनों स्थान हैं, ये गढ़वाल में नहीं हैं और खूबी की बात यह है कि यह जो गरुड़ का स्थान है यह कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया में हमारे जिले में है। वहां बढ़िया मोटर की सड़क जाती है और वहां बढ़िया बंगले रहने के लिये हैं। बागेश्वरी तक मोटर रोड चली गई है और जब वहां जाड़ों में मेला लगा तो इंजीनियर साहेब भी वहां पहुंच गये। मेरी भी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा था कि अपने जो इलैक्ट्रिक स्कीम्स रखी हैं, छोटी मोटी, ये आपने और जगहों के लिये रखी थीं, आप वहां नहीं गये, तो आप बागेश्वरी में कैसे आये। तो उन्होंने कहा कि उन जगहों के तो हमको नाम भी नहीं मालूम हैं। तीसरी जगह जेबलीकोट है जो नैनीताल के पास पड़ती है। यहां एक हाइड्रोइलैक्ट्रिक स्कीम का बड़ा भारी पावर हाउस है जहां बिजली एक मील के अन्दर आ सकती है। इन तीन जगहों में जो बिजली की बात हमारे इंजीनियर्स ने की ऐसी जगह की जहां इस चीज की जरूरत नहीं थी। और जिन जगहों को हम बताते हैं उनकी परवाह नहीं की जाती है, क्योंकि वहां मोटर सड़क नहीं जाती; पैदल चलना पड़ता है।

माननीय वित्त मंत्री ने पारसाल हमसे कहा था कि आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग क्या इंजीनियर्स हैं? आखिर हम ऐसे बेवकूफ भी नहीं हैं, अगर इंजीनियर्स नहीं हैं तो हम उन्हें सलाह दे सकते हैं कि हमारे यहां पहाड़ पर इतने–इतने अच्छे रिजर्वायर्स हैं कि जिनके बारे में अंग्रेजों ने स्कीम बनाकर रख दीं लेकिन पैसे की कमी के कारण वे पूरी नहीं कर सके। वहां अच्छे-अच्छे हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। अगर वित्त मंत्री जी इस बात को वादा करें कि हमारे साथ वे अपने इंजीनियर्स भेजें तो हम उन्हें दिखा सकते हैं और अगर वे इंजीनियर्स यह कहें कि वहां बिजली नहीं बन सकती तो मैं और दूसरे इंजीनियर्स को बुलाकर बिजली पैदा कराने के लिये तैयार हूं। हमारे इंजीनियर्स को मोटरों से उतर कर गांवों में जाना होगा और तभी हमारे देश का उद्धार हो सकता है। हमारे चन्द्रसिंह जी का कहना बिलकुल ठीक है। वे तिब्बत के पड़ोस में हैं और कुछ हवा का असर उन पर है। मुझे उनसे आशा है कि अगर वे अपनी जनता में भी ये बातें कहें तो यह हुकूमत घुटने टेक कर रहेगी। इस हुकूमत पर पानी नहीं चढ़ता है। अमरोहे के ताजमहल का ख्याल करना चाहिये। वहां हमारा पागलखाना भी मौजूद है और मेरा ख्याल है कि वहां तो बिजली लग भी गई होगी। मैं वित्त मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि वे इन चीजों को भूल न जावें। पहाड़ में वहां एक रीलड़ विद्युत योजना थी। वह पिथौरागढ़ से १० मील की दूरी पर नैपाल से जो नदी आती है वहां से वह स्कीम बनाई थी। उसका भी सरकार को ख्याल करना चाहिये। मेरे इलाके में एक तड़ाकताल बहुत सुन्दर झील है। हू बेशक वहां पानी रहता है और उसके बारे में स्कीम बन चुकी है लेकिन हमारे इंजीनियर्स कहते हैं कि उन्होंने उस जगह का नाम तक नहीं सुना। हमारे यहां बगैर बिजली के पानी ऊपर

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

नहीं चढ़ सकता है। हमारे जो कैनाल के बड़े आफिसर साहब हैं वे बिजली से ज्यादा इंटेरेस्ट नहीं रखते क्योंकि उनका कैनाल डिपार्टमेंट बन्द हो जाता है। वहां ऐसी कैनाल बनाई जा रही है जिनमें पानी नहीं पहुंचता है और जब तक बिजली की स्कीम नहीं पूरी होती है तब तक पानी ऊपर नहीं उठाया जा सकता और तब तक वहां इंडस्ट्रीज भी नहीं बढ़ सकती हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से फिर प्रार्थना करूंगा कि वे अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर जरा जोर दें और हमारे यहां बिजली का प्रबन्ध जल्द होना चाहिये। अगर यह हुकूमत खुद इस काम को नहीं कर सकती है तो हमारे यहां ऐसी सोसाइटीज हैं जिनके पास १, १ और २, २ लाख रुपया आज है। हमारे यहां के लिये सरकार ने भी ४ लाख रुपया रखा है। आप उस रुपय को हमारी सोसायटीज को दे दीजिये। हमारी सोसायटी खुद के इंजीनियर्स भी रख लेंगी। हमारे पास बहुत से मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं जो हमारी मदद करने के लिये तैयार हैं। हम अपनी स्कीम बनाकर इस सरकार को पेश भी कर देंगे अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा तो यही है कि हुकूमत यह कर दे कि पानी हमारे यहां पहुंचा दिया जाय और उसका पैसा देने के किये हमारी जनता हमेशा तैयार है।

मैं और बहुत सी बातें कहना चाहता हूं मगर समय कम है। अस्थानाजी ने भी काफी कहा है। लेकिन किस हुकूमत के लिये? जो हुकूमत यह कहे कि वह सब कुछ करने के लिये और हमारी बातों पर ख्याल करने के लिये तैयार है। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जहां हम पहले थे वहीं आज भी हैं। आपको हमारे सजेशन मानने चाहियें। जो आश्वासन आप हमें देते हैं वे पूरे होने चाहिये। नहीं तो उनकी क्या वैल्यू है? अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो मेरी फिर यही प्रार्थना है कि आप यह ४ लाख रुपया हमारी सोसायटीज को दे दीजिये और हम अपना प्रबन्ध स्वयं कर लेंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने बिजली की समस्या विचाराधीन है। इस समस्या को जब मैंने देखा तो वह पुराना जमाना याद आया जब रावण के समय में यह कहा करते थे कि भाई रावण इतना वैज्ञानिक आदमी है कि हवा भी उसके क़ब्जे में है। तो इस विज्ञान में आज काफी उन्नति हुई है और उसका दिग्दर्शन आज इस शक्ल में और सदन में दिखाई दे रहा है। मैं इस बात से तो खुशी प्रकट करता हूं कि बिजली के कार्य में हमारे प्रदेश ने काफी उन्नति की है किन्तु वह बिजली वहां, जहां है, वहां से देश की ज्यादा उन्नति होनेवाली नहीं है। हमें बिजली के वितरण पर काफी ध्यान देना है। जहां उसके उत्पादन को बढ़ाना है वहां यदि उसके वितरण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो बिजली का पैदा होना न होना बराबर सा ही है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ की वित्त समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना दिये देता हूं। मुझे यह सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम १६१ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५३-५४ की वित्त समिति के १४ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये मैंने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है :—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय—२४ मार्च, सन् १९५३ ई० को दिन के १ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—२४ मार्च, १९५३ को दिन के ३ बजे।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि और समय—२६ मार्च सन् १९५३ को १ बजे तक।

निर्वाचन की तिथि, स्थान और समय, यदि आवश्यक हो, २७ मार्च सन् १९५३ को ११ बजे से ३ बजे तक विधान वाचनालय में।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

नाम जिला		उपल वृष्टि से प्रभावित ग्रामों की संख्या	हानि की मात्रा (पूरी फसल १६ आना)
प्रतापगढ़	..	२८	१० आ०
फैजाबाद	..	३३२	२ से ८ आ०
आजमगढ़	..	६१६	४ से १२ आ०
गोरखपुर	..	१३३८	१ से १२ आ०
मथुरा	..	..	८ से १२ आ० केवल ४३ गांवों में।
बदायूं	..	१४६	२ से ८ आ०
गोंडा	..	४६८	२९७ गांवों में ८ आ० से अधिक।
कानपुर	...	८२	४ से १२ आ०
बस्ती	..	४४१	८ आ० और उससे अधिक।
देवरिया	..	११३५	२ से १४ आ०
फतेहपुर	..	९०	२ से ३ आ०
मिर्जापुर	..	१०२	२ आना
बाराबंकी	..	१२६	३ से ६ आ०
बुलन्दशहर	..	२५८	१ से २ आ०
बनारस	..	१३	२ आना से ८ आना
सुल्तानपुर	..	१९	३ से ६ आना
मेरठ	..	६	६ आना से कम
*इलाहाबाद	..	४०	२ आना
इटावा	..	३६	१ आना केवल तेलहन में
मुरादाबाद	..	४१	२ से ३ आना केवल मिश्रित जौ तथा मटर में
बरेली	..	३९	२ आना केवल तेलहन में
अलीगढ़	..	१९	२ आना

*इलाहाबाद में ५ फरवरी को एक और उपल वृष्टि की रिपोर्ट शासन को मिली है परन्तु हानि का पूरा विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

ी० एस० यू० पी० ए० पी० १८६ एल० ए—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा